भारत सरकार

# भारत का विधि आयोग

गिरफ्तारी संबंधी विधि

पर

# एक सौ सतहत्तरवीं रिपोर्ट

दिसम्बर, 2001

न्यायमूर्ति
बी॰पी॰ जीवनरेड्डी
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली- 110001
दूरभाष:3384475
निवास:
1, जनपथ
नई दिल्ली:110011
दूरभाष: 3019465

अ.शा.सं. 6 (3)(63)/99-एल सी (एलएस)

दिसम्बर 14, 2001

प्रिय श्री जेटली,

मैं इस पत्र के साथ गिरफ्तारी संबंधी विधि पर 117वीं रिपोर्ट भेज रहा हूं। इस विषय को विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से इस उद्देश्य से विचार में लिया है ताकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और अन्य उपबंधों द्वारा दी गई वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित और विनियमित किया जाए। उक्त उपबंध उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी (1978) के निर्णय से पूर्व अधिनियमित किए गए थे। उक्त निर्णय में निर्णीत विधि के कारण धारा 41 के कुछ उपबंधों और संबंधित उपबंधों की विधिमान्यता संदेहगत हो गई है।

यह जानने के लिए कि आज सही स्थिति क्या है हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (रा.म.अ.आ.) से निवेदन किया था कि वह किसी वर्ष विशेष में गिरफ्तारियों की संख्या, जमानती अपराधों में गिरफ्तारियों की संख्या, निवारक उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तारियों की संख्या, के सभी राज्यों के आंकड़े तथा अन्य सुसंगत ब्यौरे एकत्रित करें। तदनुसार रा.म.अ.आ. ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को लिखा और उन्होंने हमारे द्वारा अपेक्षित सामग्री भेजने की कृपा की। उस सामग्री के आधार पर हमने एक सारांश तैयार किया जो इस रिपोर्ट के साथ उपाबंध 2 के रूप में संलग्न है। इससे प्रकट होता है कि कुल मिलाकर उन गिरफ्तारियों की संख्या, जो निवारक उपबंधों के अधीन की गई थी, उन गिरफ्तारियों की संख्या से अधिक थीं जो मूल अपराधों के लिए की गई थीं और साथ ही यह भी सामने आया कि अधिकतर गिरफ्तारियां ऐसे जमानती अपराधों की बाबत की गई थीं जो प्रायः असंज्ञेय अपराध होते हैं (जिनमें वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है)। विधि आयोग ने, तदनुसार एक परामर्श पत्र तैयार किया जिसमें अपने तत्कालीन विचार रखे और सभी संबंधितों को एक प्रश्नावली भेजी। विधि आयोग ने दिल्ली कलकत्ता और हैदराबाद में तीन सेमिनार कीं। जनसाधारण के संबंधित सदस्यों, संगठनों और संगमों से बड़ी मात्रा में उत्तर मिले। उक्त समस्त सामग्री पर भली भांति विचार करने के पश्चात् विधि आयोग ने संलग्न रिपोर्ट तैयार की है।

हमने धारा 41 में संशोधन करने और विशेष रूप से इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) प्रतिस्थापित करने के सुझाव दिए हैं। हमने धारा 41 की वर्तमान उपधारा (2) को हटाने की और उसके स्थान पर दूसरा उपबंध रखने की सिफारिश भी की है। धारा 41 के संशोधन के अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के कुछ उपबंधों में संशोधन करने की सिफारिशें भी की गई हैं।

हमारी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता (जो सभी मूल अधिकारों में से सबसे अधिक मूल्यवान है) तथा शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित करना है। निःसंदेह ऐसा संतुलन कठिन है किन्तु इसके लिए प्रयास करना ही होगा और जहां तक संभव है यह संतुलन बनाना होगा। हमने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को ध्यान में रखा है जिनमें जोगिन्दर

कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) तथा डी.के. बसु (1997) भी सम्मिलित हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और उन्हें लागू करने के लिए कदम उठाएगी।

सादर,

भवदीय

ह०

(बी.पी. जीवन रेड्डी)

श्री अरुण जेटली
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली



## विषय-वस्तु


| विषय-वस्तु | पृष्ठ सं. |
|---|---|
| अध्याय 1 | |
| भूमिका | 1-3 |
| अध्याय 2 | |
| भारत का संविधान, अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार पर के सुसंगत उपबंध तथा भारत सरकार के उच्चतम न्यायालयों द्वारा उनका निर्वचन | 4-7 |
| अध्याय 3 | |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंध और न्यायालयों द्वारा उनका निर्वचन | 8-22 |
| अध्याय 4 | |
| भारत के विधि आयोग तथा अन्य निकायों द्वारा इस विषय पर पहले की गई सिफारिशें | 23-32 |
| अध्याय 5 | |
| इस अध्ययन की आवश्यकता और उद्देश्य | 33-37 |
| अध्याय 6 | |
| परामर्श पत्र में प्रतिपादित प्रस्ताव तथा उन पर प्राप्त प्रत्युत्तर | 38-46 |
| अध्याय 7 | |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 | 47-57 |
| अध्याय 8 | |
| डी.के. बसु में दिए गए निर्णय को लागू किया जाना | 58 |
| अध्याय 9 | |
| सीमा-मानिवारण तथा सम्बन्धी का कथन | 59-61 |
| अध्याय 10 | |
| सामान्य सुधार | 62-65 |
| अध्याय 11 | |
| धारा 438 का संशोधन करके विरुद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए, अन्वेषण और अभियोजन के लिए पृथक, अभिकरण के लिए, कतिपय सिफारिशें तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 | 66-69 |
| उपाबंध I | |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 | 70-78 |
| उपाबंध II | |
| विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सारांश | 79 |
| उपाबंध III | |
| गिरफ्तारी विधि पर परामर्श पत्र | 80-94 |

# अध्याय 1

स्वतंत्रता समस्त मानव अधिकारों में से सबसे अधिक मूल्यवान है। यह दो सौ वर्ष से अधिक समय से मानव जाति के विश्वास का आधार है। अमरीका के स्वातंत्र्य घोषणा पत्र 1776 और फ्रांस का मानव तथा नागरिक अधिकार पत्र 1789, दोनों ही में, स्वतंत्रता को मानव का एक नैसर्गिक तथा अनंतरणीय अधिकार माना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किए गए यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमेन राइट्स में ऐसे अनेक अनुच्छेद रखे गये हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रोन्नयन है। यही उद्देश्य इन्टरनेशनल कवेनेन्ट ऑन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स 1966 का है। इन सबसे ऊपर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में यह घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार के सिवाए उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 के खण्ड (1) और (2) भी मानव स्वातंत्र्य के प्रति चिंता का परिणाम हैं। जैसा कि प्रायः कहा जाता है, स्वतंत्रता का मूल्य केवल तब समझ में आता है जब वह छिन जाती है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता तथा समानता हमारे संविधान द्वारा गारंटी किए गए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं में से सबसे अधिक बुनियादी हैं।

समाज में शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक शांति नहीं होगी, वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। सामाजिक शांति व्यवस्था को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करती है। यह उन्नति का आवश्यक आधार है चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में हो। जिस प्रकार से व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुमूल्य है उसी प्रकार से समाज के लिए समाज में शांति तथा विधि-व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दोनों का समान महत्व है इस सच्चाई को ढाई हजार वर्ष पूर्व एफीसस के हैरेक्लीसस ने पहचाना था। उनका कहना था कि "मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या उतनी मात्रा तक स्वतंत्रता के बीच, जिसके बिना कानून अत्याचार बन जाएगा, तथा उस मात्रा तक कानून के बीच, जिसके बिना स्वतंत्रता बेलगाम हो जाएगी, एक संतुलन प्राप्त करना है।" श्री आर्थर टी॰ वान्डेरबिल्ट द्वारा उनके लेख "यूनाइटेड वी स्टैंड" से उद्धृत-ए॰बी॰ए॰जे॰ (अगस्त 1938-पृष्ठ 639)।

चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हो अथवा शांति और विधि व्यवस्था स्थापित करने के लिए हो, कानून आवश्यक है। उचित कानून हो और कानून का उचित अनुपालन हो, दोनों बातें चाहिए। संक्षेप में, समाज विधि सम्मत शासन से बंधा होना चाहिए न कि किसी व्यक्ति विशेष के कानून से चाहे वह कितना भी उदार क्यों न हो। विधि सम्मत शासन की असफलता व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में शांति के लिए खतरे की घंटी है। अतः विधि या कानून से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन दोनों विरोधी सिद्धांतों को अग्रसर करेगा और दोनों के बीच एक संतुलन, अर्थात्, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रोन्नयन की आवश्यकता तथा समाज में शांति और विधि व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखेगा।

इस दृष्टिकोण पर उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निरंतर बल दिया है जिनका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे। न्यायालय ने वास्तव में ऐसे अनेक नियम और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जिनका अनुसरण कार्यपालिका को नागरिक की स्वतंत्रता में व्यवधान डाले बिना करना चाहिए। न केवल उच्चतम न्यायालय ने अपितु उच्च न्यायालयों ने भी स्वतंत्रता के अनंतरणीय और बहुमूल्य स्वरूप और साथ ही शांति तथा विधि व्यवस्था के सामाजिक हित पर बल दिया है। यह सब कुछ होते हुए भी एक बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं, पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन अधिकारियों के हाथों नागरिकों की स्वतंत्रता को अवैध रूप से वंचित करने की शिकायतें, उनके द्वारा अन्वेषण के अवैध तरीके अपनाने की शिकायतें और उनकी अभिरक्षा में रहने के दौरान अभियुक्तों के साथ क्रूरतापूर्ण और असामान्य व्यवहार की शिकायतें। भारत के विधि आयोग ने समाचार पत्रों में तथा न्यायालयों के समक्ष आने वाली ऐसी निरंतर और असंख्यात शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा कि गिरफ्तारी से संबंधित विधि की पूर्ण रूप से सभी दृष्टियों से जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि संबंधित कानूनी उपबन्धों में कोई संशोधन सुझाए जा सकते है या नहीं। तदनुसार, विधि आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री एम॰एन॰ वेंकटचलैया को 20 जुलाई

1999 को एक पत्र लिखा जिसमें एक प्रतिष्ठित संस्था की गिरफ्तारी संबंधी समस्याओं को उन शब्दों द्वारा राज्य की विधिक सेवाओं में से एक को, अर्थात् पुलिस को, जो भारत में स्थायी व्यवस्था का 'सामान्य अवयव' [illegible] है, पुलिस की शक्तियों की तीव्र शिकायतों की ओर संकेत किया गया तथा उक्त आयोग से इस विषय में परामर्श करने का निवेदन किया गया। पत्र का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है।

"उपरोक्त प्रश्न पर एक उचित निष्कर्ष तक पहुंचने में हमें समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विशेषज्ञों के किसी निकाय द्वारा एकत्रित किए गए प्रामाणिक आंकड़े हमें प्राप्त हों। परिषद की आगामी [illegible] बैठक में [illegible] सुझाव दिया था कि [illegible] आयोग के लिए यह संभव है कि वह राज्य पुलिस अधिकारियों (सेवानिवृत्त [illegible]) की एक समिति बनाए जो देश के चार राज्यों को [illegible] अध्ययन के लिए चुने और यह पता करे कि कितने मामलों में पुलिस ने एक वर्ष विशेष में [illegible] जिलों में वारंट के बिना गिरफ्तारियां कीं, कितने मामलों में [illegible] गिरफ्तारियां कीं, कितने मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों को आरोप पत्र दाखिल किए बिना और कितनी अवधि तक निवारक [illegible] के पश्चात् छोड़ दिया, कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए और कितने मामलों में अभियोजन के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध हुए। उन मामलों को [illegible] जिनमें व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस और न्यायिक हिरासत में कितनी अवधि तक रखा गया, उनके विरुद्ध [illegible] पूर्ण होने में कितना समय लगा और यदि किसी व्यक्ति को निर्मुक्त किया गया तो कितने मामलों में [illegible] अपेक्षा पर न्यायालयों के समक्ष पेश नहीं किया गया। यदि समिति किन्हीं अन्य सुसंगत और आनुषंगिक बातों और आंकड़ों को उपलब्ध करा सकती है तो उससे हमें और भी सहायता प्राप्त होगी।

मुझे [illegible] विधि आयोग अथवा आपको [illegible] ऐसे विशेषज्ञों की समिति नियुक्त कर दें और उनके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े और परिणाम हमें उपलब्ध कराने की कृपा करें। ऐसी विशेषज्ञ समिति द्वारा उपलब्ध [illegible] किन्हीं ऐसे सुझावों, विचारों और टिप्पणियों का भी हम स्वागत करेंगे जो पुलिस आयोग की रिपोर्टों में सम्मिलित सिफारिशों को ध्यान में रखकर की जाएं।"

तदनुसार [illegible] ने देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लिखा। इस प्रकार एकत्रित की गई जानकारी विधि आयोग को उपलब्ध कराई गई। विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए सारणी में भरी गई है (जो कार्यक्रम के साथ संलग्न की गई थी) और जो इस रिपोर्ट में उपाबंध 2 के रूप में संलग्न है। इस सारणी में [illegible] हैं जिनमें (1) राज्य का नाम (2) मुख्य अपराधों के [illegible] गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या, (3) निवारक उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या, (4) उन व्यक्तियों की कुल संख्या जिनके विरुद्ध एक वर्ष में आरोप पत्र दिए गए, (5) आरोप पत्र दाखिल किए बिना छोड़ दिए गए मामलों की कुल संख्या, (6) एक वर्ष में सिद्ध दोष पाए गये व्यक्तियों की कुल संख्या (7) जमानतीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत और (8) निवारक उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा आरोप पत्र दाखिल किए बिना छोड़े गये व्यक्तियों का प्रतिशत। हम यहां उक्त सारणी के सभी ब्यौरों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते क्योंकि सारणी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है किन्तु कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। दिल्ली में मुख्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की कुल संख्या 57,163 है और निवारक उपबन्धों के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 39,842 है। गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों में से 30 प्रतिशत जमानतीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किये गए थे। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो निवारक उपबन्धों के अंतर्गत गिरफ्तारियों की संख्या मुख्य अपराधों के लिए गिरफ्तारियों की कुल संख्या से बहुत अधिक है। निवारक गिरफ्तारियों की संख्या 4,79,৪০৪ है और मुख्य अपराधों के लिए गिरफ्तारी की संख्या 1,73,634 है। जमानतीय अपराधों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों का प्रतिशत 62.13 है। हरियाणा में, जमानतीय अपराधों के लिए गिरफ्तारियों का प्रतिशत 64 है, केरल में 71 प्रतिशत, असम में 50 प्रतिशत, कर्नाटक में 84.8 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 19 प्रतिशत और आन्ध्र प्रदेश में 26.19 प्रतिशत है। उक्त उपाबंध 2 पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि निवारक उपबन्धों के अंतर्गत और जमानतीय अपराधों के लिए गिरफ्तारियों की संख्या बहुत अधिक है, [illegible] से बहुत अधिक है। यह निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन है कि जमानतीय अपराधों के लिए इन सभी गिरफ्तारियों में [illegible] किए गए होंगे। वास्तव में [illegible] पुलिस [illegible] किये गए थे। यदि इनमें से कुछ निवारक गिरफ्तारियां हैं, जैसा कि एक सेमिनार में कुछ पुलिस अधिकारियों ने बताया, तो यह बात भी [illegible]। इस पक्ष को



ध्यान रखना है कि विधि प्रवर्तन अधिकारियों की शक्तियों का दिखावा [illegible] है। जिसके पास कोई [illegible] नहीं है और निर्धन है [illegible] अपराध करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति होने का संदेह भी [illegible] किया जाता है। एक अर्थ में "गरीबी (स्वयं में) एक अपराध है।" जिस प्रश्न को भारी [illegible] से देखना था।

जेलों में विचाराधीन व्यक्तियों की [illegible] हमारी दाण्डिक विधि व्यवस्था का एक और चिंताजनक पहलू है। उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों के निर्णयों में तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल निवासियों में से अधिकांश विचाराधीन व्यक्ति होते हैं। उनमें से अनेक इसलिए जेलों में पड़े हैं क्योंकि वे या तो जमानत के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं या न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिभू प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, पुनः गरीबी का ही परिणाम है। न्यायालयों ने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं जहां विचाराधीन व्यक्तियों को उस अधिकतम अवधि के लिए जेलों में रखा गया है जिस अवधि के लिए उनको उस अपराध के लिए दोषी पाए जाने की दशा में दण्ड दिया जा सकता था जिसके लिए वे आरोपित हैं।

पुलिस [illegible] के इन प्रमुख तथ्यों और आंकड़ों की पृष्ठभूमि में और न्यायालयों के निर्णयों और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में विधि आयोग ने गिरफ्तारी संबंधी विधि विषय पर एक परामर्श पत्र तैयार किया जो रिपोर्ट के साथ उपाबंध 3 के रूप में संलग्न है। परामर्श पत्र में ऐसे अनेक प्रस्ताव किए गये थे जिनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों [illegible] के लिए [illegible] उपाबंध 1 में सम्मिलित तथ्यों और आंकड़ों की [illegible] जानकारी [illegible] था। परामर्श पत्र की प्रतियां सभी अधिवक्ता-संघों, मानवाधिकार संगठनों, पुलिस महानिदेशकों, राज्य सरकारों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और सार्वजनिक जीवन में [illegible] अन्य सभी व्यक्तियों को भेजी गई थी। विधि आयोग ने इस विषय पर [illegible] सेमिनार दिल्ली, कलकत्ता ([illegible] के सहयोग से) और हैदराबाद में ([illegible] के सहयोग से) आयोजित किए जिनमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, [illegible], अधिवक्ता-संघों तथा समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों ने भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव एवं आलोचनाएं प्रस्तुत कीं। हमें समाज के विभिन्न वर्गों और संगठनों से बहुत बड़ी संख्या में [illegible] भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें एकत्रित किया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन पर [illegible] दिया गया है।

## अध्याय 2

## भारत के संविधान, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा एवं प्रसंविदा (कवेनान्टों) के सुसंगत उपबन्ध और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उनका निर्वचन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह घोषणा करता है कि "किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं"। उक्त अनुच्छेद का शीर्षक "प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण" है। अनुच्छेद 20 में तीन गारन्टियां हैं, अर्थात्, (क) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय अपराध नहीं था या दण्डनीय नहीं था, (ख) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दण्डित नहीं किया जाएगा, और (ग) स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यही मूल अधिकार हैं जिनको कोई किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को प्राप्त है। अनुच्छेद 22 का खण्ड (1) यह घोषित करता है कि "किसी व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा"। अनुच्छेद 22 का खण्ड (2) [illegible] में और अधिक मौलिक है। यह कहता है कि "प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा"।

यद्यपि अनुच्छेद 21 की भाषा नकारात्मक है किन्तु अब यह सुस्थापित है कि इसका विस्तार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 1 एस.सी.आर. 332 = ए.आई.आर. 1963 उच्चतम न्यायालय 1295) में, बहुमत की ओर से निर्णय सुनाते हुए, अनुच्छेद 21 में "दैहिक स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति में क्या-क्या सम्मिलित है, इसकी खोज करते हुए कहा है:

> "अब हम अनुच्छेद 21 में 'दैहिक स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति का परिमाण, विस्तार और विषय वस्तु की परीक्षा करेंगे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हैं कि इस पद का प्रयोग केवल एक संकुचित अर्थ के लिए किया गया है किन्तु हम दूसरी ओर यह समझते हैं कि 'दैहिक स्वतंत्रता' का इस अनुच्छेद में प्रयोग एक सामान्य पद के रूप में किया गया है ताकि उसके अंतर्गत उन विभिन्न अधिकारों का समावेश किया जा सके जो किसी व्यक्ति की 'दैहिक स्वाधीनताओं' का निर्माण करते हैं और जो अनुच्छेद 19(1) के विभिन्न खण्डों में वर्णित स्वतंत्रताओं से भिन्न हैं। दूसरे शब्दों में, जहां अनुच्छेद 19(1) 'दैहिक स्वतंत्रता' के किन्हीं विशिष्ट प्रकारों या प्रभागों से संबंधित है वहीं अनुच्छेद 21 में इस स्वतंत्रता में शेष सभी कुछ आ जाता है"।

विद्वान न्यायाधीश ने मन बनाम इलीनोइस (1877) 94 यू.एस. 113, 142) में न्या. फील्ड की असहमतिपूर्ण राय को उद्धृत किया है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पांचवें और चौदहवें संशोधनों में "जीवन" शब्द का व्यापक अर्थ दिया गया है (और यह असहमतिपूर्ण राय बहुमत के निर्णय पर भी प्रभावी रही है)। उक्त संशोधन उन्हीं शब्दों के साथ साथ हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में मिलते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है कि 'दैहिक स्वतंत्रता' शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति के घर की पवित्रता और व्यक्ति की गरिमा दोनों सम्मिलित हैं।

उक्त निर्णय में, बहुमत के अनुसार, अनुच्छेद 21 का एक अत्यन्त व्यापक अर्थ है। निर्णय में कहा गया है:-

> "निःसंदेह 'दैहिक स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति व्यापक है और स्वतंत्रतापूर्वक संचरण का अधिकार 'दैहिक स्वतंत्रता' का एक अंग है। यह कहा गया है कि स्वतंत्रतापूर्वक संचरण के अधिकार की उत्पत्ति 'दैहिक स्वतंत्रता' से हुई है और इसी कारण अनुच्छेद 21 में 'दैहिक स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति में ये सब अंग आवश्यक हैं। हमारी राय में यह सही विचार नहीं है। दोनों स्वतंत्र मूल अधिकार हैं। यद्यपि दोनों में अतिव्याप्ति है। एक का दूसरे में से उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं है। संचरण का मूल अधिकार और 'दैहिक स्वतंत्रता' का मूल अधिकार के अनेक अंग हैं और उनमें से कुछ अनुच्छेद 19 में मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो राज्य उसकी कार्यवाही को [illegible] के लिए किसी विधि का आश्रय ले सकता है; किन्तु जब तक ऐसी विधि, जहां तक अनुच्छेद 19(1) में प्रतिष्ठित अंगों का संबंध है, अनुच्छेद 19(1) की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तब तक वह एक 'पूर्ण रक्षा' नहीं हो सकेगी।"



मेनका गांधी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1978 (1) एस.सी.सी. 248 = ए.आई.आर. 1978 उच्चतम न्यायालय 597) में न्यायमूर्ति भगवती इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (ए.आई.आर. 1950 उच्चतम न्यायालय 27) का निर्णय खड़क सिंह में बहुमत के निर्णय को निष्प्रभावी बनाता है और अल्पमत का अनुमोदन करता है।

बोलिंग बनाम शार्प में संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधिपति वारेन ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है:

> "यद्यपि न्यायालय ने 'स्वतंत्रता' को और अधिक सुनिश्चितता के साथ परिभाषित करने का प्रयत्न नहीं किया है किन्तु यह पद केवल शारीरिक बंधनों से स्वतंत्रता मात्र तक सीमित नहीं है। विधि के अधीन स्वतंत्रता का विस्तार उस आचरण के पूरे विस्तार तक है जिसे करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है और उस पर तब तक कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वह किसी उचित शासकीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।"

इन शब्दों का आशय भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में लिया गया है यद्यपि ये एक भिन्न [illegible] के संदर्भ में कहे गये हैं।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति के अर्थ पर विचार किया है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ कोई भी प्रक्रिया नहीं अपितु ऐसी प्रक्रिया है जो युक्तियुक्त, उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष है। वास्तव में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 दोनों ही इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 21 में ही समाविष्ट हैं। उक्त निर्णय में की गई निम्नलिखित संप्रेक्षण को यहां उद्धृत किया जा रहा है:

> "अतः यह विधि अब सुस्थापित है कि अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 को अपवर्जित नहीं करता और यदि ऐसी कोई विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी 'दैहिक स्वतंत्रता' से वंचित करने की प्रक्रिया विहित है और उसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का कोई अतिक्रमण नहीं होता है तब भी ऐसी विधि, जहां तक यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किसी मूल अधिकार को कम करती है या छीनती है, उस अनुच्छेद की कसौटी का सामना करना होगा...... इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई विधि, जो किसी व्यक्ति को 'दैहिक स्वतंत्रता' से वंचित करती है और अनुच्छेद 21 के अर्थ में उस प्रयोजन के लिए कोई प्रक्रिया विहित करती है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी किन्हीं मूल अधिकारों को [illegible], जो उस स्थिति में लागू हो सकते हैं, छीनती या कम करती है तो [illegible] के अनुसार उस विधि की अनुच्छेद 19 के संदर्भ में भी परीक्षा की जानी चाहिए...... इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 14 [illegible] की आधारशिला है। [illegible] समानता और मनमानापन एक दूसरे के [illegible] हैं। एक [illegible] के अधीन विधि [illegible] है और दूसरे [illegible] सर्वाधिकार प्राप्त शासक की इच्छा और सनक में है। जहां कोई कार्य मनमाना है तो उसमें यह निहित है कि वह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक विधि दोनों की दृष्टि से असमानतापूर्ण है अतः अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 राजकीय कार्यवाही में मनमानेपन पर प्रहार करता है और निष्पक्षता तथा व्यवहार में समानता सुनिश्चित करता है। युक्तियुक्तता का सिद्धांत, जो विधिक और दार्शनिक दृष्टि से समानता या अमनमानेपन का एक अनिवार्य अंग है, अनुच्छेद 14 में सर्वत्र विद्यमान है तथा अनुच्छेद 21 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया को युक्तियुक्तता की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा जिससे कि वह अनुच्छेद 14 के अनुरूप हो। ऐसी प्रक्रिया "सही और न्यायोचित और ऋजु" होनी चाहिए न कि

[illegible] पश्चीमी पर सम्मानपूर्ण; अन्यथा यह कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की अपेक्षा का अनुपालन नहीं होगा।"
(अधिक देने के लिए [illegible] किया गया)

अनेक विधि शास्त्रियों का यह मत है, और यह न्यायोचित भी है, कि मेनका गांधी का मामला [illegible] अमरीका के संविधान के विधि की सम्यक् प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ) के सिद्धांत को हमारी न्यायविधि में स्थापित [illegible] से, इस मत को मानना होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो किसी नागरिक की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालती है, वह न्यायोचित और निष्पक्ष होनी चाहिए और वह स्वेच्छ, मनमानी या अन्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए तथा वह प्रक्रिया जो इन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी दृष्टि से [illegible] 1973 के (विदेशी संबंधी) [illegible] की मांग करनी होगी।

"मानव अधिकार" का सिद्धांत आज का नहीं है। इस अभिव्यक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम [illegible] 1 जनवरी 1942 को हस्ताक्षर किए गये संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस) में किया गया था। पाश्चात्य जगत में इस सिद्धांत की [illegible] मैग्ना कार्टा, 1215 से हुई जिसमें पहली बार यह घोषणा की कि "अत्यधिक जमानत की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, अत्यधिक जुर्माना नहीं [illegible] और क्रूर तथा असाधारण दण्ड नहीं दी जानी चाहिए"। [illegible] बिल ऑफ राइट्स [illegible] में भी 'स्वतंत्रता' सम्पत्ति, सुरक्षा और अन्याय का प्रतिरोध" के [illegible] " [illegible] की [illegible] से स्वाभाविक" अधिकारों का प्रयोग किया गया और यह घोषणा की गई कि ये मनुष्य के नैसर्गिक और [illegible] अधिकार हैं। सन् 1791 में संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में किए गये प्रथम 10 संशोधनों में भी इन सिद्धांतों और अन्य को भी सम्मिलित किया गया है। जनवरी 1941 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में, अन्य बातों के साथ साथ, यह उल्लेख है कि "जीवन, स्वतंत्रता, स्वाधीनता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा मानव अधिकारों और न्याय को अपनी भूमि तथा अन्य भूमियों पर भी सुरक्षित रखने के लिए, शत्रु पर पूर्ण विजय आवश्यक है"। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनेक अनुच्छेदों में मूलवंश, लिंग, भाषा, धर्म के भेद भाव के बिना मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान का उल्लेख है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को स्वीकार किये गये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए या देश निकाला नहीं दिया जाना चाहिए। (अनुच्छेद 9)। अनुच्छेद 12 में [illegible] है कि [illegible] प्रत्येक व्यक्ति की एकान्तता, कुटुम्ब और सम्पत्ति की रक्षा [illegible]। इण्टरनेशनल कॉवेनन्ट ऑन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स 1966 की अनुच्छेद 9 (1) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह घोषणा की गई है कि "प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है (और) किसी को भी स्वेच्छापूर्वक गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा"। अनुच्छेद 9 (3) में यह घोषणा भी की गई है कि "वह व्यक्ति जिसे आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है शीघ्रतापूर्वक किसी न्यायाधीश अथवा न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह व्यक्ति [illegible] समय के भीतर [illegible] का [illegible] का हकदार होगा। यह सामान्य नियम नहीं होगा कि [illegible] की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों को अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए, किन्तु उनकी रिहाई [illegible] के दौरान किसी भी प्रक्रम पर [illegible] के लिए उपस्थित होने की तथा यदि आवश्यक हो तो निर्णय के निष्पादन के समय उपस्थित होने की गारंटी पर की जा सकेगी। अनुच्छेद 17 में कथन है कि किसी व्यक्ति की एकान्तता, [illegible] और [illegible] में [illegible] रूप से व्यवधान नहीं [illegible]। कॉवेनन्ट के अनुच्छेद 2 में [illegible] यह [illegible] की गई है कि वे कॉवेनन्ट द्वारा मान्य किए गये अधिकारों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक विधि बनायें। अनुच्छेद 3 ऐसे [illegible] को [illegible] और [illegible] को सुनिश्चित करने के लिए [illegible] है कि कॉवेनन्ट द्वारा मान्य किए गए अधिकार इन [illegible] के नागरिकों को उपलब्ध होंगे और [illegible] को सुनिश्चित करेंगे।

1966 के कॉवेनन्ट को भारत ने [illegible] 1979 को अनुसमर्थित किया है।

यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत द्वारा अनुसमर्थित किए गये अन्तर्राष्ट्रीय कॉवेनान्टों या करारों का क्या प्रभाव है। क्या वे भारतीय न्यायालयों में प्रवर्तनीय हैं? क्या इस देश के नागरिक किन्हीं करारों के आधार पर, जैसे 1966 का आई.सी.सी.पी.आर., किन्हीं अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और क्या न्यायालयों के माध्यम से लागू करा सकते हैं? इस विषय में स्थिति स्पष्ट है।



"[illegible] द्वारा बनाया और अनुसमर्थित की गई [illegible], करार और कॉवेनेन्ट अपने आप हमारी देशीय विधि का भाग नहीं बन जाते जब तक संसद या कोई अन्य विधान मंडल ऐसे करारों या कवेनेन्टों के अनुरूप कानून नहीं बनाता तब तक कोई भी ऐसे करार या कवेनेन्ट के उपबन्धों का आश्रय लेकर किन्हीं अधिकारों का दावा नहीं कर सकता या उन्हें लागू नहीं कर सकता किन्तु [illegible] मानव अधिकारों का [illegible] है, न्यायालयों ने एक प्रगतिशील रुख अपनाया है और यह घोषणा की है कि जहां तक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय करारों में घोषित अधिकार, हमारे संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटी किए गये मूल अधिकारों से मेल खाते हैं वहां तक वे हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों का एक अंग और [illegible] माने जा सकते हैं। [illegible] (1957 [illegible] 1960) तथा [illegible] [1957 (6) [illegible] 141] [illegible] मामले में यह निर्णय दिया गया है कि "इस [illegible] कानून पर्याप्त होगा कि कवेनेन्ट को [illegible] हमारे संविधान द्वारा गारंटी [illegible] मूल अधिकारों की व्याख्या करते हैं और उन्हें प्रभावी बनाते हैं, न्यायालय निश्चित रूप से मूल अधिकारों के [illegible] में से सकते हैं और उन्हें [illegible] रूप में प्रवर्तित कर सकते हैं"। दूसरे मामले में दिया गया निर्णय भी इसी प्रकार का है जिसमें कहा गया है कि "कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कवेनेन्ट जो मूल अधिकारों से असंगत नहीं है और उनकी भावना से मेल खाता है उसे इन उपबन्धों के भाग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे कि उन मूल अधिकारों का अर्थ और [illegible] [illegible] और संवैधानिक गारंटी का उद्देश्य [illegible] हो।"

## अध्याय 3

### दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबन्ध और न्यायालयों द्वारा किया गया उनका निर्वचन

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में है। धारा 41 एक मुख्य धारा है जिसमें उन स्थितियों के लिए उपबन्ध है जब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है। यह धारा निम्नलिखित रूप में है—

"41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी— (1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है—

(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से सम्बद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका है; अथवा

(ख) जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, जिस प्रतिहेतु को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृह-भेदन का कोई उपकरण रखता है; अथवा

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है; अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है; अथवा

(ङ) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है; अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है; अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है; अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक का हो वैसी ही रीति से गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है।"

धारा 42 में भी एक अन्य ऐसी स्थिति का उल्लेख है जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इस धारा के अनुसार जब कोई व्यक्ति, जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय



अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओं सहित या रहित इस बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंधपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अन्दर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा।

धारा 43 — उस स्थिति के बारे में है जब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को, गिरफ्तार कर सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। धारा 44 — जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। धारा 45 — धारा 41 से 44 तक की बातों में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार की सम्मति नहीं ले ली जाती। इस धारा की उपधारा (2) में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार" शब्द रख दिया गया हो। धारा 46 उस रीति का वर्णन करती है जिससे गिरफ्तारी की जाएगी। इस धारा में उल्लेख है कि "गिरफ्तार करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कार्य द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।" इस धारा में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। धारा 47 पुलिस अधिकारी को किसी स्थान में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान करती है। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या उसके अन्दर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला, या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति, पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना भी दरवाजे/खिड़कियां आदि को तोड़कर, प्रवेश कर सकता है। धारा 48 के अधीन कोई पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। धारा 49 यह उपबंध करती है कि "गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।" धारा 50 (जो कि संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (1) के अनुरूप है) के अनुसार किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। इस धारा में यह उपबंध भी है कि जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे। यह धारा (और धारा 436 भी) जमानतीय अपराध के मामले में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की पुलिस की

शक्ति को मान्यता प्रदान करती है। प्रथम प्रयास है कि—यह बात धारा 2 के खण्ड (ग) और (ठ) में क्रमशः "संज्ञेय अपराध" और "असंज्ञेय अपराध" की परिभाषा से निकलती है कि ऐसा जमानतीय अथवा संज्ञेय अपराध है। दूसरे शब्दों में, पुलिस किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त को तब तक (वारंट के बिना) गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि वह अपराध संज्ञेय नहीं हो। धारा 51— गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के संबंध में है। जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुएं दर्शित होंगी। धारा 52 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति के पास से आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हो, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। धारा 53— पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। ऐसी चिकित्सा परीक्षा किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा ही की जानी चाहिए। जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है, या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। धारा 54—जब कोई व्यक्ति, चाहे किसी आरोप पर या अन्यथा गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय या अभिरक्षा में अपने निरोध की अवधि के दौरान किसी समय यह अभिकथन करता है कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होगा जो उसके द्वारा अपराध के किए जाने को नासाबित कर देगा या जो साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया था यदि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट से ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो, यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा विचार नहीं है कि प्रार्थना तंग करने या विलम्ब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से की गई है, तो वह यह निदेश देगा कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा ऐसे व्यक्ति के शरीर की परीक्षा की जाए। धारा 55—पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार करने का लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे, और वह अधीनस्थ अधिकारी उस व्यक्ति को उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने से पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा। धारा 56 और 57 — (जो कि संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (2) के अनुरूप हैं) यह उपबंध करती है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलम्ब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी। धारा 58—पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके ऐसा निदेश देने पर, उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। धारा 59 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 60, जो इस अध्याय की अंतिम धारा है, उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ाया गया है, तुरन्त उसका पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।

इस विषय पर अन्य सुसंगत और महत्वपूर्ण उपबंध अध्याय 11—'पुलिस का निवारक कार्य' में है।



धारा 149 में कथन है कि "प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी सामर्थ्य भर उसे निवारित करेगा।" धारा 150 में कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है, देगा। धारा 151 एक महत्वपूर्ण उपबंध है और पुलिस अधिकारियों को व्यापक शक्ति प्रदान करता है। धारा 151 की उपधारा (1) के अनुसार "कोई पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।" उपधारा (2) में कथन है "उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है।" धारा 152 एक अन्य महत्वपूर्ण उपबंध है जो विधिपूर्ण रूप से के संबंध में, जहां संपत्ति से तात्पर्य लोक सम्पत्ति से है, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, और अन्य लोक सम्पत्तियां, नुकसान पहुंचाने से है, किसी पुलिस अधिकारी को दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने का, या किसी लोक भूमि-चिह्न या बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिह्न को हटाए जाने या उसे क्षति पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। धारा 153 पुलिस अधिकारियों को बाट और माप का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है।

संहिता के अध्याय 12 में इस विषय में व्यापक उपबंध हैं। धारा 154 किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या मौखिक रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी, जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा। धारा 155 असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों के अन्वेषण से संबंधित है। धारा 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति के विषय में है। उपधारा (1) में कथन है कि "कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अन्दर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबन्धों के अधीन है।" उपधारा (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।" "उपधारा (3)—धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है।" धारा 157 में 'अन्वेषण की प्रक्रिया' में वह प्रक्रिया विहित की गई है जिसका संज्ञेय अपराध अन्वेषण के अनुक्रम में किया जाना चाहिए। इस धारा में कथन है कि यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी ऐसे अपराध के किए जाने की इत्तिला प्राप्त होती है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 156 के अधीन सशक्त है और उसके पास इस इत्तिला पर विश्वास करने का कारण है तो वह उसकी रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा और उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए स्वयं स्थल के लिए प्रस्थान करेगा तथा "यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने और गिरफ्तारी करने के लिए कदम उठाएगा"। साथ ही इस बात के लिए भी उपबंध किया गया है कि वह स्वयं जाने के बजाय किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करे।

इस संहिता के दो अन्य उपबन्धों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका उल्लेख धारा 41 की उपधारा (1) में किया गया है। ये उपबन्ध धारा 109 और धारा 110 में हैं। धारा 109 में उपबंध है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि क्यों न उसे आदेश दिया जाए कि वह एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि

[illegible]

हमारे दण्डविधि संबंधी कानूनों में "संज्ञेय अपराध" शब्द प्रायः आता है। "संज्ञेय अपराध" शब्द [illegible] धारा 2 के खण्ड (ग) में निम्नलिखित शब्दों में दी गई है: "संज्ञेय अपराध से वह अपराध, तथा 'संज्ञेय मामला' से वह मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी, प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है"। [illegible] "जमानतीय अपराध" और "अजमानतीय अपराध" [illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible] समय तक न्यायालयों [illegible] । [illegible] कि किसी व्यक्ति को [illegible] गिरफ्तार करने से पूर्व पुलिस अधिकारी [illegible] और जानकारी [illegible] धारा 41(1)(क) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाए। [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] गिरफ्तारी [illegible] "पुलिस अधिकारी" [illegible] पुलिस [illegible] गिरफ्तारी [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] होगा।

[illegible] कि क्या उस व्यक्ति के पास कोई [illegible] गिरफ्तारी [illegible] है?

उत्तर है : [illegible] "[illegible]"। [illegible]

यदि किसी व्यक्ति को [illegible] गिरफ्तार किया जाता है [illegible] गिरफ्तारी [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] दण्ड संहिता की धारा 342 के अंतर्गत [illegible] धारा 344 के अंतर्गत [illegible] धारा 343 और 344 [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] अनिवार्य [illegible] धारा 197 [illegible] लोक सेवक [illegible] पुलिस अधिकारी, के लिए धारा 342/343/344 के अंतर्गत [illegible] धारा 197 [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] मंजूरी [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] धारा 197 [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] पुलिस [illegible] पुलिस अधिकारियों [illegible] पुलिस [illegible] करने का साहस नहीं करते हैं।

[illegible] पुलिस अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग [illegible] करता है तो उसके विरुद्ध [illegible] कार्यवाही [illegible]



[illegible] किया जा सकता है। किन्तु ऐसी कार्यवाहियाँ [illegible] मामलों में [illegible] गिरफ्तारी [illegible] कार्यवाहियाँ [illegible] पुलिस अधिकारियों [illegible] संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) [illegible] पुलिस अधिनियम में [illegible]।

[illegible] पुलिस अधिनियम, 1861, (जो संविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर अभी भी प्रवृत्त है) की धारा 7 [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] धारा 7 में [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] कर्तव्य के निर्वहन में [illegible] धारा के अधीन कार्यवाही [illegible]।

[illegible] पुलिस अधिकारियों [illegible] ईस्ट इण्डिया कम्पनी [illegible] गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1858, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1915, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935 [illegible] संविधान के अनुच्छेद 300 में भी [illegible] अनुच्छेद 300 निम्नलिखित रूप में है :

300. वाद और कार्यवाहियाँ – (1) भारत सरकार [illegible] संविधान [illegible] संविधान [illegible]

(2) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर –

(क) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ लंबित हैं जिनमें [illegible] डोमिनियन [illegible] कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(ख) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ लंबित हैं [illegible] उन कार्यवाहियों में [illegible] राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।"

[illegible] अनुच्छेद के अर्थ और [illegible] किन्तु पुलिस अधिकारियों के [illegible] विधि-व्यवस्था और [illegible] पुलिस अधिकारियों के [illegible] राज्य को [illegible] लिए राज्य के [illegible] में राज्य को पूर्ण रूप से [illegible]

(सम्प्रभुता) [illegible] है। [illegible] पर आधारित है कि क्षतिपूर्ति के लिए राज्य के विरुद्ध सिविल वाद दायर किया जाए न कि व्यक्तिगत रूप से किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सिविल [illegible] किया जाए न कि व्यक्तिगत रूप से किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध। [illegible] पर आधारित है कि किसी पुलिस अधिकारी विशेष के विरुद्ध [illegible] के वाद में [illegible] सबूत नहीं [illegible] विरुद्ध ही भ्रष्ट क्योंकि [illegible] के निपटान में कठिनाई होती है, इसी कारण से ऐसे वाद राज्य के विरुद्ध [illegible] कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के विरुद्ध दायर किए जाते हैं। क्योंकि [illegible] पुलिस अधिकारियों का [illegible] है तथा अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए [illegible] प्रतिनिधिक दायित्व है। इस [illegible] के [illegible] कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1039) का उल्लेख करना चाहेंगे। इस मामले के तथ्य दिलचस्प हैं। वादी को गिरफ्तार कर [illegible] में पुलिस अधिकारियों द्वारा [illegible] की सम्पत्ति को कब्जे में रखने के संदर्भ में की गई थी। [illegible] के [illegible] को [illegible] सम्पत्ति [illegible] लेने पर बाद में [illegible] में [illegible] किया गया। [illegible] पाया गया किन्तु [illegible] किया गया [illegible] नहीं गया क्योंकि [illegible] का प्रभारी [illegible] कांस्टेबल [illegible] को लेकर, जिसमें वादी के [illegible] किया गया सोना भी था, [illegible] वादी ने [illegible] वापस करने के लिए या उसके बदले में उसकी कीमत के लिए [illegible] किन्तु राज्य [illegible] के आधार पर [illegible] के [illegible] का [illegible] किया गया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि [illegible] वादी से सोने का [illegible] का संबंध था [illegible] द्वारा पुलिस अधिकारियों को [illegible] सार्वभौम [illegible] की शक्ति के [illegible] की गई थी। पुलिस अधिकारियों के [illegible] को [illegible] से संबंधित [illegible]। न्यायालय ने [illegible] प्रस्तुत किए गए [illegible] के [illegible] ने भी [illegible] कि [illegible] द्वारा लिए गए सोने के संबंध में कार्रवाई की गई थी, [illegible] कि पुलिस अधिकारियों की ओर से घोर [illegible] की गई थी और [illegible] उसके [illegible] राज्य के पुलिस अधिकारियों की असावधानी के कारण हुआ था फिर भी यह [illegible] कि पुलिस अधिकारी [illegible] की [illegible], जो कि वादी से [illegible] सम्पत्ति के संबंध में [illegible] कार्य [illegible] किन्तु [illegible] अधिकारियों की [illegible] द्वारा [illegible] हैं [illegible] संबंधी [illegible] के रूप में [illegible] में वर्णित किया जा सकता है। [illegible] ने [illegible] दिया कि ऐसी दशा में राज्य के विरुद्ध [illegible] के [illegible] के अनुच्छेद [illegible] के [illegible] है [illegible] या [illegible] राज्य सरकार की ओर से [illegible] में संशोधन से पूर्व से [illegible] है। [illegible] बाद [illegible] दिया गया। [illegible] ने इस स्थिति में [illegible] पर ध्यान दिया और [illegible] राज्य से ऐसा कानून बनाने को [illegible] किया कि ऐसे विषयों में राज्य के दायित्व को (अनुच्छेद 300 में [illegible] है) कानून बनाया जाना चाहिए। [illegible] यह है कि यद्यपि 36 वर्ष से अधिक समय तक से निकल चुका है किन्तु राज्य ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

[illegible] के दो न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा बाद में दिए गए एक निर्णय में [illegible] अनुच्छेद 300 को [illegible] की स्थिति [illegible] के बारे में [illegible] द्वारा ([illegible]) इस [illegible] के [illegible] में विचार व्यक्त किए गए हैं। चूंकि [illegible] को न्यायाधीशों की दो [illegible] के [illegible] निर्णय [illegible] पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, [illegible] को न तो कोई प्रभाव दिया है और न दिया जा सकता था।

[illegible] पी [illegible] हुआ, [illegible] के [illegible] के [illegible] आवश्यक है। (क) [illegible] बनाम [illegible] (1985 एस.सी. 233) में [illegible] ने निर्णय दिया है कि जहां किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है वहां राज्य की सम्प्रभुता के आधार पर [illegible] का [illegible] नहीं होगा। इस निर्णय की पुष्टि एस.सी. ने [illegible] 2000 एस.सी. 1165 (ए.पी. बनाम [illegible]) में की है। (ख) [illegible] और [illegible] के [illegible] में [illegible] और [illegible] ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32/226 के अंतर्गत [illegible] में [illegible] के रूप में [illegible] सार्वजनिक [illegible] है और क्षतिपूर्ति के लिए [illegible] के लिए [illegible] दिया है कि [illegible] जाएं। यह [illegible] एक [illegible] है किन्तु [illegible] स्थितियों में पुलिस [illegible] के [illegible] राज्य के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए [illegible] भी [illegible] हैं।



[illegible] किए गए सभी [illegible] से हमने इसके पहले [illegible] किया है कि [illegible] और [illegible] गिरफ्तारी के लिए [illegible] अथवा [illegible] दृष्टि से [illegible] है [illegible] दृष्टि से [illegible] में [illegible] है।

[illegible] की स्थिति यह है कि [illegible] गिरफ्तारी [illegible], [illegible] है [illegible] और कभी-कभी तो बिना किसी [illegible] के भी। किन्तु [illegible] है। [illegible] पुलिस अधिकारी का [illegible] नहीं [illegible] किसी नागरिक की [illegible] में [illegible] के [illegible] है अथवा किसी व्यक्ति को, [illegible] पुलिस अभिरक्षा में [illegible], [illegible] किया है। [illegible] में [illegible] पुलिस अधिकारियों [illegible] शक्तियों के दुरुपयोग [illegible] और [illegible] के [illegible] को [illegible] करने [illegible] है। [illegible] के अनुसार [illegible] कि [illegible] पुलिस है और [illegible] द्वारा किसी [illegible] या [illegible] कार्य [illegible] पर कोई [illegible] नहीं [illegible]। [illegible] की [illegible] या [illegible] पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अधिक से अधिक [illegible] कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा [illegible] कर दिया जाएगा। [illegible] है और [illegible] भी [illegible] है। [illegible] पुलिस अधिकारी के [illegible], जो किसी व्यक्ति को [illegible] से या किन्हीं [illegible] से [illegible] से [illegible] है, किसी [illegible], किसी [illegible] या किसी [illegible] का [illegible] किया जाना चाहिए। [illegible], [illegible] गिरफ्तार किए [illegible] व्यक्ति को [illegible] नहीं [illegible] है [illegible] है, इसका [illegible] रूप से यह अर्थ नहीं है कि गिरफ्तारी [illegible] थी या [illegible] थी। किन्तु [illegible] गिरफ्तारी [illegible] थी अथवा शक्ति के दुरुपयोग का [illegible] न्यायालय के [illegible] होनी चाहिए कि [illegible] पुलिस अधिकारी के विरुद्ध [illegible] से [illegible] गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा [illegible] किए जाने पर, [illegible] आदेश दे सके। [illegible] न्यायालय, [illegible] कि गिरफ्तारी [illegible] पूर्णतया [illegible] है या शक्ति के दुरुपयोग [illegible] है, [illegible] आदेश देने के लिए [illegible] होना चाहिए।

ऐसा [illegible] कि [illegible] पुलिस आयोग ने राज्य के [illegible] पर, [illegible] का एक [illegible] है, [illegible] किया है। फिर भी यह [illegible] सकती है कि [illegible] संविधान के अनुच्छेद 300 के कारण [illegible] और [illegible] स्थिति [illegible] और सुधार के लिए [illegible] और [illegible] ऐसी विधि बनाने के लिए [illegible] जो [illegible] स्थिति [illegible] अनुच्छेद 300 में [illegible] की गई है।

### गिरफ्तारी से संबंधित विधि के बारे में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

[illegible] से अधिक के [illegible] न्यायपालिका, [illegible] रूप से उच्चतम न्यायालय, [illegible] विधि द्वारा पुलिस को प्रदत्त [illegible] के प्रयोग को [illegible] अधिरोपित करने [illegible] और [illegible] मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार [illegible] किया जाए [illegible] का [illegible] न किया जाए। [illegible] यह प्रश्न [illegible] है कि इसके दुरुपयोग को रोका जाए और [illegible] पुलिस विधि द्वारा [illegible] के [illegible] के लिए [illegible] भी [illegible]। [illegible] इस रिपोर्ट के [illegible] के लिए सभी निर्णयों का उल्लेख आवश्यक नहीं है [illegible] पर्याप्त होगा यदि [illegible] का उल्लेख करें, (जिनमें पश्चात्वर्ती निर्णयों में [illegible] और [illegible] सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की गई है [illegible])। जोगिन्दर कुमार बनाम उ. प्र. राज्य (ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1349) में, गिरफ्तार करने की शक्ति और उसके प्रयोग के बारे में [illegible] चर्चा है। [illegible] का [illegible] उल्लेख करना [illegible] होगा।

"[illegible] अधिकारी का [illegible] की [illegible] में भी वृद्धि हो रही है। [illegible] में इस न्यायालय को [illegible] शिकायतों के कारण [illegible] अधिकारी के [illegible] में [illegible] है। हम इन दोनों के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित करें?

[illegible] में एक [illegible] अपनाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी संबंधी विधि ऐसी होनी है जिसमें व्यक्ति के अधिकार, [illegible] और [illegible] अधिकारी तथा व्यक्ति के कर्तव्यों, [illegible] और [illegible] के बीच संतुलन होना चाहिए [illegible] व्यक्ति तथा व्यक्ति समूहों के बीच अधिकारों, [illegible]

और विशेषाधिकारों का पुनर्मूल्यांकन और संतुलन होना चाहिए; यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या आवश्यक है और [illegible] दिया जाना चाहिए; यह विनिश्चय किया जाना चाहिए कि किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए — विधि का उल्लंघन करने वाले को या विधि का अनुपालन करने वाले को। यह [illegible] का सामना किया जाना चाहिए जिसका सामना [illegible] को [illegible] में [illegible] के साथ [illegible] के अधिकारों और समाज के बीच संतुलन [illegible] संघर्ष का [illegible] था और [illegible] यह निर्णय दिया था कि [illegible] करने की विधि अनुपयुक्त विधि थी, यह कि [illegible] और यह कि [illegible] को इस कारण नहीं छोड़ देना चाहिए कि [illegible] करने वाला [illegible] था।"

"किसी राष्ट्र के [illegible] उसकी [illegible] के [illegible] जिसका प्रयोग वह [illegible] विधि को प्रवृत्त करने में करता है।" इस न्यायालय ने [illegible] बनाम [illegible], एआईआर 1976 [illegible] 1031 के पृष्ठ 1032 पर [illegible] को उद्धृत करते हुए निम्नलिखित कथन किया है:

"एक ओर विधि प्रवर्तन की आवश्यकता और दूसरी ओर विधि प्रवर्तन तंत्र के हाथों नागरिक को [illegible] और [illegible] से सुरक्षा प्रदान करने के बीच संतुलन स्थापित करना, शासनकला की एक जटिल समस्या है। अनेक वर्षों से [illegible] है।"

पृष्ठ 1033 पर पैरा 21 में पुनः यह विचार व्यक्त किया गया है कि:

"[illegible] इससे पूर्व [illegible] के बीच सामंजस्य [illegible] की चर्चा की है। [illegible] दृष्टि से [illegible] अपराध का पता लगाने के सामाजिक हित और उन संवैधानिक अधिकारों के बीच, जो अभियुक्त व्यक्ति को प्राप्त हैं, [illegible] है। इन [illegible] के बीच संतुलन में [illegible] परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है [illegible]। मिरांडा [illegible] 1966 384 यू एस 436 के [illegible] के [illegible] ओर [illegible] कानून [illegible] के [illegible] के [illegible] आकर्षण [illegible]। [illegible] में कानूनी [illegible] के [illegible] के [illegible] में [illegible] (संवैधानिक) [illegible] के प्रति [illegible] है [illegible] (संयुक्त राज्य अमेरिका (1971 403 [illegible], 336) [illegible] संवैधानिक [illegible] होना चाहिए और [illegible] विशेष रूप से [illegible] सामाजिक [illegible] के प्रति [illegible] या प्रभाव [illegible]....."

इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का उल्लेख भी किया गया है जिन्हें [illegible] रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किया है।

जोगिन्दर कुमार के फैसले में न्यायालय ने निम्नलिखित सम्प्रेक्षण किए:

"पुलिस कमीशन ने 'गिरफ्तारी का सिद्धांत' के आधार पर गिरफ्तारी की शक्ति के विषय में [illegible] के सुझाव दिए हैं। इस सिद्धांत के दो मुख्य उद्देश्य हैं कि पुलिस अधिकारियों का प्रयोग केवल उन मामलों में [illegible] के [illegible] के लिए [illegible]। [illegible] कमीशन का यह विचार था कि ऐसे [illegible] गिरफ्तारी का प्रयोग कम होगा और [illegible] का प्रयोग एक [illegible] रूप में किया जाएगा।"

एक सुझाव के विषय में उक्त कमीशन की रिपोर्ट में [illegible] पृष्ठ 32 पर कहा है:

"....हम सिफारिश करते हैं कि किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी के [illegible] न्यायोचित [illegible] जब निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आवश्यकताओं को समाधान हो गया हो:—

(क) [illegible] की [illegible] के [illegible] है जिसके [illegible] या [illegible] की [illegible];



(ख) अपराध को निरंतर या [illegible] करने से रोकने की आवश्यकता;

(ग) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति के संरक्षण की आवश्यकता;

(घ) अपराध के साक्ष्य या उससे संबंधित [illegible] को सुनिश्चित या नियंत्रण में रखने की आवश्यकता अथवा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करके ऐसे साक्ष्य को प्राप्त किया जाना; और

(ङ) ऐसे मामले की संभावना कि यह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आरोप है, [illegible] देने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा।"

उपरोक्त रिपोर्ट में पृष्ठ 32 पर पुलिस कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव भी दिए हैं—

"गिरफ्तारी के प्रयोग को [illegible] करने में [illegible] के लिए हम यह भी सिफारिश करना चाहेंगे कि [illegible] को लागू किया जाए जो [illegible] में पुलिस अधिकारी को [illegible] करने के लिए पुलिस अधिकारी को समर्थ करने के लिए [illegible] की जाती है। [illegible] पुलिस [illegible] पर गिरफ्तारी किए बिना [illegible] के लिए [illegible] गिरफ्तारी की [illegible], न्यायालय के लिए, [illegible] के लिए [illegible]। [illegible] पुलिस अधिकारी, अर्थात् [illegible] सुविधा के अनुसार किसी [illegible] के लिए [illegible] होने के लिए [illegible] है..........।"

उक्त निर्णय के पैरा 24 को उद्धृत करना यहाँ पर प्रासंगिक होगा जो कि निम्नलिखित रूप में है—

"अब जो निर्णायक सिद्धांत [illegible] के [illegible] से [illegible] की गई [illegible] है [illegible] गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जा सकती कि पुलिस अधिकारी विधिक रूप से ऐसा करने का हकदार है। गिरफ्तार करने की शक्ति [illegible] एक बात है [illegible] शक्ति के प्रयोग का [illegible] एक अलग बात है। पुलिस अधिकारी को अपनी शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग करने में समर्थ होना चाहिए। गिरफ्तारी और पुलिस की [illegible] में [illegible] से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को अपार क्षति पहुंच सकती है। [illegible] गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और यह भी इस आधार पर कि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का केवल आरोप लगा है। नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के हित में तथा स्वयं अपने हित में भी यह पुलिस अधिकारी के लिए [illegible] होगी कि किसी परिवाद की सच्चाई और सद्भाव के संबंध में कुछ अन्वेषण करने के पश्चात् जब तक पुलिस अधिकारी का यह युक्तियुक्त समाधान नहीं हो जाता और उस व्यक्ति के अपराध में शामिल होने के बारे में युक्तियुक्त विश्वास तथा गिरफ्तारी करने की आवश्यकता के बारे में [illegible] नहीं हो जाता तब तक गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को [illegible] से वंचित करना एक गंभीर प्रश्न है। पुलिस आयोग की सिफारिशों में [illegible] के [illegible] संवैधानिक [illegible] परिलक्षित होती है। कोई व्यक्ति केवल इसलिए गिरफ्तार किए जाने का भागी नहीं है कि उस पर किसी अपराध में शामिल होने का संदेह है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की राय में इस बात का युक्तियुक्त औचित्य होना आवश्यक है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक और [illegible] है। [illegible] अपराधों के [illegible] गिरफ्तारी से बचना चाहिए यदि यह पर्याप्त है कि पुलिस अधिकारी व्यक्ति को पुलिस [illegible] पर हाजिर होने का और अनुमति के बिना [illegible] न छोड़ने का नोटिस जारी कर दे।"

रिपोर्ट में आगे दिए गए निर्देश पैरा 26 से पैरा 29 में हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं:

"[illegible] मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) से [illegible] हैं और यह आवश्यक है कि इन्हें मान्यता दी जाए और [illegible] पूर्वक संरक्षित किया जाए। इन मूल अधिकारों को प्रभावी रूप से संरक्षित करने

[illegible] 'अधिकार', '[illegible]' और '[illegible]' [illegible]

की दृष्टि से कुछ निम्नलिखित अपेक्षाएं करते हैं:

(1) गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, जिसे अभिरक्षा में रखा गया है, यदि वह ऐसा निवेदन करता है तो उसे जब तक [illegible] है कि उसके किसी एक मित्र, संबंधी या अन्य व्यक्ति को जिसे वह जानता है या जो उसके कल्याण में हितबद्ध है, जहां तक व्यावहारिक हो, यह सूचना दी जाए कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उसे अमुक स्थान पर निरुद्ध रखा गया है।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जब उसे पुलिस स्टेशन पर लाया जाता है, इस अधिकार की जानकारी देगा।

(3) डायरी में यह प्रविष्टि करना आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी की जानकारी किसे दी गई है। पुलिस के प्रयोग से व्यक्ति के इस अधिकार का स्रोत अनुच्छेद 21 और 22 (1) है और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना यह समाधान करे कि इन अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

उपर्युक्त अपेक्षाओं का पालन गिरफ्तारी के सभी मामलों में तब तक किया जाएगा जब तक कि इस विषय में कानूनी उपबन्ध नहीं कर दिए जाते। ये अपेक्षाएं उन अधिकारों के अतिरिक्त होंगी जिनका कि कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति विभिन्न पुलिस नियमावलियों में हकदार है।

यह अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हैं। भारत के सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक इन अपेक्षाओं के उपयुक्त रूप से पालन किए जाने के बारे में आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त यह विभागीय अनुदेश भी जारी किया जाएगा कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को केस डायरी में गिरफ्तारी करने के आधार भी दर्ज करने चाहिए।"

तत्पश्चात् निर्णय, जिसका उल्लेख करना आवश्यक समझा है, डी॰के॰ बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (एआईआर 1997 एससी 610) इस निर्णय में न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णयों का उल्लेख करते हुए, गिरफ्तारी से संबंधित विधि का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और अंत में जो निदेश दिए गए हैं वे निम्नलिखित हैं :—

"अतः हम यह उचित समझते हैं कि, जब तक इस विषय में कानूनी उपबन्ध नहीं कर दिए जाते, निवारक उपायों के रूप में, निम्नलिखित निदेश जारी किए जाएं जिनका अनुपालन गिरफ्तारी या निरोध के सभी मामलों में किया जाए:—

(1) गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को अपने नाम और पदनाम के साथ सही पहचान और स्पष्ट पहचान के टैग लगाने चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कर्मचारियों के ब्यौरे, जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, एक रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए।

(2) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस क्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, सम्मानित व्यक्ति हो। ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति भी हस्ताक्षर करेगा और उसमें गिरफ्तारी का समय व तारीख लिखा जाएगा।

(3) वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है और पुलिस थाने में या पूछताछ केन्द्र में या अन्य लॉक-अप में अभिरक्षा में रखा जा रहा है, इस बात का हकदार होगा कि उसके किसी मित्र या संबंधी या जानकार किसी एक व्यक्ति को जो उसके कल्याण में हितबद्ध रहता है, यथासंभव, उसकी गिरफ्तारी की और उसे कहां रखा गया है इसकी जानकारी दी जाए, सिवाए तब जब गिरफ्तारी ज्ञापन को सत्यापित करने वाला साक्षी स्वयं ही गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का मित्र या संबंधी हो।

(4) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति की गिरफ्तारी का समय, स्थान और अभिरक्षा का स्थान पुलिस द्वारा, उस जिले के विधिक सहायता संगठन तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तार



किए गए व्यक्ति के मित्र या संबंधी को तार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा जब वे उस जिले या नगर से बाहर रहते हों तो जहां गिरफ्तारी की गई है और यह कार्य गिरफ्तारी के पश्चात् 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर ही पूरा किया जाएगा।

(5) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि जैसे ही गिरफ्तार या निरोध में लिए जाने के तुरंत पश्चात् अपनी गिरफ्तारी या निरोध की जानकारी किसी को दिए जाने का अधिकार है।

(6) निरोध के स्थान पर डायरी में व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति के उस मित्र का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, जिसे गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम व ब्यौरे भी लिखे जाने चाहिए जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है।

(7) गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक जांच भी, यदि वह ऐसा निवेदन करता है तो, उसकी गिरफ्तारी के समय की जानी चाहिए और उसके शरीर पर यदि कोई बड़ी या छोटी चोटें प्रकट होती हैं तो उनका उल्लेख भी उसी समय किया जाना चाहिए। "निरीक्षण ज्ञापन" पर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

(8) गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक जांच किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा, जो कि संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में से एक डॉक्टर है, अभिरक्षा में निरोध के दौरान हर 48 घंटे पर की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा निदेशक सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा पैनल तैयार करेगा।

(9) सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, जिनमें ऊपर उल्लिखित गिरफ्तारी ज्ञापन भी है, इलाका मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भेजी जानी चाहिए।

(10) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, और आवश्यक नहीं है कि समस्त पूछताछ के समय, अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

(11) सभी जिलों में और राज्य मुख्यालयों में पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां गिरफ्तार किए गये व्यक्ति की गिरफ्तारी और अभिरक्षा के स्थान के बारे में जानकारी, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी से 12 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए तथा यह जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक सहज दृश्य पुलिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

यदि ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई चूक होती है तो संबंधित अधिकारी न केवल विभागीय कार्यवाही के लिए दायी होगा अपितु वह न्यायालय की अवमानना के लिए दण्डित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा तथा न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही देश के ऐसे किसी भी उच्च न्यायालय में संस्थित की जा सकती है जिसका उस विषय में क्षेत्राधिकार है।

ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं का स्रोत संविधान का अनुच्छेद 21 और 22 (1) है अतः उनका पूरी तरह से पालन किया जाना आवश्यक है। अतः यह अपेक्षाएं अन्य ऐसे सरकारी अभिकरणों पर भी समान रूप से लागू होंगी जिनका उल्लेख इससे पूर्व किया गया है।

ये अपेक्षाएं संवैधानिक और कानूनी रक्षोपायों के अतिरिक्त हैं और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और अभिरक्षा की सुरक्षा के संबंध में न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए विभिन्न अन्य निदेशों पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं।

ऊपर उल्लिखित अपेक्षाएं प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को भेजी जानी चाहिए और उन पर यह बाध्यता होगी कि वे उन्हें अपने प्रभार के अधीन सभी पुलिस थानों को परिचालित करें तथा प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर किसी सुस्पष्ट स्थान पर अधिसूचित करें। यह और भी उपयोगी होगा और व्यापक हित में होगा कि इन अपेक्षाओं को आल इण्डिया रेडियो पर प्रसारित किया जाए तथा दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाया जाए और जनसाधारण की जानकारी के लिए इन अपेक्षाओं को स्थानीय भाषा में पैम्फलेटों द्वारा प्रकाशित और वितरित किया जाए।

संपर्क रूप में गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में प्रवृत्ति पैदा) करना अभियोजन पक्षों के दृष्टिकोण से सूचना की दिशा में तथा न्यायपालिका और उपचारात्मक की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आशा की जाती है कि ये आरोपित पूछताछ और अन्वेषण के दौरान सामान्य पाये जाने वाले अमानवीय तरीकों को प्रयोग कर, जिसके कारण अभिरक्षा के दौरान अत्याचार होते हैं, रोकने में सहायक होंगे पर यह उन्हें पूर्ण रूप समाप्त न कर पाएं।"

यह एक परिचर्चा का विषय है कि ये सभी विवेक और मार्गदर्शक सिद्धांत द्वारा स्थिति में सुधार लाते हैं या नहीं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में और यहां बड़ी संख्या में नागरिक निर्धन, निरक्षर और असहाय हैं।



अध्याय 4

## संबंधित विषय पर भारत के विधि आयोग तथा अन्य निकायों की पूर्ववर्ती सिफारिशें

पुलिस द्वारा पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए शक्ति को नई शक्ति पर गत अनेक वर्षों के दौरान विधि आयोग तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग का ध्यान गया है। इस प्रकरण पर उनका उल्लेख करना उचित होगा।

अभिरक्षा संबंधी अपराधों से संबंधित सिफारिश। 152वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने इस प्रश्न पर अभिरक्षा अपराधों के संबंध में विचार किया और संहिता में कुछ संशोधन नए उपबंध अंतःस्थापित करने की सिफारिश की। इसने सिफारिश की कि धारा 41 की उपधारा (1) के पश्चात् एक नई उपधारा (1क) निम्नलिखित आशय के रूप जोड़ी जाए:

"41(1क). पुलिस अधिकारी को, जो इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, निम्नलिखित बातों के संबंध में युक्तियुक्त रूप से समाधान होना चाहिए और ऐसे समाधान को अभिलिखित करना चाहिए:—

(क) उस खंड में निर्दिष्ट परिवाद, जानकारी या संदेह के आधार पर यह मानना है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है और गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति की उसमें सहअपराधिता की संभावना है;

(ख) गिरफ्तारी इस दृष्टि से आवश्यक है कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के आचरण पर रोक लगाई जाए जिससे कि मामले में सुनवाई की संभावना बढ़े या गिरफ्तार किए जाने वाले को विधि की प्रक्रिया से भागने से निवारित किया जा सके या ऐसे अपराध का समान करने पर सामान्यतया उसकी स्वतंत्रता में लिप्त रहने से विरत किया जा सके।"

दूसरा सुझाव, जोगिन्दर कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से एक नई धारा 50क अंतःस्थापित करने के बारे में था। प्रस्तावित नई धारा निम्नलिखित रूप में थी:

"50क. गिरफ्तार होने की सूचना—जहां गिरफ्तारी धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन की जाती है, पुलिस अधिकारी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तार होने की सूचना जारी कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना जारी करने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष या किसी ऐसे स्थान पर उपसंजात हो जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी की जांच में सहयोग करे।

(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है तो वहां उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का पालन करे।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का पालन करता है तथा करता रहता है तब उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध की बाबत तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति किसी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो सक्षम न्यायालय द्वारा इस निमित्त पारित किया गया हो, उसे गिरफ्तार करना विधिपूर्ण होगा।"

विधि आयोग की 152वीं रिपोर्ट में तीसरा सुझाव निम्नलिखित रूप में एक नई धारा 50क अंतःस्थापित करने का था।

"50क (1) जब भी कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तब पुलिस अधिकारी उस गिरफ्तारी की जानकारी [illegible] निरुद्ध किए जाने के स्थान के बारे में जानकारी के साथ तत्काल निम्नलिखित

व्यक्ति को भेजी जाएगी–

(क) गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार [illegible] या कोई अन्य व्यक्ति जिसे गिरफ्तार व्यक्ति नामनिर्दिष्ट करे।

(ख) जहां (क) में [illegible] स्थानीय विधिक सहायता समिति।

(2) ऐसी जानकारी, जैसी सुविधा हो, [illegible] टेलीफोन द्वारा, भेजी जाएगी और पुलिस अधिकारी द्वारा यह तथ्य कि ऐसी जानकारी भेज दी गई है गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर के अधीन अभिलिखित की जाएगी।

(3) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का [illegible] तलाशी पत्रक तैयार करेगा [illegible] उसके द्वारा तथा उस स्थान के, जहां गिरफ्तारी की गई है, दो साक्षियों के हस्ताक्षर [illegible] किए जाएंगे और उसे गिरफ्तार व्यक्ति को [illegible] यदि वह गिरफ्तारी के समय उपस्थित है, [illegible] उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति को गिरफ्तारी की जानकारी के साथ भेज देगा।

(4) उपधारा (3) में उल्लिखित तलाशी पत्रक में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी: –

(i) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम तथा उसके पिता अथवा पति का नाम;

(ii) गिरफ्तार व्यक्ति का पता;

(iii) अपराध की तारीख, समय और स्थान;

(iv) अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी की गई है;

(v) गिरफ्तार व्यक्ति से गिरफ्तारी के समय [illegible] में ली गई सम्पत्ति, यदि कोई हो, और [illegible]

(vi) कोई शारीरिक क्षति जो गिरफ्तारी के समय [illegible] हो।

(5) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से [illegible] के समक्ष उसके विधि व्यवसायी की उपस्थिति रहने की अनुमति दी जाएगी।

(6) जैसे ही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस थाने लाया जाता है, पुलिस अधिकारी उस थाने की विषय-वस्तु की जानकारी देगा और पुलिस डायरी में निम्नलिखित तथ्यों की प्रविष्टियां करेगा:–

(क) वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है;

(ख) यह तथ्य कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस धारा की विषय-वस्तु की जानकारी दे दी गई है; और

(ग) यह तथ्य कि [illegible] तैयार किया गया है जैसा कि इस धारा में अपेक्षित है।"

पांचवें सुझाव एक नई धारा, धारा 57क, निम्नलिखित रूप में अंतःस्थापित करने से संबंधित था:

57क. [illegible] का कर्तव्य

जब किसी धारा के [illegible] गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब मजिस्ट्रेट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से [illegible] कि क्या ......(गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पर [illegible] आदि के संबंध में [illegible] संबंधित धाराएं [illegible]) के उपबंधों का अनुपालन किया गया है और गिरफ्तार व्यक्ति [illegible] में भी [illegible] अभिलिखित करेगा।"

विधि आयोग ने [illegible] के विषय में अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्त्रियों की गिरफ्तारी [illegible] एक नई धारा 46क [illegible] की सिफारिश की थी। प्रस्तावित नई धारा निम्नलिखित प्रारूप की थी:

"46क. स्त्रियों की गिरफ्तारी–(1) जहां [illegible] के अधीन गिरफ्तार किया जाना है वहां, जब तक कि परिस्थितियां [illegible] अपेक्षित न करें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना या [illegible]



[illegible] में समर्पण को उपधारित की जायेगी और जब तक कि परिस्थितियों से अन्यथा अपेक्षित न हो [illegible] गिरफ्तार करने के लिए [illegible] बल का प्रयोग नहीं करेगा।

(ii) [illegible] परिस्थितियों में के सिवाय, कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए [illegible] की पंक्ति से [illegible] पंक्ति के ठीक वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा, [illegible] अभिप्राप्त करेगा या यदि मामला अत्यन्त आवश्यक है तो वह गिरफ्तारी करने के पश्चात् मामले की रिपोर्ट अपने ऐसे ठीक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, गिरफ्तारी के कारणों सहित और अपेक्षित रूप में पूर्व अनुज्ञा न लेने के कारणों, [illegible] लिखित रूप में [illegible] रिपोर्ट करेगा और वैसी ही रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को भी करेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह गिरफ्तारी की गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सिफारिश के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में धारा 46 की उपधारा (4) [illegible] में अंतःस्थापित की गई थी किन्तु [illegible] यह विधेयक अभी तक विधि नहीं बना है। धारा 46 की उपधारा (4), जिसे विधेयक में अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव था, निम्नलिखित रूप में थी:

"(4) सिवाय असाधारण परिस्थितियों में, कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए ठीक वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा, या यदि मामला अत्यन्त आवश्यकता का है तो वह गिरफ्तारी के कारणों और लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा न लेने के कारणों सहित मामले की रिपोर्ट अपने ठीक वरिष्ठ अधिकारी को तुरन्त करेगा और वैसी ही रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को भी करेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह गिरफ्तारी की गई है।"

विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में इस प्रश्न की तथा कुछ अन्य प्रश्नों की जांच की। [illegible] विषय पर विधि आयोग की पूर्ववर्ती रिपोर्टें, [illegible] उच्चतम न्यायालय के निर्णय और [illegible] पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:—

(1) धारा 46(1) में निम्नलिखित रूप में एक परन्तुक का जोड़ा जाना:—

"परन्तु जहां इस संहिता के अधीन किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है तो जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल दर्शित न करें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसको अभिरक्षा में समर्पित करने की उपधारणा की जाएगी और जब तक परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षित न करें अथवा जब तक गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी महिला न हो, पुलिस अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर का स्पर्श नहीं करेगा।

(2) धारा 46 में एक नई उपधारा (4) का जोड़ा जाना, जैसाकि वास्तव में 1994 के (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित है।

(3) धारा 41 में निम्नलिखित रूप में एक नई उपधारा (3) का अंतःस्थापन:—

"41(3) इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का यह युक्तियुक्त समाधान अवश्य होना चाहिए कि गिरफ्तारी आवश्यक है तथा उसे इस समाधान को उपधारा (1) के प्रत्येक खण्ड के अंतर्गत आने वाले विषय की बाबत अभिलिखित करना चाहिए।

(4) एक नई धारा, धारा 41क को निम्नलिखित रूप में जोड़ा जाना चाहिए:—

"41क(1) पुलिस अधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को एक सूचना जारी करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा होगी कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर हाजिर हो और अन्वेषण के लिए उपलब्ध रहे तथा उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना में दी गई शर्तों का पालन करे।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति सूचना की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार करना पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।"

[illegible] विधियों के पुनरीक्षण पर अपनी 177वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने प्रत्येक उपबंध को अंतःस्थापित करने की सिफारिश करते हुए विभिन्न सुसंगत न्यायिक निर्णयों और मामलों का पता लगाया था। इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को दोहराना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनमें से अधिकांश का संबंध गिरफ्तारी पूर्व प्रक्रमों से है और वह भी [illegible] परिस्थितियों और मामलों के संबंध में है।

## राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट (जनवरी 1980) में की गई सिफारिशें

गिरफ्तारी से संबंधित विधि पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अध्याय 22—'पुलिस में भ्रष्टाचार' में विचार किया है। इस सम्बन्ध की निम्न बातों पर संक्षिप्त रूप से ध्यान देना उचित होगा।

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पुरानी दुःखदायी स्थिति है "क्योंकि अन्य विभागों की भी भ्रष्टाचार है उसकी तुलना में पुलिस में शोषण और अत्याचार की बहुलता है— "विधि प्रवर्तन अधिकरण के रूप में पुलिस को प्रदान करता है की विशेष शक्तियों के असद्भावपूर्ण प्रयोग और उसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के लिए अधिक अवसर हैं जिस पर पुलिस आयोग 1902-03 ने ध्यान आकर्षित किया था। अंग्रेजी शासन की अवधि में भ्रष्टाचार था। पुलिस सहित सभी सरकारी अधिकारों की निर्णायक शक्ति इस सीमित रूप में थी अतः जन साधारण को प्रशासन से दूर रखा था। एक अर्थ में अंग्रेजों को जन सम्पर्क से नौकरशाही के निरंकुशता की पूर्णतः संरक्षण प्राप्त था किन्तु वे कार्मिकों के प्रति पूरी तरह सतर्क थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ गए क्योंकि युद्ध कार्यों पर, जिसके अंतर्गत आपूर्ति और ठेके भी थे, सरकारी व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न पुलिस आयोगों ने भी पुलिस विभाग में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है।

पुलिस की दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार तथा संदेहास्पद व्यवहार के अवसर होते हैं जो मामलों को पंजीकृत करने से प्रारंभ होकर गिरफ्तार करने या न करने, जमानत मंजूर करने, विविध विभागों से हस्तक्षेप करने, झूठे मामले बनाने तथा व्यक्तियों को इनमें फंसाने आदि तक जाता है।

गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस अधिकारियों में भ्रष्टाचार तथा शोषण का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है। किसी संज्ञेय अपराध पर पुलिस द्वारा मामला पंजीकृत करने के साथ ही किसी भी व्यक्ति को उस परिवाद के आधार पर अथवा संयुक्त प्रथम किसी विश्वसनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। <u>धारा 41 (1) (क) के अंतर्गत पुलिस को बिना किसी प्रतिबंध के व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं</u>। यद्यपि ऐसी गिरफ्तारियाँ केवल भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराधों के लिए ही नहीं अपितु स्थानीय और अन्य विधियों के अधीन अपराधों के लिए भी की जाती हैं। स्थानीय विधियों का संबंध अधिकांशतः उत्पाद शुल्क, प्रतिषेध, आयुध, जुआ, संक्रामक बीमारियों को रोकने और अनैतिक व्यापार अधिनियम आदि से है। इनमें से अधिकांश गिरफ्तारियाँ पुलिस को परिस्थिति में कार्य करते समय स्वयं की जानकारी और सूचना के आधार पर अथवा शिकायतों के आधार पर की जाती हैं। एक राज्य में 1974-76 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान की गई गिरफ्तारियों की गुणवत्ता की जांच (राष्ट्रीय पुलिस आयोग) द्वारा किए गए व्यवहारात्मक अध्ययन से निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होती है।

| | 1974 | %age | 1975 | %age | 1976 | %age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या | 150,441 | | 155,954 | | 145,940 | |
| 2. भा.द.सं. के संज्ञेय अपराधों की संख्या | 3,950 | 2.0 | 3,492 | 2.2 | 2,856 | 1.8 |
| 3. उन मामलों की संख्या जिनमें मुख्य कार्यवाहियाँ आरंभ की गईं | 40,915 | 27.3 | 46,069 | 29.6 | 45,691 | 31.0 |
| 4. भारत पुलिस अधिनियम की सामान्य धारा के अधीन अभियोजनों की संख्या | 94,346 | 62.9 | 96,476 | 61.6 | 86,348 | 60.0 |
| 5. उन मामलों की संख्या जिनमें कार्यवाही बंद कर दी गई | 5,016 | 3.3 | 6,367 | 4.1 | 6,450 | 4.5 |
| 6. उन मामलों की संख्या जिनमें अन्वेषण किए गए | 7,038 | 4.6 | 3,954 | 2.5 | 3,158 | 1.5 |



(ये आंकड़े अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा उसके अनुलग्नक 2 में संयुक्त उन राज्यों और जिलों की पुष्टि करते हैं जो विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए हैं। यद्यपि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में दिए गए ये आंकड़े वर्ष 1974 से 1976 तक की अवधि के हैं किन्तु इन अनेक वर्षों में कोई विशेष या गुणात्मक परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। गिरफ्तारियों में से 62 से लेकर 65% तक नगर पुलिस अधिनियमों के अंतर्गत मामूली अपराधों के लिए की गई थीं और लगभग 27 से 31% तक गिरफ्तारियां "सुरक्षा कार्यवाहियों", अर्थात् धारा 41 (2) के साथ पठित धारा 109 और 110 के अंतर्गत की गई थीं जो दण्ड प्रक्रिया की धारा 107/108 के अंतर्गत कार्यवाहियों में लिप्त व्यक्तियों की संख्या थी। बहुत कम गिरफ्तारियां, अर्थात् 2% के लगभग, भा.दं.सं. के अपराधों के लिए की गई थीं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि <u>"गिरफ्तारियों में से अधिकांश मामूली साधारण अपराधों से संबंधित थीं। अतः उन्हें अपराधों की रोकथाम की दृष्टि से कतई आवश्यक नहीं माना जा सकता।</u>

इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के निरोध पर जेल में निरोध पर व्यय होता है उसके राजकोष पर भार पड़ता है। आयोग का अनुमान है कि <u>संबंधित जेलों में व्यय का 43.2 प्रतिशत केवल ऐसे कैदियों पर हुआ था जिन्हें, यदि पुलिस रूप से विश्लेषण किया जाए तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता ही नहीं थी</u>। पुलिस का यह अभिप्राय। किसी न किसी रूप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के भय से जन्म लेता है। यह सामान्य बात है कि झूठे आपराधिक मामले केवल गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता के कहने पर विपक्षी दुश्मनों को परेशान करने के लिए और उन्हें अपमानित करने के लिए, भ्रष्टाचार के कारणों से पुलिस की सहायता से बनाए जाते हैं।"

दं.प्र.सं. में दी गई संज्ञेय अपराध की परिभाषा आपत्तिजनक है। "अपराध को संज्ञेय या असंज्ञेय माना जाना चाहिए या नहीं इसका निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि उस अपराध का अन्वेषण पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना करना अपेक्षित है या नहीं। अपराध में इसका सफल अन्वेषण करने की पुलिस की क्षमता ऐसी नहीं है कि गिरफ्तार करने की शक्ति गिरफ्तारी का प्रश्न तब उठता है जब अन्वेषण आरंभ कर दिया जाता है तथा अन्वेषण की संपूर्ण कार्यवाही में गिरफ्तारी एक आनुषंगिक कार्यवाही है। 1973 में दं.प्र.सं. का संशोधन करते समय, प्रथम अनुसूची में इसका विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं था कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय और केवल इस तथ्य का उल्लेख था कि पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है अथवा नहीं। इस तर्क विशेष स्थिति को स्पष्ट सुधार किया गया 1973 में दं.प्र.सं. में संशोधन किया गया और प्रथम अनुसूची को स्तम्भ 4 में प्रत्येक अपराध को संज्ञेय या असंज्ञेय प्रकृति का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया। प्रथम अनुसूची का यह संशोधन इसलिए हुआ कि धारा 2 (ग) में संज्ञेय अपराध की परिभाषा में प्रतिबिम्बित होने से छूट गया था और उसमें अभी भी वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति का उल्लेख बना हुआ है जबकि वास्तव में प्रथम अनुसूची में इस प्रकार ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अतः हम सिफारिश करते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ग) में संशोधन करके उसे निम्नलिखित रूप दिया जाए:

"(ग) "संज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में इस रूप में विनिर्दिष्ट है तथा "संज्ञेय मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध से उत्पन्न हुआ है अथवा ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है।"

इसी प्रकार दं.प्र.सं. की धारा 2 (1) का संशोधन करके निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है:

"(1) "असंज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में इस रूप में विनिर्दिष्ट है और "असंज्ञेय मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो ऐसे अपराध से उत्पन्न हुआ है।"

उपर्युक्त संशोधन दं.प्र.सं. की धारा 41 और धारा 157 के अधीन पुलिस अधिकारियों को उसके अधीन बलपूर्वक गिरफ्तार करने की शक्ति को किसी भी प्रकार से कम नहीं करेंगे किन्तु इस तथ्य पर बल देंगे कि किसी मामले को इस कारण संज्ञेय नहीं माना जाएगा कि गिरफ्तार करने की शक्ति विद्यमान है अपितु इस कारण संज्ञेय माना जाएगा कि पुलिस के पास मामला अन्वेषण करने की क्षमता है।

दं.प्र.सं. की धारा 170 में भी संशोधन की आवश्यकता है। व्यवहार में पुलिस तथा कुछ मजिस्ट्रेट यह मानते हैं कि जब पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करे तब अभियुक्त को अभिरक्षा में अग्रेषित किया जाना चाहिए। यह धारणा गलत है। अभियुक्त को ऐसे समय पर अभिरक्षा [illegible] आवश्यक नहीं है। अतः धारा 170 की

उपधारा (1) में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाना चाहिए:—

| | |
|---|---|
| ''जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब अभियुक्त और साक्षियों को मजिस्ट्रेट के लिए भेजना। | 170(1). यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है जिससे मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति द्वारा अधिकथित रूप से किए गए किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संज्ञान लेने के लिए एक रिपोर्ट भेजी जाए तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति से, यदि वह अभिरक्षा में नहीं है तो, मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन, उपसंजात होने और दिन-प्रतिदिन, जैसा कि मजिस्ट्रेट निदेश दे, उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति लेगा।'' |

संज्ञेय मामलों में गिरफ्तारियाँ करने की आवश्यकता के बारे में पुलिस का जो विवेक प्रतिष्ठित है उसके अतिरिक्त कतिपय स्थितियों में लोक तथा [illegible] और अन्यों के दबाव के कारण प्रायः गिरफ्तारियाँ केवल इसलिए की जाती हैं जिससे कि पुलिस के [illegible] की छवि बनी रहे। यह आवश्यक है कि [illegible] तथा विधायक इस बात को अनुभव करें कि उन्हें पुलिस पर इस प्रकार से दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे दबाव के परिणामस्वरूप अनेक अनावश्यक या अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियाँ की जाती हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में अधिकथित गिरफ्तारी करने संबंधी मार्ग निर्देश

''22.18. यद्यपि विधि-व्यवस्था तथा अपराध समस्याओं को प्रभावी रूप से हल करने में पुलिस को समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसको गिरफ्तार करने की पर्याप्त शक्तियाँ उपलब्ध की जाएं किन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि गिरफ्तारियाँ करने के संबंध में कुछ मार्ग निर्देश अधिकथित करना उपयोगी होगा।

संज्ञेय मामले के अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायोचित मानी जा सकती है:—

(i) मामले में गम्भीर अपराध अन्तर्वलित है और साक्षियों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए और अभियुक्त की हलचलों को [illegible] करने के लिए उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है;

(ii) अभियुक्त के फरार होने की संभावना है और वह विधि की प्रक्रिया से अपने आप को बचा सकता है;

(iii) अभियुक्त हिंसात्मक आचरण वाला है और जब तक उसकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाती उसके और अपराध करने की संभावना है;

(iv) अभियुक्त अभ्यासिक अपराधी है और जब तक उसे अभिरक्षा में नहीं रखा जाता उसके पुनः समान अपराध करने की संभावना है;

(v) कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें अन्वेषण के दौरान या उसके अंत में अभियुक्त से, पैरा 22.26 में यथा प्रस्तावित दं.प्र.सं. की धारा 170 के संशोधित रूप में अनुध्यात [illegible] बंधपत्र लिया जाए और उसे औपचारिक ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जाए। [illegible] ऐसी विधि-व्यवस्था से गिरफ्तारियों से [illegible] में पर्याप्त कमी हो जाएगी।''।

निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के द्वारा हम यह और देख सकेंगे कि गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी मामले में गिरफ्तारी करने के कारणों को विशेष रूप से विनिर्दिष्ट [illegible] अपने अनुपालन को स्पष्ट करेगा।

धारा 170 में गिरफ्तारी को कम करने के लिए [illegible] संबंधी उपबंधों का संशोधन करना भी आवश्यक था। यह सुझाव दिया गया था कि संहिता की धारा 437 में उपधारा (3) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़कर संशोधित किया जाए:



''परन्तु न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जमानत पर निर्मुक्त करने का आदेश देने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर सम्यक् ध्यान देगा:—

(क) ऐसे व्यक्ति की निर्मुक्ति के कारण लोक व्यवस्था और लोक शांति पर सम्भावित प्रभाव, और

(ख) किसी पूर्व अपराध या मामले पर निर्मुक्ति के पश्चात् ऐसे व्यक्ति का आचरण,

जिसकी ओर उस मामले का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जाए जिस मामले के संबंध में उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया था।''

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994, 1994 के विधेयक सं. 35 की सुसंगत [illegible]
(9 मई 1994 को राज्य सभा में पुरःस्थापित)

1994 में भारत सरकार (गृह कार्य मंत्रालय) ने दं.प्र.सं. में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया था। इसमें संहिता के 46 उपबंधों में और उसकी अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची की कुछ प्रविष्टियों में भी, संशोधन करने की योजना की गई थी। भा.दं.सं. के भी कुछ उपबंधों में संशोधन चाहा गया था। विधि आयोग को मालूम है कि उक्त विधेयक गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उसने उस पर अपनी रिपोर्ट 19 फरवरी 1996 को प्रस्तुत कर दी थी। उक्त विधेयक में सम्मिलित अनेक उपबंधों पर टिप्पणियाँ की हैं जिनका उल्लेख, जहां तक सुसंगत है, इसमें इसके पश्चात् किया जाएगा। यह विधेयक अभी तक राज्य सभा या लोक सभा द्वारा पारित नहीं हुआ है।

इस विधेयक में अन्य उपबंधों के साथ-साथ, धारा 45 और 46 में संशोधन करने तथा एक नई धारा 50क जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें धारा 41 का संशोधन करने और एक नई धारा 53 का संशोधन करने और एक नई धारा 53 जोड़ने का भी प्रस्ताव है। धारा 54 में संशोधन करने और एक नई धारा 54क अंतःस्थापित करने की योजना भी की गई है। (ये संशोधन संहिता के अध्याय 5 में प्रस्तावित हैं जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में है)। यह विधेयक अध्याय 12 के [illegible] में भी संशोधन करना चाहता है जिसका शीर्षक ''पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां'' है। केवल दो धाराओं, अर्थात्, धारा 172 और धारा 176 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है। प्रथम अनुसूची का संशोधन भी अपेक्षित है।

धारा 45 में प्रस्ताव है कि संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों को धारा 41 से धारा 44 तक के अधीन तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार की सम्मति प्राप्त नहीं कर ली जाती। धारा 45 की उपधारा (2) राज्य सरकारों को उपधारा (1) के उपबंधों को (1) [illegible] बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों पर, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए'' विस्तारित करने के लिए सशक्त करती है। संशोधन विधेयक का खंड 6 ''बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों'' शब्दों के पश्चात् '' अथवा ऐसे अन्य लोक सेवकों'' शब्द जोड़ना चाहता है। (संसदीय समिति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हम संसदीय समिति की राय से आदरपूर्वक सहमत हैं।)

धारा 46 यह विहित करती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। इसकी उपधारा (1) में कुछ शब्द जोड़कर संशोधन करने की अपेक्षा की गई है जिस पर हम आगे उपधारा (1) का उल्लेख करेंगे। धारा 46 में एक नई उपधारा, उपधारा (4) अंतःस्थापित करने की अपेक्षा भी की गई है जो निम्नलिखित रूप में होगी:—

''(4) सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा, या यदि मामला अत्यंत आवश्यकता का है तो वह गिरफ्तारी करने के पश्चात् गिरफ्तारी के कारणों और ऐसी पूर्व अनुज्ञा न लेने के कारणों सहित मामले की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत करेगा और वैसी ही रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को करेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह गिरफ्तारी की गई है।'' (संसदीय समिति ने राय दी है कि यदि किसी स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले की जानी है तो ऐसी गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी तथा प्रत्येक मामले में स्त्री को गिरफ्तार करने से पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा प्राप्त की जानी चाहिए। हम संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए इस संशोधन की आदरपूर्वक सराहना करते हैं।)

धारा 50 के पश्चात् एक नई धारा 50क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो निम्नलिखित रूप में होगी:—

"50क. इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी की और उस स्थान की बाबत जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है, जानकारी ऐसे व्यक्ति को, जो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के लिए नामित किया जाए, तुरंत देगा"। (संसदीय समिति ने कुछ और उप धाराएं जोड़ने की सिफारिश की है। अभियुक्त का उसके मित्र या संबंधी को अपनी गिरफ्तारी की जानकारी दिए जाने का अधिकार। पुलिस पर यह दायित्व कि वह अभियुक्त को ऐसा अधिकार उपलब्ध होने के उक्त अधिकार की उसे जानकारी दे। उक्त तथ्यों को पुलिस डायरी में प्रविष्टि करना तथा मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है, यह कर्तव्य कि अपना समाधान करे कि उपरोक्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। इस संबंध में समिति द्वारा यथा उपान्तरित प्रावधान को विधायित करते हैं।)

विधेयक के खंड 9 द्वारा धारा 53 को वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापन प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित रूप में है:—

"(क) परीक्षा" के अंतर्गत रक्त, रक्तिम धब्बे, वीर्य, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बालों के नमूने और नाखून की कतरनों की परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षणों का किया जाना भी है, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है;

(ख) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।"। (संसदीय समिति ने यह उल्लेख किया है कि "लैंगिक अपराध" पद विस्तृत प्रयोग भारतीय दण्ड संहिता में किया गया है परन्तु वे परिभाषित नहीं हैं अतः "लैंगिक अपराध" पद का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। यह उपान्तरित संशोधन में आवश्यक है। इसकी 172वीं रिपोर्ट में लैंगिक अपराध उसके विभिन्न रूपों और अन्य आनुषंगिक विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है।)

संशोधन विधेयक के खंड 10 द्वारा एक नई धारा 53क अंतःस्थापित की जानी है। प्रस्तावित नई धारा निम्नलिखित रूप में है:—

"53क. (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, और ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्:—

(i) अभियुक्त का, और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है, नाम और पता।

(ii) अभियुक्त की आयु।

(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के चिह्न, यदि कोई हैं;

(iv) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।



(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो ऐसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।" (संसदीय समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि किसी प्राइवेट रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय परीक्षा केवल तब तक होनी चाहिए जब सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कोई अस्पताल स्थानीय अधिकारिता के भीतर उपलब्ध न हो।)

संशोधन विधेयक का खण्ड 11 विद्यमान धारा 54 की उपधारा (1) को पुनः संख्यांकित करने का तथा निम्नलिखित आशय की एक नई उपधारा जोड़ने का प्रस्ताव करता है जो निम्नलिखित रूप में होगी:—

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई परीक्षा की जाती है वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निवेदन किए जाने पर उसे देगा।" (संसदीय समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस उपधारा की अपेक्षा को आज्ञापक बनाया जाना चाहिए।)

विधेयक का खण्ड 12 एक नई धारा, धारा 54क, जोड़ना चाहता है जो निम्नलिखित रूप में है:—

"54क. जहां कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराध के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।" (संसदीय समिति ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की है।)

धारा 173, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, अध्याय 12 में आती है और उसका संशोधन करके एक नई उपधारा, उपधारा (2क), विद्यमान उपधारा (3) और (4) के बीच में जोड़ने का प्रस्ताव है। नई उपधारा निम्नलिखित रूप में है:—

"(2क) जहां धारा 320 के अधीन शमनीय किसी अपराध के संबंध में, अन्वेषण के अनुक्रम में, वह व्यक्ति, जिसके द्वारा उस धारा के अधीन अपराध का शमन किया जा सकता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखित में रिपोर्ट करता है, वहां ऐसा अधिकारी उपधारा (2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख करेगा और उस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा और, तद्परि, मामले के संबंध में धारा 320 के अधीन कार्यवाही करेगा मानो संबंधित अपराध के लिए अभियोजन ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष आरंभ किया गया था।" (संसदीय समिति ने इस प्रस्ताव का इस आधार पर अनुमोदन नहीं किया है कि इसका दुरुपयोग पक्षकारों को समझौता करने के लिए विवश करने के लिए किया जा सकता है।)

धारा 176 की उपधारा (1) में संशोधन करके शब्दों के "जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है, या" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है। उपधारा (1) के पश्चात् एक नई धारा (1क) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जो निम्नलिखित रूप में होगी:—

"(1क) जब,—

(क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, अथवा

(ख) किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है;

वहां उस दशा में, जब कि ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा में है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त, यथास्थिति, ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी।"

उपधारा (4) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व एक नई उपधारा, उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो निम्नलिखित शब्दों में होगी:—

[illegible]



## अध्याय 5

### इस अध्ययन की आवश्यकता और इसमें निहित सिद्धांत

[illegible]

[illegible]

[illegible] है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा [illegible] के [illegible] किए गए [illegible], जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट के अध्याय [illegible] में किया गया है, (और जिनका उल्लेख [illegible] अध्याय में भी किया गया है) अध्याय 1 में दिए गए [illegible] का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि [illegible] ने जो [illegible] अत्यन्त विस्तृत है और यह स्वाभाविक है कि [illegible] विचार-पत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। [illegible] रिपोर्टों के आधार पर [illegible] किया गया [illegible] है। इनमें से कुछ रिपोर्टों में [illegible] और [illegible] विश्वविद्यालय में [illegible] भी प्रस्तुत की गई हैं। उच्चतम न्यायालय के और विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनेक [illegible] निर्णय [illegible] है कि इस रिपोर्ट में [illegible] पुलिस [illegible] अनेक [illegible] भिन्न नहीं है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्टों में भी [illegible] और इस [illegible] में [illegible], [illegible] और [illegible] प्रयोग [illegible] की चर्चा की गई है। [illegible] न्यायालयों के [illegible] निर्णयों, विधि आयोग की रिपोर्टों में तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के लिए [illegible] करने और उसमें सुधार करने के उपायों के सुझाव दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह तर्क [illegible] नहीं किया जा सकता है कि विधि को इस [illegible] में सुधार [illegible] के लिए [illegible] और अधिक आंकड़े एकत्रित कर लिए जायें।

कुछ [illegible] एक [illegible] ने एक [illegible] भी [illegible] है और वह यह है कि वर्तमान [illegible] परिवर्तन करने के लिए उचित समय नहीं है। [illegible] किन्तु इसके समर्थन में कोई [illegible] नहीं दिए हैं। [illegible] राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में [illegible] के [illegible] स्वीकार [illegible] है कि [illegible] करने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। [illegible] हम अपने देश में [illegible], [illegible] स्थानीय [illegible] आतंकवाद का, सर्वाधिक शिकार है। [illegible] में विदेशी आतंकवादी [illegible] और पुलिस [illegible] के लिए सभी [illegible] का प्रयोग करते [illegible]। [illegible] है कि [illegible] विधि [illegible] के लिए [illegible] नहीं है और आतंकवाद विरोधी विधि [illegible] को ध्यान में रखते हुए [illegible] विधि आयोग [illegible] ने [illegible] अधिनियम के नाम से एक विधि बनाने की सिफारिश की थी अपनी 173वीं रिपोर्ट में [illegible] विधि की आवश्यकता [illegible] एक विधेयक का भी [illegible] किया था [illegible] के [illegible] है। [illegible] भी [illegible] 2001 की [illegible] की [illegible] पर [illegible]), [illegible] ने [illegible] अपने-अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों को और अधिक [illegible] किया है। [illegible] कि सन् 2000 [illegible] विधेयक [illegible] किया है उसी [illegible] कि देश में [illegible] सुरक्षा [illegible] आतंकवाद विरोधी कानून [illegible] है। इसके साथ ही हम इस बात पर [illegible] दे सकते हैं कि जिस प्रकार से आतंकवाद के विरुद्ध [illegible] आवश्यक है उसी प्रकार से देश की [illegible] विधि में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और विधि-व्यवस्था [illegible] चाहिए, [illegible] जानी चाहिए। एक [illegible] आतंकवाद विरोधी विधि तथा सामान्य मामलों को [illegible] विधि तथा आतंकवाद विरोधी विधि द्वारा [illegible] परिस्थितियों से [illegible] परिस्थितियों [illegible] कोई [illegible] नहीं है। [illegible] में आतंकवाद [illegible] ऐसी परिस्थिति [illegible] होगी जिसमें [illegible] अपने [illegible], राजनीतिक और [illegible] अधिकारों का [illegible] उपभोग कर सकेंगे।

एक अन्य [illegible] किए, [illegible] भी है कि पुलिस को [illegible] में कोई [illegible] करने से [illegible] को [illegible] पुलिस का [illegible] और [illegible] विधि-व्यवस्था [illegible] रूप से [illegible] रखने में [illegible] नहीं होगी। [illegible] यह [illegible] है कि [illegible] में पुलिस का [illegible] होना चाहिए, [illegible] विधि [illegible] बनाए रखने के लिए [illegible] आवश्यक है। [illegible] में, [illegible] है, [illegible] किसी [illegible] कार्य को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, [illegible] है। [illegible] होना चाहिए कि [illegible]



[illegible] न किया जाए। [illegible] इस बात का [illegible] है [illegible] पुलिस [illegible] विधि-व्यवस्था [illegible] है। आखिर पुलिस के भय का अर्थ क्या है? [illegible] गिरफ्तारी से [illegible] भय नहीं हो [illegible] और [illegible] किसी व्यक्ति को [illegible] करने से [illegible] जा सकता है। [illegible], [illegible] पुलिस के [illegible] किसी के [illegible] क्या है? [illegible] करने योग्य [illegible] है, यदि किसी [illegible] का [illegible] किया जा सकता है तो यह न्यायालय द्वारा [illegible] किए जाने [illegible] है।

[illegible] यह [illegible] है कि [illegible] और [illegible] कारण से गिरफ्तारी [illegible] कि अपराधी को [illegible] जा सकता है। यह तर्क भी [illegible] है। कोई अपराधी है या निर्दोष [illegible] न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए न कि पुलिस द्वारा। पुलिस [illegible] किसी अपराध का दोषी है, [illegible] नहीं [illegible]। [illegible] यह [illegible] है कि [illegible] में, [illegible] में आर्थिक वृद्धि के [illegible] और [illegible] की [illegible] के कारण अपराधों में [illegible] वृद्धि हो रही है। ऐसा हो सकता है। किन्तु [illegible] विधि में [illegible] परिवर्तनों [illegible] हो सकती है। [illegible] में, पुलिस का ध्यान गंभीर अपराधों तथा [illegible] अपराधों पर अधिक होना चाहिए और मामूली अपराधों पर [illegible] होना चाहिए। मामूली अपराधों के [illegible] व्यक्तियों को गिरफ्तार करने [illegible] प्रथा [illegible] के [illegible] कि वे न्यायालय के [illegible] होने चाहिए। [illegible] में, इस विषय में [illegible] न्यायालय का भी ध्यान गया है और उसने मामूली अपराधों और [illegible] अपराधों के मामलों में, [illegible] के [illegible], [illegible] अनुच्छेद 21 को [illegible] के कारण मामूली अपराधों की सुनवाई [illegible] रहती है और [illegible] है कि [illegible] के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विषय में [illegible] 1996 [illegible] 1616 तथा [illegible] 1997 [illegible] 1829 में रिपोर्ट [illegible] निर्णय [illegible] है। [illegible] इस [illegible] पर ध्यान दिया कि कुछ मामलों में [illegible] से अधिक [illegible] दोषी पाए जाने [illegible] दिया जा सकता था और [illegible] दोषी या निर्दोष नहीं पाया गया था। न्यायालय ने कहा है कि "[illegible] का [illegible] के [illegible] रूप में काम करता है.........यह आवश्यक प्रतीत होता है कि [illegible] के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है, सुरक्षित और प्रभावी करने के लिए [illegible] निर्देश [illegible] किए जाएं।"

[illegible] भारतीय दण्ड संहिता को [illegible] ([illegible]) के [illegible] के [illegible] में [illegible] ऐसा करना [illegible] नहीं [illegible] कि पुलिस के समक्ष किए गए [illegible] किए जाने के [illegible] पुलिस को [illegible] किए गए [illegible] के [illegible] किया जा सकता है [illegible] दिए गए हैं। [illegible] के [illegible] में ही [illegible] है और, जैसा कि आगे [illegible] जाएगा, यह एक [illegible] और [illegible] है।) [illegible] पुनः [illegible] है, हम यह [illegible] करना चाहते हैं कि [illegible] के [illegible] को [illegible] है [illegible] नहीं है। [illegible] भी [illegible] किया है। [illegible] उचित है। [illegible] है कि [illegible] और [illegible] है और उसमें [illegible] करने की आवश्यकता नहीं है।

[illegible] प्रक्रिया का उद्देश्य [illegible] के नागरिकों के [illegible] को [illegible] के [illegible] प्रक्रिया के औचित्य के प्रति [illegible] में आदर हो और [illegible] के [illegible] में [illegible] हो। [illegible] की [illegible] मूल्यों की [illegible] चाहिए, और एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण होना चाहिए [illegible] विधि [illegible] का [illegible] नाम दिया जाता है। [illegible] का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को [illegible] और [illegible] से [illegible] बिना [illegible] की [illegible] होना [illegible] जिन्हें [illegible] में [illegible] आवश्यक हो जाए। [illegible] प्रक्रिया [illegible] के [illegible] मूल्यों से [illegible] होनी चाहिए, [illegible] प्रक्रिया ऐसी [illegible], सुनिश्चित और निर्विवाद [illegible] की जानी चाहिए और साथ ही [illegible] में [illegible] होनी चाहिए। [illegible] विधि [illegible] और [illegible] के लिए [illegible] और [illegible] निर्देशक होने चाहिए।

अब हम (कार्यपत्र के) उन प्रस्तावों की संक्षिप्त आलोचना की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा असमानीय और [illegible] असमानीय और संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी के समय पर [illegible] और [illegible] नोटिस जारी करने की [illegible] प्रक्रिया को लागू करने हेतु [illegible] है। [illegible] (धारा 41) [illegible] अनुसूची के [illegible] (धारा 41), [illegible] प्रक्रिया पुलिस को अनुसूची के अनुसार संज्ञेय किन्तु जमानतीय अपराध है। जब पुलिस अधिकारियों के [illegible] दी जा [illegible] यदि कोई यह कहे कि पुलिस अधिकारी [illegible] और [illegible] पुलिस [illegible] गिरफ्तारी [illegible] पुलिस में जन साधारण का यह विश्वास कि पुलिस [illegible] नहीं [illegible] की [illegible] और [illegible] अभियुक्त का [illegible] किया है [illegible] पुलिस के सामने [illegible] अपराध [illegible] गिरफ्तारी की शक्ति के [illegible] अपराध पुलिस को [illegible] पुलिस अधिकारी को [illegible] प्राप्त होती है। [illegible] इस सम्बन्ध में [illegible] किया जा सकेगा:

(क) जहां पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की [illegible] प्राप्त होती है और अपराध [illegible] को रोकने का [illegible] उस व्यक्ति की गिरफ्तारी है (जो संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है), तो पुलिस अधिकारी [illegible] की धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है।

(ख) (i) जहां संज्ञेय अपराध पुलिस की उपस्थिति में किया जाता है या किया जा रहा है (जैसे कि [illegible] के साथ या उनके बिना [illegible]), पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर [illegible] करने के लिए [illegible] जिसने अपराध किया है या कर रहा है, यदि उस अपराध को या किसी अन्य संज्ञेय अपराध को करने या [illegible] है। [illegible] में, संहिता की धारा 149 [illegible] है। [illegible] अधिकारी [illegible] "किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के [illegible] से हस्तक्षेप कर सकता है और [illegible] [illegible] यदि अपराध जमानतीय है तो [illegible] उस व्यक्ति को [illegible] पुलिस [illegible] हो जाएगा।

(ii) इसी प्रकार से, यदि पुलिस अधिकारी यह देखता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है या क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहा है (धारा 152 देखिए) तो [illegible] है कि [illegible] निवारण करने के लिए आवश्यक [illegible] [illegible] सम्पत्ति [illegible] पुलिस [illegible] व्यक्ति को गिरफ्तार करने और, जहां आवश्यक हो वहां उसका [illegible] करने, की शक्ति प्राप्त हो [illegible] नहीं है कि अपराध संज्ञेय है या नहीं।

(ग) जहां पुलिस अधिकारी को अपराध हो जाने के पश्चात् उसकी जानकारी प्राप्त होती है वहां [illegible] अपराधी को गिरफ्तार करने की उसकी शक्ति भिन्न होनी चाहिए। [illegible] पुलिस अधिकारी को अपराध की जानकारी अपराध होने के पश्चात् या तो किसी से [illegible] मिलती है या [illegible] से मिलती है। ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित मार्ग अपनाना चाहिए:

(i) यदि अपराध जमानतीय है तो उसे इस बात के सिवाय और कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए कि वह पुलिस [illegible] दर्ज करे और [illegible] मजिस्ट्रेट के पास भेज दे जैसा कि संहिता की धारा 155 में [illegible] गया है।

(ii) यदि अपराध संज्ञेय है और [illegible] से अधिक 7 वर्ष के कारावास से दण्डनीय है तो पुलिस अधिकारी अपराध का अन्वेषण आरंभ कर सकता है, किन्तु गिरफ्तारी की [illegible] संहिता धारा 41 के [illegible]



[illegible] होती है जैसी कि इस रिपोर्ट में [illegible] की गई है। यदि अपराध [illegible] है तो यह स्पष्ट है कि अपराधी को [illegible] यदि उसने अपराधी को गिरफ्तार किया है;

(iii) यदि अपराध संज्ञेय है [illegible] से अधिक या [illegible] कारावास से अथवा मृत्युदण्ड से दण्डनीय है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जैसा कि संहिता के अध्याय 5 में [illegible] है।

[illegible] गिरफ्तारी [illegible] की जानी चाहिए जब आवश्यक हो। [illegible] किसी [illegible] के लिए पुलिस अधिकारियों में [illegible] अपराध [illegible] गिरफ्तारी [illegible] जैसे, हत्या, डकैती, [illegible] के विरुद्ध अपराध और महिलाओं के विरुद्ध [illegible] संज्ञेय अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी [illegible] गिरफ्तारी "निवारक" और "दण्डात्मक" [illegible] पुलिस [illegible] अपराध को [illegible] के लिए, [illegible] व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है या उस व्यक्ति [illegible] के लिए [illegible] अपराध के [illegible] के लिए और [illegible] गिरफ्तार करना आवश्यक है। "दण्डात्मक [illegible]" [illegible] गिरफ्तारी [illegible] को न्यायालय में [illegible] के लिए [illegible] है, जहां ऐसा आवश्यक है, या [illegible] अपराध के संबंध में [illegible] जाता है। अब हम इस समस्या को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें। [illegible] में से अधिकांश के [illegible] की सम्भावना नहीं है (जैसे [illegible] संज्ञेय अपराधों में जैसे, हत्या, डकैती, [illegible] के विरुद्ध अपराध आदि।) [illegible] यह प्रश्न रहता है कि क्या किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वह "किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है", विशेष रूप से जब कि अपराध पहले ही किया जा चुका है, अर्थात्, जहां अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नहीं किया गया है? ऐसे मामले [illegible] जिनमें व्यक्ति की गिरफ्तारी [illegible] प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं हो, उन मामलों के सिवाय गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जिनका [illegible] अपराधों से है, जैसे, हत्या और डकैती आदि [illegible] किया गया है। [illegible] अपराधों में [illegible] अर्थात् सात वर्ष तक दण्डनीय, अपराध, किसी [illegible] के भाग जाने की या गिरफ्तारी से बचने की या अपने निवास के सामान्य स्थान से भाग जाने की [illegible] कम है। ऐसे मामलों में [illegible] का नोटिस [illegible] पर्याप्त होना चाहिए। केवल वहीं जहां [illegible] की [illegible] नोटिस [illegible] और जहां यह विश्वास हो कि उसे गिरफ्तार करने में [illegible] व्यक्ति को [illegible] के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। [illegible] अध्याय का [illegible] हुए [illegible] कि यद्यपि [illegible] की [illegible] है कि पुलिस अधिकारियों को [illegible] प्रदान की जानी [illegible] किसी व्यक्ति को [illegible] में बाधा पहुंचाने की [illegible] सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

## अध्याय 6

### परामर्श पत्र में सम्मिलित प्रस्ताव तथा उन पर प्राप्त प्रत्युत्तर

विधि आयोग द्वारा जारी किए गए परामर्श पत्र में चर्चा के लिए प्रस्तुत [illegible] अध्याय 3 में दिए गए हैं। ये प्रस्ताव संक्षेप में निम्नलिखित आशय के हैं :

(1) [illegible] में जिन अपराधों को [illegible] किया गया है उनके लिए कोई [illegible] नहीं किए जाने चाहिए और न गिरफ्तारी की जानी चाहिए। "[illegible]" शब्द में [illegible] करना होगा। ऐसे मामलों में अपराधी को केवल समन भेजा जा सकता है और उसकी [illegible] पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी [illegible] अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। (3.1.1.)

(2) [illegible] में [illegible] और [illegible] के रूप में विनिर्दिष्ट [illegible] की दशा में, उन अपराधों के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी (सिवाए उन कतिपय अपराधों के लिए जो परामर्श पत्र के उपाबंध 4 में [illegible] विनिर्दिष्ट हैं) गिरफ्तारी [illegible] की जा सकती है [illegible] के आधार हैं कि अपराधी के [illegible] हो जाने की संभावना है और [illegible] करना [illegible] व्यक्ति एक आभ्यासिक अपराधी है। इस प्रवर्ग के संबंध में "जमानतीय" शब्द को लोप किया जा सकता है। (3.1.2.)

(3) परामर्श पत्र के उपाबंध 3 में [illegible] अपराध, जो [illegible] के कारावास से दण्डनीय हैं (इन अपराधों के विषय की धारा 124, 152, 216क, 231, 232, 234, 237, 238, 255, 258, 260, 295, 298, 405, [illegible], 410, 466, 481, 489क और 489ख, के अंतर्गत दण्डनीय हैं) किसी [illegible] और [illegible] के रूप में वर्गीकृत किया गया है, [illegible] संज्ञेय अपराध नहीं होने चाहिए [illegible] कार्यवाही की जानी चाहिए। (3.1.3)

(4) [illegible] में [illegible] के संदेह के आधार मात्र पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। (3.1.4)

(5) [illegible] के विरुद्ध में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संहिता में सम्मिलित किया जाना चाहिए। (3.3)

(6) [illegible] गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को पुलिस थाने पर जाने का हक दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अवैध गिरफ्तारियों [illegible] की [illegible] कर सकें। (3.4)

(7) [illegible] के संबंध में [illegible] अधिकार (जो [illegible] के सिद्धांत को संहिता में सम्मिलित किया जाना चाहिए। (3.5)

(8) [illegible] की धारा 41 (2) के साथ पठित धारा 107 से धारा [illegible] के अधीन कोई गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिएं। (दं० प्र० सं० की धारा 151 में [illegible] करने का [illegible] नहीं है)। (3.6)

(9) गंभीर अपराधों के मामलों के सिवाए (जैसे, [illegible], डकैती, [illegible] बलात्कार और [illegible] के विरुद्ध अपराधों के सिवाए), अन्य अपराधों की दशा में सामान्य [illegible] मंजूर की जानी चाहिए [illegible] यह लगता है कि अपराधी [illegible] सकता है और गिरफ्तारी से उसे [illegible] अपराध करने से निवारित करने के लिए ऐसा आवश्यक है। (3.7)

(10) केवल पूछताछ करने के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और न किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाना चाहिए। (3.8)

(11) निरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा और क्षेम सुनिश्चित करना [illegible] अधिकारी का उत्तरदायित्व है और इस संबंध में लापरवाही के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। (3.9)



(12) [illegible] पुलिस थाने पर [illegible] उपलब्ध रहना चाहिए जिसमें [illegible] और [illegible] संघों के सदस्यों तथा अन्य अधिकारी से [illegible] गैर सरकारी [illegible] संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए छूट दी जानी चाहिए। (3.10)

(13) [illegible] के अनुकूल में [illegible] विधि में [illegible] करने की आवश्यकता है। (3.11)

(14) दं० प्र० सं० की धारा 172 के [illegible] से अनुपालन [illegible] किया जाना चाहिए। (3.12)

### परामर्श पत्र में उठाए गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर

दिल्ली सेमीनार : विधि आयोग ने दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में तीन सेमीनार आयोजित की थीं। दिल्ली में आयोजित सेमीनार में दो भिन्न-भिन्न और एक दूसरे से सर्वथा विपरीत दृष्टिकोण सामने आये। एक दृष्टिकोण तो पुलिस अधिकारियों का था (जिन [illegible] का [illegible] करेंगे) और दूसरा दृष्टिकोण [illegible] के [illegible] संगठनों के प्रतिनिधियों का था। प्रथम दृष्टिकोण की [illegible] की [illegible] ने की थी। उनका कहना था कि अपराधों की संख्या के अनुपात में [illegible] की संख्या [illegible] में [illegible] रही है। [illegible] गिरफ्तारी से संबंधित विधि में परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसे कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं जो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग या दुरुपयोग के बारे में हों। [illegible] कार्यवाही है जिसका उपयोग पुलिस कर सकती है और इस शक्ति में कटौती नहीं की जानी चाहिए। [illegible] में यदि कोई भय है तो गिरफ्तारी [illegible] में [illegible] है। उन्होंने इस विचार का [illegible] में दिए गए मार्गदर्शकों को संहिता में सम्मिलित किया जाना चाहिए किन्तु इस विचार का विरोध किया कि गैर सरकारी संगठनों को पुलिस थानों में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। उनका सुझाव था कि [illegible] किसी [illegible] मामले से संबंधित [illegible] पुलिस थाने में जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। [illegible] विचार का [illegible] के [illegible] श्री [illegible] पुलिस [illegible] (जिसका एक अतिरिक्त सुझाव यह था कि पुलिस कर्मचारियों का [illegible] किया जाना चाहिए और उन्हें [illegible] और [illegible] प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए), [illegible] के पुलिस महानिरीक्षक श्री [illegible] (जिनकी [illegible] कि गिरफ्तारी से संबंधित विधि को [illegible] रूप में नहीं [illegible] [illegible] के भाग के रूप में [illegible] जाना चाहिए), [illegible] के पुलिस [illegible] श्री [illegible], [illegible] के भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक श्री [illegible], केन्द्रीय [illegible] के [illegible] श्री [illegible] और विधि [illegible] श्री [illegible] ने किया।

[illegible] प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री [illegible] विधि आयोग की [illegible] से सहमत थे, [illegible] 3.4 में [illegible] है (जो [illegible] गैर सरकारी संगठनों द्वारा पुलिस थानों [illegible] की [illegible] है)।

पुलिस [illegible] और [illegible] के [illegible] श्री [illegible] ने श्री [illegible] के विचारों का [illegible] करते हुए गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की [illegible] का [illegible] किया। [illegible] के [illegible] श्री [illegible] ने यह मत प्रकट किया कि [illegible] शक्ति के दुरुपयोग का [illegible] रूप में [illegible] है कि वे पुलिस अधिकारी जो [illegible] पुलिस शक्तियों का प्रयोग करते हैं न तो [illegible] रूप से शिक्षित हैं और न विधि के [illegible] के बारे में [illegible] रूप से प्रशिक्षित हैं और [illegible] अधिकार [illegible] सिद्धांतों का [illegible] है।

[illegible] के उच्च न्यायालय के [illegible] अधिवक्ता श्री [illegible] ने [illegible] का [illegible] के साथ [illegible] किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान, [illegible] गिरफ्तारी की [illegible] के बारे में और निरुद्ध व्यक्ति के साथ व्यवहार के बारे में [illegible] को रोकने के लिए उपाय अपनाए जाने चाहिए। उनका सुझाव था कि [illegible] से संबंधित विधि का [illegible] भी किया जाना चाहिए क्योंकि इसी विषय में [illegible] होता है। अभियुक्तों को [illegible] के दौरान [illegible] किए जाने चाहिए [illegible] का समय निश्चित किया जाए, अर्थात्, [illegible] 10 बजे से सायं 5 बजे तक और [illegible] को यह [illegible] करना चाहिए कि गिरफ्तारी के [illegible] किया जाए। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] के विरुद्ध का समर्थन किया और सुझाव दिया कि पुलिस की शक्ति के प्रयोग का पर्यवेक्षण करने के लिए एक निकाय का गठन किया जाना चाहिए। उनका एक सुझाव यह था कि [illegible] को [illegible] के पुलिस अधिकारियों और उच्चतर अधिकारियों के समक्ष की गई [illegible] साक्ष्य में ग्राह्य होनी चाहिए।

[illegible] के [illegible] में [illegible] का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि [illegible] में गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के लिए बलात्कार के मामले में या महिलाओं के प्रति अन्य अपराधों में तथा [illegible] मामलों और [illegible] वाले अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है और समय पर गिरफ्तारी से [illegible] प्राप्त हो जाता है। उन्होंने [illegible] कि [illegible] व्यक्तियों द्वारा अपराधों का [illegible] है [illegible] गिरफ्तारी का कोई [illegible] नहीं हो सकता। उन्होंने अनुभव किया कि अभिरक्षा में [illegible] 24 घंटे की अवधि और मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करने की विधि में [illegible] करने की आवश्यकता है तथा पुलिस [illegible] करने में [illegible] द्वारा [illegible] चाहिए।

[illegible] के विधि [illegible] भारतीय दण्ड संहिता में अपराधों के पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस ओर संकेत किया [illegible] की धारा 304 के अधीन [illegible] भी जमानतीय [illegible] क्योंकि [illegible] ये सब संभव नहीं है। उन्होंने [illegible] पुलिस कर्मचारियों की [illegible] नहीं होगा [illegible] कि [illegible] कोई समस्या नहीं [illegible]। [illegible] अपराध [illegible] पुलिस संगठन को दो भागों में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया, अर्थात्, एक अन्वेषण के लिए और दूसरा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए। [illegible] के [illegible] ने [illegible] का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए [illegible] गिरफ्तारी [illegible] गिरफ्तारियों का पुनर्विलोकन करने के लिए [illegible] डी.के. बसु में दिए गए मार्ग-निर्देशों को लागू करने के लिए पुलिस विभाग में [illegible] परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने अपराधों के पुनर्वर्गीकरण के विचार का समर्थन [illegible] कि [illegible] न्याय प्रणाली में [illegible] के [illegible] चाहिए। उन्होंने [illegible] की और गिरफ्तार व्यक्तियों के [illegible] ने [illegible] में भाग लिया [illegible] गए [illegible] का [illegible] किया [illegible] कि गिरफ्तारी संबंधी विधि में कोई [illegible] करने के लिए समय [illegible] नहीं है।

[illegible]

[illegible] के [illegible] सुझावों के संबंध में [illegible] प्रस्तुत [illegible]। [illegible] विश्वविद्यालय के प्रोफेसर [illegible] ने [illegible] के अपराधों का 'तुच्छ अपराध' और 'गंभीर अपराध' के रूप में पुनः वर्गीकरण करने का सुझाव दिया क्योंकि जमानतीय और अजमानतीय तथा संज्ञेय और असंज्ञेय के रूप में [illegible] है यह अपर्याप्त है। उन्होंने [illegible] ऐसे अनेक अपराधों की ओर संकेत किया [illegible] तुच्छ अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके अनुसार [illegible] गिरफ्तारियों को [illegible] में [illegible] और [illegible] का उल्लंघन होता है और [illegible] का उल्लंघन होता है। [illegible] ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 के उपबंधों का समर्थन किया जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, [illegible] के गिरफ्तारी संबंधी उपबंधों में संशोधन करने का सुझाव है। परामर्श पत्र के [illegible] पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पैरा 3.1 से 3.3 में [illegible] प्रस्तावों को [illegible] की धारा 41 में [illegible] संशोधन करके [illegible] किया जा सकता है [illegible] अपराधों को [illegible] के रूप में अजमानतीय अपराधों को [illegible] के रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने परामर्श पत्र में अन्य प्रस्तावों का समर्थन किया जिनमें [illegible] अपराधों को [illegible] की श्रेणी से हटाने का विचार भी है।

[illegible] के [illegible] ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध [illegible] की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि धारा 41 के अंतर्गत पुलिस द्वारा [illegible] की [illegible] चाहिए। उन्होंने पुलिस द्वारा [illegible] [illegible] कि [illegible] से प्रयोग किया जाता है। यद्यपि उन्होंने यह [illegible] किया कि उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे उनके व्यक्तिगत विचार हैं और उनके [illegible] के



[illegible] नहीं है [illegible], संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), दिल्ली पुलिस ने यह विचार व्यक्त किया कि विधि आयोग के [illegible] व्यावहारिक [illegible] नहीं होते हैं और [illegible] वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। उन्होंने [illegible] किया कि ऐसे [illegible] अपराध, जिनके बारे में विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि उन्हें संज्ञेय से असंज्ञेय के रूप में [illegible] के रूप में बदल दिया जाए, गंभीर अपराध हैं और ऐसा कोई [illegible] होगा और विधि-व्यवस्था [illegible] करने में पुलिस के लिए [illegible] नहीं होगा।

[illegible] (सेवा निवृत्त), [illegible] (केन्द्र) ने सामान्यतः विधि आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया और इस ओर [illegible] किया कि [illegible] कानूनी कर्तव्यों और बाध्यताओं का [illegible] रूप से पालन नहीं करते जिसके कारण अभियुक्त अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने [illegible] धारा 41 का संशोधन करने के विचार का समर्थन किया।

[illegible], भा.पु.से., पुलिस महानिदेशक ([illegible]) (अपराध शाखा), राजस्थान ने सुझाव दिया कि [illegible] अपराध, जैसे [illegible] तथा [illegible], [illegible] प्रदूषण और [illegible] जैसे संज्ञेय तथा जमानतीय अपराध बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ अन्य अपराध भी हैं जिन्हें संज्ञेय बनाए जाने चाहिए। उनका विशेष सुझाव था कि धारा [illegible], जो वर्तमान में संज्ञेय अपराध है, [illegible] अपराध के रूप में परिवर्तित की जानी चाहिए।

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] न्यायालय की [illegible] ने परामर्श पत्र के सुझावों का आमतौर पर समर्थन किया। तथापि, उन्होंने [illegible] पर बल दिया जो [illegible] में [illegible] दिखाई देता है। उन्होंने संकेत किया कि पुलिस अधिकारियों को [illegible] के लिए राजनैतिक दबाव और प्रभाव की [illegible] है।

[illegible] के पुलिस [illegible] ने [illegible] गिरफ्तारी की शक्ति [illegible] कि पुलिस द्वारा [illegible] की गिरफ्तारी न्याय की [illegible] में [illegible] है। [illegible] कि [illegible] किसी [illegible] न्याय की प्रणाली में [illegible] के [illegible] में [illegible] होगी। उन्होंने [illegible] किया कि [illegible] के लिए [illegible] के [illegible] को [illegible] ने [illegible] आई.आर. 1997 एस सी 3 [illegible] में स्वीकार किया है। [illegible] ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 द्वारा पुलिस में निहित शक्ति को [illegible]। उनके अनुसार, [illegible] में [illegible] संहिता की धारा 107 से 110 तक के [illegible] के रूप में [illegible] की जाती है और [illegible] की आशंका होती है [illegible] के समय या [illegible] को [illegible] के [illegible] के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने [illegible] कि गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग के विषय में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट संख्या 3, [illegible] और [illegible] में [illegible] मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने संकेत किया कि [illegible] और [illegible] पुलिस पर [illegible] है, अतः पुलिस को [illegible] नहीं [illegible] चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस संगठन के [illegible] की [illegible] इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए तथा न्यायपालिका के प्रभावी पर्यवेक्षण पर बल दिया जाना चाहिए न कि विधि के संशोधन पर। उन्होंने पुलिस विभाग के कार्यकरण में [illegible] की आवश्यकता [illegible] पुलिस [illegible] और कार्यवाही [illegible] की [illegible] में [illegible] दिया। उन्होंने यह [illegible] की कि डी.के. बसु में प्रस्तुत [illegible] का यदि [illegible] से अनुपालन किया जाए तो पुलिस की [illegible] कम हो जाएगा।

[illegible] ने परामर्श पत्र या उसकी टिप्पणियों में [illegible] पैरा 3.1.1 तथा 3.1.2 में [illegible] की चर्चा है। [illegible] पैरा 3.1.3 में [illegible] प्रस्ताव [illegible] उन्होंने कहा है कि [illegible] विधि में कोई [illegible] करने की आवश्यकता नहीं है [illegible] केवल [illegible] आवश्यक है कि गिरफ्तारी का [illegible] न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात होना चाहिए तथा [illegible] को आरोप पत्र के साथ ही न्यायालय पेश [illegible] चाहिए। [illegible] पैरा 3.2.1 तथा 3.2.2 में [illegible] प्रस्तावों [illegible] परामर्श पत्र के पैरा 3.4 में [illegible] प्रस्ताव का [illegible] किया [illegible] कि अभियुक्त को पर्याप्त [illegible] तथा [illegible] पाने से [illegible] है। जहां तक परामर्श पत्र के

पैरा 3.5 और 3.6 में उल्लिखित प्रस्तावों का संबंध है उन्होंने उन पर [illegible] प्रकट की है। [illegible] पत्र के पैरा 3.1 में दिए गए प्रस्ताव के संबंध में [illegible] के महानिदेशक ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि [illegible] कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है [illegible] टिप्पणी नहीं [illegible]। [illegible] पत्र के पैरा 3.8 में दिए गए सुझाव से सहमत हैं किन्तु पैरा 3.10 में दिए गए प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया है। [illegible] पत्र के पैरा 3.12 में दिए गए सुझाव के संबंध में उनका प्रस्ताव यह था कि [illegible] में भी कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की गई है, अतः यह इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

श्री एन. कुमार, [illegible], जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 108, 110 के [illegible] [illegible] की [illegible] में [illegible] करते हैं और [illegible] हैं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई [illegible] है तो पुलिस उसे गिरफ्तार किए बिना भी उसके विरुद्ध [illegible] करने के लिए [illegible] है। [illegible] की धारा 151 के संबंध में उनकी राय थी कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस के हाथ में एक [illegible] और इस [illegible] [illegible] है और यह [illegible] में एक बहुत बड़े भाग को [illegible] में [illegible] है।

श्री [illegible] सिंह, [illegible], पंजाब सरकार के [illegible] (अभियोजन तथा मुकदमा [illegible]) [illegible] आयोग के सभी प्रस्तावों से सहमत थे और [illegible] स्वागत किया [illegible] पैरा 3.[illegible] में है (जो [illegible] की पुलिस [illegible] और [illegible] के [illegible] की [illegible] की अनुमति देता है)। [illegible] की [illegible] ने इस प्रकार की गिरफ्तारी की व्यवस्था [illegible] के रूप में [illegible] करने की अपेक्षा [illegible] एक [illegible] का सुझाव देना चाहिए जिसमें [illegible] के सभी [illegible], जैसे, पुलिस कर्मचारियों, [illegible] अधिकारियों और [illegible] को [illegible], [illegible] के [illegible] पर [illegible] और [illegible], [illegible] करने के लिए [illegible] का [illegible] है तथा गिरफ्तारी की [illegible] [illegible] [illegible] है जहां यह [illegible] आवश्यक है। उनका कथन था कि [illegible] किसी पुलिस अधिकारी को [illegible] के लिए [illegible] जाएगा, [illegible] में [illegible] आ जाएगा। [illegible] कि [illegible] कार्य के लिए [illegible] [illegible] हो जाएगी और [illegible] है कि [illegible] का [illegible] अनुसार करेंगे। पुलिस अधिकारी [illegible] [illegible] अधिकारियों द्वारा भी [illegible] चाहिए। श्री [illegible] ने सुझाव दिया कि [illegible] में [illegible] को, जैसा कि [illegible] सुझाव दिया, [illegible] किया जाना चाहिए।

[illegible] की सरकार ने [illegible] तथा [illegible] विभाग के प्रधान [illegible] के माध्यम से [illegible] [illegible] पैरा 3.11 और 3.12 में है, कुछ [illegible] को [illegible] किया है। उनका कथन था कि [illegible] के संबंध में गिरफ्तार करने तथा [illegible] किए जाने पर [illegible] करने की [illegible] [illegible] है और [illegible] से [illegible] का [illegible] प्रस्तुत करने की [illegible] की जा सकती है। [illegible] को [illegible] सुनिश्चित करने के लिए भी [illegible] पर [illegible] किया जाना चाहिए। [illegible] पैरा 3.13 में दिए गए प्रस्ताव के संबंध में [illegible] सरकार ने [illegible] के [illegible] किया है कि [illegible], [illegible] और [illegible] की [illegible] को [illegible] अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए और सुझाव दिया कि [illegible] के [illegible] अपराधों को भी [illegible] [illegible] जाना चाहिए और [illegible] को [illegible] बनाया जाना चाहिए। [illegible] का कथन था कि [illegible] की धारा 176 और 202 के [illegible] अपराधों को भी [illegible] बनाया जाना चाहिए।

[illegible] ने सुझाव दिया कि [illegible] की धारा 107 से धारा 110 तक के [illegible] को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि [illegible] अधिकारों के [illegible] को [illegible] करने की [illegible] के [illegible] के विरुद्ध [illegible] किया जाए। धारा 107 के संबंध में [illegible] [illegible] था कि [illegible] से [illegible] [illegible] किया जाना चाहिए [illegible] [illegible] के किसी [illegible] को गिरफ्तार किया जाए तो उसे 24 घंटे के भीतर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। [illegible] अन्य [illegible] का संबंध है [illegible] ने [illegible] पत्र के [illegible] की ओर आकर्षित किया है। [illegible] पहले या उसके बाद कि [illegible] सुझाव [illegible] के [illegible] [illegible] की [illegible] की गई है और गिरफ्तार की शक्ति को बहुत [illegible] बिना पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति के बारे में भी [illegible] की गई है। इस कारण से यह आवश्यक नहीं है कि [illegible]



[illegible] के बारे में लंबी चर्चा की जाए। [illegible] ने इसके [illegible] किया है कि [illegible] को [illegible] तथा उनके [illegible] अधिकारों के [illegible] में [illegible] के लिए एक [illegible] [illegible] जाए।

[illegible] प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने [illegible] विधि आयोग के सभी [illegible] पर सहमति प्रकट की है।

[illegible] ने सुझाव दिया है कि [illegible] द्वारा [illegible] में दिए गए [illegible] के [illegible] में रखते हुए पुलिस की [illegible] को [illegible] किया जाना चाहिए। उनका सुझाव है कि [illegible] के [illegible] अपराधों को [illegible] बनाया जाना चाहिए। [illegible] संबंधी अपराधों को [illegible] बनाया जाना चाहिए। [illegible] पर यह सुझाव भी है कि [illegible] और [illegible] से संबंधित अपराधों को भी [illegible] बनाया जाना चाहिए। [illegible] ने [illegible] द्वारा पुलिस थानों और [illegible] के अन्य स्थानों के [illegible] के प्रस्ताव का समर्थन किया है और यह सुझाव भी दिया है कि गिरफ्तारी के [illegible] के [illegible] न [illegible] अभियुक्त को [illegible] [illegible] को भी उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। [illegible] सुझाव यह है कि धारा 307 और 498क के [illegible] [illegible] बनाए जाने चाहिए।

श्री [illegible], पुलिस महानिदेशक ([illegible] और व्यवस्था, [illegible] प्रदेश) ने अपने [illegible] से प्रकट किए हैं किन्तु वे उन्हीं के [illegible] हैं जो [illegible] प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने प्रकट किए हैं और जिनका उल्लेख इसके पहले किया जा चुका है।

[illegible] के पुलिस महानिदेशक ने यह [illegible] प्रकट की है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। उनका कथन है कि [illegible] की पुलिस के कार्यों को [illegible] [illegible] [illegible] है और पुलिस [illegible] में और [illegible] करने से [illegible] के [illegible] में [illegible] हो जाएगी।

[illegible], पुलिस महानिदेशक ([illegible] तथा [illegible]) [illegible], ने अपने लिखित प्रस्तुत में कथन किया है कि इस प्रकार की [illegible] का कोई [illegible] [illegible] नहीं है कि पुलिस [illegible] के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति [illegible] [illegible] है। उनका कहना है कि [illegible] द्वारा [illegible] किसी [illegible] के [illegible] है और [illegible] [illegible] के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उनका आगे कथन है कि "[illegible] में [illegible] के [illegible] [illegible] रही है, [illegible] [illegible] [illegible] से अधिक है, [illegible] [illegible] है और कोई व्यक्ति कोई भी [illegible] [illegible] में [illegible] अपराधों में भी गिरफ्तारी [illegible] है और [illegible] [illegible] नहीं [illegible] कि पुलिस [illegible] अपराधी को गिरफ्तार करने के [illegible]। [illegible] मामलों में [illegible] पुलिस की [illegible] का [illegible]। उन्होंने यह कथन भी किया कि [illegible] और [illegible] में [illegible] [illegible] के विशेष [illegible] [illegible] है कि अभियुक्त को प्रत्येक मामले में [illegible] के सामने पेश किया जाए, चाहे वह [illegible] पर क्यों न हो। उन्होंने यह [illegible] की है कि [illegible] में [illegible] और [illegible] अपराधों के रूप में [illegible]" [illegible] ने [illegible] कि [illegible] के रूप में [illegible] जा सके। [illegible] किया जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि [illegible] के [illegible] [illegible] को, जो [illegible] हैं, [illegible] चाहिए। उनकी [illegible] भी है कि [illegible] अपराधों में अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति को सीमित करने का प्रस्ताव यदि लागू किया जाता है तो इससे [illegible] में [illegible] [illegible] नुकसान होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि [illegible] के [illegible] अपराधों को [illegible] [illegible] [illegible] है क्योंकि [illegible] [illegible] से [illegible] को [illegible] के रूप में [illegible] के लिए [illegible] नहीं है। उन्होंने [illegible] [illegible] अपराधों को [illegible] के रूप में [illegible] करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने राय दी है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को पुलिस [illegible] [illegible] लागू किया जाता है तो [illegible] [illegible] में [illegible] आवश्यक नहीं है। उन्होंने [illegible] [illegible] को पुलिस थाने और [illegible] के अन्य स्थानों का [illegible] करने की अनुमति [illegible] के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। [illegible] के आधार पर गिरफ्तारी [illegible] से [illegible] कथन है कि [illegible] के आधार पर गिरफ्तारियां [illegible] संबंधी [illegible] के [illegible] में की जाती हैं। [illegible] [illegible] गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति तब तक [illegible] हैं जब तक न्यायालयों में [illegible] सिद्ध नहीं

अध्याय 7

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41

ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। [illegible] "[illegible]" [illegible] के विरुद्ध है [illegible] अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती जो कि [illegible] अधिक [illegible] है। [illegible] "[illegible]" को [illegible] किसी को [illegible] गिरफ्तार करने की पुलिस [illegible] अधिकारी को [illegible] शक्ति, [illegible] अर्थ [illegible] किया गया तो, [illegible] है और [illegible] [illegible] इस पक्ष का [illegible] के रूप में [illegible] जाए तो वह [illegible] और [illegible] है जैसा कि हम [illegible] करेंगे।

[illegible] धारा 41 की उपधारा (1) [illegible] धारा 151 की दृष्टि से [illegible] और [illegible] है जैसा कि इसके [illegible] किया है धारा 151 अध्याय 11 – 'पुलिस का निवारक कार्य' का भाग है। [illegible] अध्याय में [illegible] धाराएं 149 से धारा 153 तक निवारक [illegible] का [illegible] है कि कोई पुलिस अधिकारी "[illegible] किसी संज्ञेय अपराध को करने की [illegible] प्राप्त होती है, ऐसी [illegible] करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है [illegible] अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा [illegible] नहीं [illegible] है"। [illegible] धारा 151 गिरफ्तारी की [illegible] देती है [illegible] किसी संज्ञेय अपराध को करने की [illegible] है, किंतु [illegible] धारा 149 और 110 में [illegible] है। [illegible] धारा 41(2) पुलिस [illegible] अधिकारी को [illegible] करती है, धारा 151 [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] करने के लिए [illegible] करती है। धारा 109 [illegible] व्यक्ति [illegible] है जो कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से [illegible] [illegible] उस व्यक्ति [illegible] संज्ञेय अपराध [illegible] है। यदि ऐसा है तो, [illegible] व्यक्ति को धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है तथा धारा 109 के साथ [illegible] धारा 41(2) [illegible] है। धारा 110 के खंड (क) के अंतर्गत अपराध, चोरी (379 [illegible]), [illegible] (457 [illegible]), गृह-भेदन (453 और [illegible]), [illegible] (464 और [illegible]) [illegible] संज्ञेय अपराध हैं। [illegible] (घोषणा [illegible] धारा 41 के [illegible]) [illegible] धारा 110 के खंड (ख) में [illegible] है [illegible] संज्ञेय [illegible] है। इसी प्रकार से धारा 110 के खंड (ग) और (घ) में [illegible] सभी [illegible] संज्ञेय [illegible] है [illegible] खंड (ङ) [illegible] [illegible] अपराधों [illegible] है। स्पष्ट है [illegible] के अध्याय 8 [illegible] "[illegible]" के विरुद्ध अपराध हैं"। [illegible] अपराध, केवल [illegible] प्रकृति के अपराधों [illegible], [illegible] संज्ञेय अपराध हैं। यहां तक खंड (च) का संबंध है, [illegible] विशेष अधिनियमों के अंतर्गत [illegible] है [illegible] संज्ञेय [illegible] है और [illegible] नहीं। [illegible] इन विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों का संबंध है, धारा 151 [illegible] है और [illegible] इन विशेष अधिनियमों के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों का संबंध है, [illegible] नहीं है [illegible] [illegible] संज्ञेय अपराधों [illegible] भी धारा के [illegible] अधिकारियों की गिरफ्तारी [illegible] [illegible] किया जाए। धारा 110 का [illegible] खंड, खंड (च) (ऐसा [illegible] और [illegible] व्यक्ति [illegible] के लिए [illegible] है) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को [illegible] रूप से धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है।

[illegible] धारा 41 की उपधारा (2) [illegible] है [illegible] [illegible] धारा 151 के अंतर्गत [illegible] [illegible] गिरफ्तार [illegible] के लिए पर्याप्त है। वास्तव में, यह धारा 41 (2) [illegible] [illegible] है क्योंकि धारा 151 प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति [illegible] है जो कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना कर रहा है। ऐसे [illegible] धारा 41(1) के अंतर्गत कोई [illegible] अधिकारी ही गिरफ्तारी कर सकता है। [illegible] यह [illegible] है कि [illegible] धारा 41 की उपधारा (2) [illegible] चाहिए। यह [illegible] है कि [illegible] का किसी भी [illegible] धारा 436 की उपधारा (1) [illegible] मजिस्ट्रेट की [illegible] पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अब हम धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) पर विचार करेंगे।



धारा 41 की उपधारा (1) का खंड (क) पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए [illegible] "जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रहा चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है"। इसी प्रकार से खंड (ख) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है "जो अपने कब्जे में [illegible] के बिना, [illegible] को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृह-भेदन का कोई [illegible] रखता है"।

धारा 41 की उपधारा (1) का खंड (क) चार [illegible] के व्यक्तियों की गिरफ्तारी की बात करता है, अर्थात्–

(i) वह व्यक्ति जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है;

(ii) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है कि वह किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है;

(iii) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है कि वह किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है; और

(iv) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा उचित संदेह विद्यमान है कि वह किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है।

इन चारों प्रवर्गों में से प्रत्येक पर पृथक्-पृथक् विचार करना [illegible] होगा। हम प्रथम प्रवर्ग को [illegible] "(i) वह व्यक्ति जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है"। "संबद्ध" शब्द का [illegible] अर्थ [illegible] [illegible] है। [illegible] को [illegible] नहीं किया जा सकता [illegible] [illegible] [illegible] जैसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे। यह मामला किसी पुलिस अधिकारी को अपने [illegible] के आधार पर गिरफ्तार करने की [illegible] का मामला नहीं है। [illegible] है कि [illegible] की [illegible] [illegible] है, [illegible] ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है जैसे कि "यदि ऐसे आधार हैं तो, "विश्वास करने का कारण है" "[illegible]" या "ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं"......(कोई [illegible]) "(देखिए [illegible] 1967 [illegible], 205 में दिए गए [illegible] निर्णय)। [illegible] निर्णय में यह कहा गया है कि जहां भी ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] सामग्री की विद्यमानता [illegible] [illegible] [illegible] प्रक्रिया होती है। यह निर्णय भी दिया गया है कि [illegible] [illegible] परिस्थितियों [illegible] की विद्यमानता है; [illegible] [illegible] [illegible] धारा 41(1)(क) में [illegible] प्रवर्गों पर ध्यान दीजिए। [illegible] [illegible] पुलिस अधिकारी के [illegible] [illegible] [illegible] पुलिस अधिकारी के समक्ष कुछ [illegible] या सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर [illegible] [illegible] कि कोई व्यक्ति अपराध करने का दोषी [illegible] और गिरफ्तार [illegible] चाहिए। [illegible] कि चूंकि पुलिस अधिकारी को [illegible] [illegible] कि उसको [illegible] व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए [illegible] आधार है या नहीं। [illegible] इस अधिनियम में [illegible] नहीं [illegible] है। [illegible] 4 में [illegible] है कि [illegible] [illegible] कि इस शक्ति को [illegible] करने के लिए [illegible] [illegible] चाहिए कि गिरफ्तार करने से पूर्व अधिकारी के समक्ष ऐसी कुछ सामग्री या [illegible] होनी चाहिए [illegible] [illegible] और [illegible] के [illegible] कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। [illegible] धारा 41(1) के खण्ड (क) में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] है कि [illegible] भी ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] है कि [illegible] (क) में "[illegible]

[illegible] 'विश्वसनीय सूचना' [illegible] शब्दों का प्रयोग [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible] विश्वसनीय [illegible] किसी संज्ञेय अपराध [illegible] (1) (क) [illegible] (1994) में [illegible] खण्ड (क) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible] (1959 [illegible] 96) में [illegible] कहा है:—

"[illegible] संज्ञेय अपराध [illegible] मूल अधिकारों पर [illegible] (1954 [illegible] 341) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] है। [illegible] पुलिस [illegible] (क्योंकि विधि व्यवस्था [illegible] पुलिस के [illegible] के लिए यह आवश्यक है) [illegible] नहीं [illegible] है। [illegible] (निरपराध) [illegible] पुलिस [illegible] पुलिस [illegible] पुलिस में [illegible] के प्रति [illegible] [illegible] पुलिस [illegible] की दृष्टि से, एक [illegible] के रूप में देखा जाता है।

यह [illegible] है कि [illegible] और देश में [illegible] के [illegible] हैं और प्रतिदिन [illegible] के प्रति, [illegible] पुलिस [illegible] कोई [illegible] नहीं है। [illegible] पुलिस को [illegible] और [illegible] चाहिए। [illegible] चाहिए कि [illegible] पुलिस [illegible] अपराध [illegible]। [illegible] के [illegible] "पुलिस के [illegible]" के [illegible]।

पुलिस अधिकारियों [illegible] (पुलिस उपअधीक्षक, [illegible] और [illegible]) ने [illegible] कि [illegible] की गिरफ्तारी [illegible] पुलिस की [illegible]। [illegible] किया जाना चाहिए [illegible] जाना चाहिए [illegible] के लिए [illegible] पुलिस [illegible] गिरफ्तारी [illegible] संज्ञेय अपराध [illegible] आवश्यक है, न कि [illegible] गिरफ्तारी [illegible]। यदि [illegible] गिरफ्तारी की शक्ति के संदर्भ में, [illegible] चाहिए, अर्थात्, (क) वे अपराध जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किए गए हैं; और (ख) वे अपराध जिनकी रिपोर्ट पुलिस को [illegible] के पश्चात् [illegible] है। यदि [illegible] ध्यान में रखा जाए तो, जैसा हमने ऊपर [illegible] किया है, [illegible] अधिकारियों की [illegible] पूरी हो जाएंगी।

[illegible] धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) पर विचार करना चाहिए। [illegible] क्योंकि यह पुलिस अधिकारी को [illegible] में वर्णित [illegible] पूर्णतया [illegible] देता है। [illegible] कि "[illegible]" [illegible] पुलिस [illegible] के [illegible] "[illegible]" [illegible] गिरफ्तार [illegible] अर्थात् [illegible] सीमित नहीं है बल्कि 24 घंटे है। [illegible] चाहिए। [illegible] कि धारा 41 उपधारा (1) के खण्ड (ख) को निरसित किया जाना चाहिए।



धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (क) को प्रतिस्थापित करने का सुझाव देने से पूर्व यह आवश्यक है कि एक और परिस्थिति पर ध्यान दिया जाए, अर्थात्, "संज्ञेय अपराध [illegible] मामला" और "असंज्ञेय [illegible] मामला" की परिभाषाएं। [illegible] राष्ट्रीय पुलिस आयोग की [illegible] रिपोर्ट के अध्याय [illegible] में है। [illegible] की परिभाषा में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। [illegible] पुलिस [illegible] मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अपराध का अन्वेषण करने की पुलिस की [illegible] चाहिए। [illegible] गिरफ्तारी [illegible] कि अपराध संज्ञेय है; यदि कोई अपराध संज्ञेय है तो [illegible] गिरफ्तारी [illegible] गिरफ्तार किया [illegible] एक ही [illegible] गिरफ्तारी की [illegible] नहीं है।

[illegible] "संज्ञेय अपराध के अर्थ और [illegible] को धारा 2 के खण्ड (ग) [illegible] से पूरी तरह नहीं [illegible] (जो [illegible] है कि [illegible] के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है)। संहिता के अध्याय 12 की धारा 155 और 156 का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है।

धारा 155(2) में कथन है कि "कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है।" धारा 154 की उपधारा (1) पुलिस को [illegible] है कि वह [illegible] और मामले की [illegible] सुपुर्द करे। दूसरी ओर, धारा 156 पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने के लिए सशक्त करती है। दूसरे शब्दों में, संज्ञेय अपराध का अर्थ है वह अपराध जिसमें (क) पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है (ख) पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना [illegible] अन्वेषण कर सकती है। [illegible] असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना न तो गिरफ्तार कर सकती है और न मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना [illegible] का अन्वेषण ही कर सकती है। यदि संज्ञेय अपराध को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना [illegible] अन्वेषण [illegible] किया जाए [illegible] वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना "गिरफ्तारी [illegible]" नहीं [illegible] गिरफ्तार करने की शक्ति अध्याय 5 के उपबंधों और धारा 157 [illegible] किन्तु [illegible] और गिरफ्तारी [illegible] सकता। [illegible] कि [illegible] युक्तियुक्त और तर्कपूर्ण आधार पर निर्भर है, अर्थात्, किसी व्यक्ति को किसी [illegible] के आधार पर गिरफ्तार करने की आवश्यकता। (हम रिपोर्ट का अध्याय 3 देखिए)। [illegible] कोई [illegible] कारण प्रतीत नहीं होता है।

[illegible] के प्रकाश में, हम सिफारिश करते हैं कि धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित [illegible] जाएं:

"(क) जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है;

(ख) जिसके विरुद्ध ऐसी [illegible] सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने [illegible] कोई संज्ञेय अपराध किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय है जो (जुर्माने सहित या उसके बिना) [illegible] तक की हो सकती है और निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात्–

(i) पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का आधार [illegible] के आधार पर, कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि निम्नलिखित कारणों से ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए; और

(ख) अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए या इस बात से कि ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जाना उसकी सुरक्षा के हित में है;

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को किसी रीति से गायब करने या उसमें छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए या

(घ) ऐसे व्यक्ति को, मामले के तथ्यों की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी उत्प्रेरणा देने, धमकी देने या वचन देने से निवारित करने के लिए, जिससे कि उस व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए [illegible] सके; या

(ङ) इस कारण से कि यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अपेक्षित होने पर न्यायालय में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता; और

पुलिस अधिकारी ऐसे कारणों को लेखबद्ध करता है।

(खक) यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो सात वर्ष से अधिक कारावास से (जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना) या मृत्युदण्ड से दण्डनीय है और पुलिस अधिकारी के पास ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।"

इसकी यह राय है कि यदि उपर्युक्त संशोधन को किया जाता है तो "जमानतीय अपराध" अभिव्यक्ति की परिभाषा में परिवर्तन करने या संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी सूरत में, [illegible] के विषय में अधिक सुसंगत है जैसा कि पहले सुझाव दिया है। धारा 41(1) (क) और (ख) पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को उसी दशा में गिरफ्तार करने के लिए सशक्त करती है यदि उसने संज्ञेय अपराध किया है; अतः अपराध के जमानतीय होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। अपराध के [illegible] होने की संगति के बारे में [illegible]। ऐसी स्थिति में, एक सुझाव [illegible] "[illegible] गिरफ्तारी [illegible] अन्यथा नहीं"। [illegible] कि धारा 41 के अनुसार [illegible] अपराधों में की जा रही है [illegible] रूप से [illegible]। तदनुसार हम सिफारिश करते हैं कि संहिता में धारा 41क के रूप में एक नई धारा अंतःस्थापित की जाए:

"41क "कोई भी गिरफ्तारी इस धारा के अधीन गिरफ्तारी का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन के सिवाय नहीं की जाएगी।"

कार्यपत्र में किए गए प्रस्ताव

अब हम कार्य पत्र के भाग तीन में सम्मिलित प्रस्तावों पर विचार करेंगे। पहला प्रस्ताव पैरा 3.1.1. में है। प्रस्ताव यह है कि कोई भी [illegible] और अजमानतीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा और न्यायालय के आदेश [illegible] के अध्याय से या किसी अन्य माध्यम से केवल [illegible] किया जाएगा किन्तु ऐसा पुलिस अधिकारी के माध्यम से नहीं किया जाएगा। [illegible] "जमानतीय" अभिव्यक्ति में भी [illegible] परिवर्तन करना पड़ सकता है [illegible] अभिव्यक्ति में [illegible] [illegible] द्वारा अपने आप [illegible] जाती है। यद्यपि इस प्रस्ताव को काफी समर्थन मिला था किन्तु कुछ लोगों ने आपत्ति भी उठाई थी। इस प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी वर्तमान [illegible] व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में है जिस पर [illegible] और अजमानतीय अपराध करने का अभियोग है। हमें [illegible] और [illegible] अपराधों से संबंधित प्रश्न में कोई परिवर्तन करने का सुझाव नहीं देते हैं। यदि व्यक्ति उस अपराध में से किसी का दोषी है तो उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है और उसे [illegible] दण्ड दिया जा सकता है। [illegible] यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए चाहे वह मजिस्ट्रेट के वारंट पर हो या पुलिस द्वारा हो। [illegible] पुलिस द्वारा वारंट के बिना उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का संबंध है, जो जमानतीय और असंज्ञेय अपराध का अभियुक्त



है, संहिता पुलिस को इसके लिए प्राधिकृत नहीं करती क्योंकि संहिता, जिस रूप में यह आज है, असंज्ञेय मामले में (धारा 42 में उल्लिखित सीमित प्रयोजन के सिवाय) वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देती है। परन्तु सत्य यह है कि व्यवहार में ऐसे अनेक मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की जाती हैं। इस बात को [illegible] में [illegible], पुलिस [illegible] (अपराध विधि व्यवस्था) [illegible] ने [illegible] पूर्णतः [illegible] में स्पष्ट किया है। उन्होंने अपने लिखित [illegible] में कथन किया है कि "[illegible] में [illegible] को [illegible] पता नहीं है, चाहे किसी [illegible] कार्यवाहियों का [illegible] [illegible] है और कोई [illegible] किसी भी [illegible] से [illegible] सकता है, असंज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी [illegible] है"। उन्होंने जमानतीय अपराधों के अभियुक्तों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति में कटौती करने [illegible] के लिए यह प्रस्ताव [illegible] विरोध किया है कि यदि उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाता है तो इससे समाज में लोक-व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होगी।

कार्यपत्र के पैरा 3.1.1 में सम्मिलित प्रस्ताव के परिणामों पर [illegible] और [illegible] में व्यक्त [illegible] के प्रकाश में सम्यक् विचार करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि पुलिस को असंज्ञेय अपराध के, चाहे वह जमानतीय हो या नहीं हो, किसी अभियुक्त को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करने से [illegible] रूप से प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए। [illegible] में [illegible], [illegible] स्पष्ट करने का सुझाव दिया है जिससे यह [illegible] कि इस संहिता की [illegible] के अनुसार के सिवाय कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अभियुक्त को, जिसके बारे में कोई असंज्ञेय अपराध करने की बात है या [illegible] हुई है। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए [illegible] करने का [illegible] नहीं होना चाहिए। (तथापि, [illegible] मामलों में भी न्यायालय को वारंट जारी करने की शक्ति [illegible]) तदनुसार, हम धारा 41 की उपधारा (2) को [illegible] करने की सिफारिश करते हैं जिससें यह उपबंध होगा कि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को, जो असंज्ञेय अपराध करने का अभियुक्त है या जिसके बारे में यह विश्वास है कि उसने ऐसा किया है, वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं करेगी। इसका यह अर्थ होगा कि असंज्ञेय अपराध के किसी मामले में (वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन के सिवाय) कोई गिरफ्तारी नहीं होगी चाहे [illegible] या अजमानतीय हो। इस [illegible] से, पुलिस बल के [illegible] के [illegible] पर [illegible] से [illegible] की [illegible] [illegible] और [illegible] में [illegible] की [illegible] [illegible] जिसके संबंध में [illegible] और राष्ट्रीय पुलिस आयोग दोनों ने टिप्पणियां की थीं। [illegible] ध्यान में रखा चाहिए कि [illegible] के अनुसार, अधिकांश गिरफ्तारियां जमानतीय अपराधों के लिए की जाती हैं और क्योंकि जमानतीय [illegible] में से अधिकांश असंज्ञेय हैं, इस प्रकार की गिरफ्तारियां में [illegible] कमी हो जाएगी। धारा 436 [illegible] रूप में है, उस व्यक्ति को, जिसे जमानतीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जमानत पर छोड़ देने की बात करती है। [illegible] जमानतीय [illegible] में, जो संज्ञेय हो, व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान करती है, जबकि असंज्ञेय मामलों में वारंट के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण से धारा 436 में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है। तथापि, जहां किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के अनुसरण में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उसके बारे में धारा 436 में उपबन्धित के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

कार्यपत्र में एक और प्रस्ताव पैरा 3.1.2 में है। प्रस्ताव यह है कि इस समय संहिता की प्रथम अनुसूची द्वारा जमानतीय और संज्ञेय के रूप में वर्णित अपराधों की बाबत पुलिस द्वारा वारंट के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में व्यक्ति पर [illegible] का नोटिस तामील किया जा सकता है जिसमें उसे, जब भी अपेक्षा की जाए, पुलिस थाने या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निदेश [illegible] [illegible] के सिवाय, [illegible] या [illegible] करने के [illegible] आधार हों, जिन्हें लेखबद्ध किया जाना चाहिए और [illegible] पुलिस अधिकारियों को, उन [illegible] परिस्थितियों को संसूचित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त के [illegible] हो जाने की संभावना है और उसे पकड़ना बहुत कठिन होगा अथवा यह कि संबंधित व्यक्ति एक [illegible] अपराधी है। इस प्रस्ताव पर भी समर्थकारी और [illegible] की राय मिली है। इस प्रस्ताव के विरोधियों ने, जिनमें अधिकांशतः पुलिस अधिकारी हैं, यह कथन किया है कि यदि उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाता है तो इससे पुलिस अपने काम करने में, जिसके अंतर्गत विधि-व्यवस्था कायम रखना तथा अपराधों का [illegible] और [illegible] [illegible] भी है, गंभीर रूप से असमर्थ हो जाएगी।

अध्याय 8

## डी० के० बसु के निर्णय का क्रियान्वयन

[illegible]



अध्याय 9

## सौदा अभिवाक् तथा अपराधों का शमन

[illegible]

अपराधों में रख दिया जाए। धारा 320 की उपधारा (2) में से उपधारा (1) में अंतरित किए जाने के लिए सिफारिश किए गए ऐसे अपराधों में से अपराध हैं जो धारा 324, 325, 335, 343, 344, 346, 379, 403, 406, 407, 411, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 428, 429, 430, 451, 482, 483 और 486 में उपबंधित अपराध हैं। [illegible] रिपोर्ट में [illegible] पुलिस अधिकारियों और [illegible] पुलिस आयोग द्वारा [illegible] रिपोर्ट में दिए गए इन सुझावों पर [illegible] भी उपवर्णन किया गया है कि अन्वेषण करने वाले अधिकारियों को उस अपराध [illegible] करने की [illegible] जानी चाहिए जो अन्वेषण के प्रक्रम पर [illegible] है और मजिस्ट्रेट को [illegible] रिपोर्ट देनी चाहिए [illegible] के समय को प्रभावी करेगा। तदनुसार, रिपोर्ट में 1994 के संशोधन विधेयक में [illegible] की सिफारिश की गई है जिसका उद्देश्य धारा 173 में [illegible] अपराध, उपधारा (3क), [illegible] था। हम उपरोक्त सिफारिशों की अनुशंसा करते हैं।

[illegible] रिपोर्ट में एक अन्य सिफारिश धारा 498क के अधीन अपराध को शमनीय बनाने की तथा उसे धारा 320 की उपधारा (2) में रखने की है जिसका अर्थ यह हुआ कि यह अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय हो जाएगा। यद्यपि कुछ महिला संगठनों ने इस सिफारिश का विरोध किया है किन्तु [illegible] ने यह बात को स्वीकार किया है कि [illegible] का [illegible] के [illegible] को तंग करने के लिए किया जाता है और [illegible] के रूप में किया जाता है। तब भी यह [illegible] कि [illegible] विधि आयोग को व्यक्तियों और संगठनों से ऐसे अनेक पत्र मिले हैं कि [illegible] शमनीय बनाया जाए। [illegible] और [illegible]। [illegible] रिपोर्ट की सिफारिश की पुष्टि करते हैं कि यह अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय बना दिया जाना चाहिए।

[illegible] के प्रश्न पर 154वीं रिपोर्ट में संहिता में एक नया अध्याय, अध्याय 21क [illegible] की सिफारिश के अनुसार जोड़ने की अनुशंसा की गई है। वास्तव में, उक्त रिपोर्ट में विधि आयोग की एक पूर्व रिपोर्ट, 142वीं रिपोर्ट, का [illegible] मिलता है जिसमें [illegible] में [illegible] इस सिद्धांत के [illegible] की [illegible] की गई है जिस रीति से उसे [illegible] दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि [illegible] को प्रयोग के रूप में उन अपराधों पर लागू किया जाना चाहिए जो [illegible] से [illegible] हैं और जिनके [illegible] संहिता की धारा 320 में आने वाले अपराध भी [illegible] सिफारिश भी की गई थी कि [illegible] अपराधों की प्रकृति और [illegible] की [illegible] किया जा सकता है। यह [illegible] किया गया था कि [illegible] अपराधियों को [illegible] मिलनी चाहिए जो [illegible] प्रकृति के सामाजिक-आर्थिक अपराधों के लिए [illegible] है और [illegible] के विरुद्ध अपराधों के लिए [illegible] है। इस विषय में [illegible] रिपोर्ट के पैरा 9.1 से 9.9 में किया गया है। हम उसकी [illegible] आवश्यक नहीं समझते। [illegible] कि हम उक्त सिफारिशों का समर्थन करते हैं और [illegible] देख पाते हैं।

[illegible] के प्रश्न पर, हम दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 का उल्लेख करना चाहते हैं। [illegible] विधेयक की धारा 35 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में, जो अपराधों की [illegible] से [illegible] संहिता था। विधेयक में प्रस्तावित संशोधन, [illegible] के हैं। अपराधों में से एक, उपधारा (2) के अंतर्गत [illegible] अपराधों में से [illegible] अर्थात् "[illegible] स्वेच्छया से [illegible] कारित करना" (आई.पी.सी. की धारा 324) का [illegible] के सामने [illegible] के [illegible] की गई थी। यदि उक्त संशोधन को लागू किया जाए तो इसके परिणामस्वरूप [illegible] की धारा 324 के अंतर्गत अपराध उन अपराधों की सूची से हट जाएगा जिनका न्यायालय की अनुमति से शमन किया जा सकता है और [illegible] में दी गई [illegible] सीमा भी [illegible]। [illegible] संसदीय समिति ने संशोधन विधेयक के इस [illegible] पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमें ऐसा कोई [illegible] नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर धारा 324 के अंतर्गत अपराध को उक्त [illegible] से निकाल दिया जाए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 [illegible] अपराधों के संबंध में [illegible] सीमा को 250 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए करना।

[illegible] विधेयक में [illegible] की गई है यह "दो सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे उक्त सारणी में आए हैं, "[illegible] रुपए" शब्द रखे जाने [illegible]।



दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 की उपधारा (2) के अंतर्गत ऐसे अनेक अपराधों की सूची है जिनका न्यायालय की अनुमति से शमन किया जा सकता है। इन सूचीबद्ध अपराधों में धारा 379 (चोरी), धारा 381 (लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी), धारा 406 (आपराधिक न्यास भंग), धारा 407 (वाहक, घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग), धारा 408 (लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग), धारा 411 (चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना) तथा धारा 414 (चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई गई है, छिपाने या व्ययनित करने में सहायता करना) हैं। [illegible] अपराध धारा 320 के अंतर्गत शमनीय हैं परन्तु [illegible] सम्पत्ति का [illegible] मूल्य 250 रुपए से अधिक नहीं हो।

विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इस सीमा को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाए।

इन धाराओं के अंतर्गत आने वाले मामलों के [illegible] की दृष्टि से तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि रुपये के [illegible] मूल्य में गिरावट आई है और [illegible] ध्यान में रखते हुए कि इनमें से अनेक मामलों में समझौता [illegible] है, यह सिफारिश की जाती है कि इस सीमा को 25000/- रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए, जहां तक कि धारा 379, 381, 406, 407, 408, 411 और 414 का संबंध है, धारा 320 की उपधारा (2) के नीचे सारणी के स्तम्भ 3 में [illegible] संशोधन किए जा सकते हैं। हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

[illegible] का संबंध है, हमने [illegible] विधेयक में कोई उपबंध सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि [illegible] कि [illegible] विषयक यह निर्णय ले कि उक्त सिद्धांत को लागू किया जाए या नहीं। [illegible] है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने दो निर्णयों में, अर्थात् [illegible] बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1976 एससी 1929 तथा [illegible] बनाम गुजरात राज्य एआईआर 1980 एससी 854, में इस सिद्धांत की [illegible] की है। [illegible] के मामलों में यह [illegible] है कि ऐसे उपबंध [illegible] उपयोगी है। यदि फिर भी [illegible] इस सिद्धांत को लागू करने का निर्णय लेती है तो [illegible] अध्याय बनाए जा सकते हैं।

[illegible] के पैरा 3.6 में यह सुझाव दिया गया था कि संहिता की धारा 107 से 110 के अंतर्गत [illegible] के [illegible], यदि कोई है, गिरफ्तारियों की अनुमति नहीं होनी चाहिए। [illegible] कि इस [illegible] को आगे रखने की आवश्यकता है और [illegible] के [illegible] में है जो [illegible] धारा 41 की उपधारा (2) [illegible] के संबंध में [illegible] है। धारा 41 की उपधारा (2) धारा 109 या 110 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रवर्गों के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सशक्त करती है। [illegible] कि यदि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी धारा 109 या 110 के अंतर्गत नहीं की जा सकती तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 या 110 में [illegible] प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

## अध्याय 10

## जमानत संबंधी सुधार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

की अधिकतम अवधि के आधे से ज्यादा अवधि तक निरुद्ध रह चुका है तो न्यायालय उसे प्रतिभूओं सहित या उनके बिना, जैसा न्यायालय ठीक समझे, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ देगा। परन्तु न्यायालय लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात् और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को उक्त अवधि के आधे से अधिक अवधि तक निरन्तर निरुद्ध रखने का आदेश दे सकता है अथवा उसे, प्रतिभूओं सहित या उनके बिना, जैसा न्यायालय ठीक समझे, बंधपत्र की अपेक्षा करने पर छोड़ सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी व्यक्ति को अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस अवधि से अधिक तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जो उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि है।

स्पष्टीकरण—जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की संगणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाहियों में विलम्ब के कारण व्यतीत निरोध की अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी।"

"43. मूल अधिनियम की धारा 437 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (ii) में, "संज्ञेय और अजमानतीय अपराध" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष या अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तृतीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा इस उपधारा के अधीन जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता, यदि वह अपराध जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथित है, मृत्यु से या सात वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है।";

(ग) उपधारा (3) में "ऐसी कोई भी शर्त, जिसे न्यायालय न्याय के हित में आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें भी शर्तें अधिरोपित करेगा—

(क) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा,

(ख) ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के सदृश है जिसे करने का वह अभियुक्त है या संदिग्ध है, तथा

(ग) ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, ऐसा कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा या देगा जिससे कि वह व्यक्ति ऐसे तथ्यों को न्यायालय के या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे तथा ऐसी कोई भी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकता है जो न्याय के हित में और आवश्यक समझता है।"

"44क. [illegible] व्यक्ति जो किसी अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के लिए प्रतिभू होता है, न्यायालय के समक्ष यह घोषणा करेगा कि वह अभियुक्त की सम्मिलित कर्ता हुए कितने और व्यक्तियों के लिए प्रतिभू है तथा उसमें सुसंगत [illegible] विवरण देगा।"

"44ख. मूल अधिनियम की धारा 446, की उपधारा (3) में "अपना स्वविवेकानुसार" शब्दों के स्थान पर "न्यायालय उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे।"

संसदीय समिति ने, जिसने इस विधेयक पर विचार किया था, इन प्रस्तावों पर कोई टिप्पणियां नहीं की हैं।

हम संशोधन विधेयक के उपर्युक्त उल्लिखित उपबंधों से सहमत हैं।

उपरोक्त विचार विमर्श के आलोक में, एक सामान्य प्रतिपादना के रूप में यह कहा जा सकता है कि सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए, जमानतीय अपराधों में, जमानत नियम सामान्य होना चाहिए और इसकी इनकारी एक अपवाद होनी चाहिए, अर्थात्, सभी से प्रत्येक परिस्थिति में, जिनका उल्लेख



उल्लेख किया जा चुका है। अन्य गंभीर अपराधों में, यह विषय न्यायालय के विवेक पर छोड़ना होगा और इस विवेक का प्रयोग परिस्थितियों को, उचित विधि व्यवस्था कायम रखने में समाज के हित तथा अभियुक्त के संवैधानिक, कानूनी और मानवीय अधिकारों के बीच, संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को, ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों में तदनुसार संशोधन करने होंगे। यह उपबंध भी करना होगा कि सात वर्ष या उससे कम दण्डनीय अपराधों की दशा में, पुलिस अधिकारी या न्यायालय प्रतिभूओं पर तब तक जोर नहीं देंगे जब तक ऐसी शर्त लगाने के लिए विशेष कारण न हों। किंतु, सामान्य नियम के रूप में, व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ी जानी चाहिए।

परामर्श पत्र के पैरा 3.4 में इस आधार पर एक प्रस्ताव रखा गया था कि केवल पूछताछ के प्रयोजन के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यह उल्लेख किया गया था कि ऐसी गिरफ्तारी या निरोध संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अतर्कसंगत और अवैध अतिक्रमण है। इस प्रस्ताव पर किसी ओर से भी कोई गंभीर विरोध नहीं हुआ था। वास्तव में, यह प्रस्ताव उसी का अनुगामी है जो कुछ पहले ऊपर कहा है, अर्थात्, यह कि कोई भी गिरफ्तारी आकस्मिक रीति से नहीं की जानी चाहिए अपितु केवल उन मामलों के आधार पर की जानी चाहिए जिनके आधार पर पुलिस अधिकारी का युक्तियुक्त रूप से या समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है। वस्तुतः यह सोचना कि पुलिस को मनमानी रूप से निरुद्ध करने की और पता लगाने के लिए पूछताछ करने की अनुमति है कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है या नहीं। हमारी संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत ऐसी अनियमित शक्ति की अनुमति नहीं है। कोई संज्ञेय अपराध करने के संदिग्ध किसी व्यक्ति से पूछताछ करना, यदि अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तो, पुलिस अधिकारी उसके या तो उसके निवास स्थान पर या किसी ऐसे अन्य स्थान पर पूछताछ कर सकता है जो ऐसा व्यक्ति चाहे और पुलिस अधिकारी जिससे सहमत हो।

## अध्याय 11

## निरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण के लिए कतिपय सिफारिशें, धारा 172 का संशोधन, भिन्न-भिन्न अन्वेषण और अभियोजन अभिकरण तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001

परामर्श पत्र के पैरा 3.9 में यह प्रस्थापना की गई थी कि निरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना निरोधक अधिकारी का उत्तरदायित्व है। उक्त प्रस्ताव के समर्थन में जो कारण हैं उन्हें उद्धृत करना उपयुक्त होगा। वे निम्नलिखित रूप में हैं:—

"विधि द्वारा स्पष्ट रूप से यह उपबंध भी किया जाना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार करने वाले और निरोधक प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह निरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे। गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा करने की अपेक्षा के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने जो सिफारिश की है वह लागू किए जाने योग्य है। इस संबंध में, [illegible] बनाम [illegible] राज्य (एआईआर 1985 [illegible]) [illegible] न्यायालय का निर्णय, जिसकी [illegible] न्यायालय ने [illegible] रामकृष्ण रेड्डी, एआईआर 2000 स. न्या. 2083 में पुष्टि की है, [illegible] पुलिस अधिकारियों के [illegible] और [illegible] आचरण के लिए [illegible] ध्यान में रखा जाना चाहिए। संक्षेप में, ऐसा [illegible] जहां किसी व्यक्ति को [illegible] करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है; [illegible] गिरफ्तारी के समय [illegible] और [illegible] भी [illegible] उसकी मृत्यु हो जाती है। अथवा एक दूसरा [illegible] जहां व्यक्ति को [illegible] और [illegible] अधिकारियों द्वारा [illegible] उसकी मृत्यु हो जाती है, [illegible] कि यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो उसके परिवार और [illegible] मामलों में राज्य [illegible] के दायित्व के अधीन होगा।"

हम [illegible] की पुष्टि करते हैं। [illegible] क्योंकि इस [illegible] की पुष्टि [illegible] न्यायालय ने की है इसके [illegible] विधेयक में [illegible] संशोधनों का प्रस्ताव किया है [illegible] पुष्टि हो जाती है।

परामर्श पत्र के पैरा 3.14 में [illegible] का प्रस्ताव रखा गया था कि प्रत्येक थाने पर एक [illegible] रखा जाना चाहिए। कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि [illegible] व्यक्तियों के [illegible] रखने के बारे में [illegible] की प्रकृति के बारे में पहले से ही [illegible] है [illegible] "[illegible] अभिलेख" नाम का एक और अभिलेख रखने का प्रस्ताव अनावश्यक है। इस [illegible] में [illegible] सिफारिशें की गई हैं उनके आलोक में हम इस प्रस्ताव पर जोर नहीं देना चाहते।

परामर्श पत्र के पैरा 3.11 में आयोग ने [illegible] बनाम [illegible] राज्य (एआईआर 1965, स. न्या. 1039) में [illegible] न्यायालय के निर्णय से [illegible] विधि की चर्चा की है। [illegible] निर्णयों से इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस मामले पर [illegible] राष्ट्रीय पुनर्विलोकन आयोग (एन सी आर डब्ल्यू सी) ने एक परामर्श पत्र तैयार किया है जिसमें [illegible] के विभिन्न पहलुओं पर [illegible] से विचार किया गया है। यह समझा जाता है कि उक्त आयोग इस विषय पर एक [illegible] रिपोर्ट



भी तैयार कर रहा है। [illegible] के द्वारा उठाए गए [illegible] को पूर्णतया [illegible] है और हमें [illegible] है कि उक्त आयोग इस विषय पर [illegible] और [illegible] सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

परामर्श पत्र के पैरा 3.12 में [illegible] पुलिस अधिकारियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के [illegible] अनुपालन तथा ऐसे अनुपालन को सुनिश्चित करने के बारे में न्यायालय के कर्तव्य के संबंध में है। परामर्श पत्र न केवल धारा 172 की [illegible] अनुपालन की अपेक्षा करता है अपितु उसमें धारा 172 में एक संशोधन करने का सुझाव भी दिया गया है क्योंकि इस प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया है। अतः हम उसकी पुष्टि करते हैं। पैरा 3.12 में दिया गया सुझाव [illegible] निम्नलिखित रूप में है:—

"दं.प्र.सं. की धारा 172 की उपधारा (1) यह अपेक्षा करती है कि "प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन-प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तिला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण प्रारम्भ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा।" ऐसी डायरी में गिरफ्तारी का समय, स्थान और परिस्थितियां दर्ज की जाएंगी। अतः यह आवश्यक है कि इस उपधारा के उपबंधों का पूरी तरह अनुपालन किया जाए। तथापि, इस विषय में [illegible] न्यायालय के [illegible] बनाम [illegible] राज्य (ए आई आर 1963, [illegible] 1741) में [illegible] निम्नलिखित विचारों पर ध्यान [illegible] न्यायालय ने धारा 172 के अंतर्गत डायरी रखने के विषय में देश में [illegible] का उल्लेख किया है। न्यायालय ने [illegible] इस तथ्य का उल्लेख किया है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे पुलिस विनियम/पुलिस स्थायी आदेश हैं जिनमें वह रीति विहित की गई है जिसके अनुसार ऐसी डायरियां रखी जाएंगी पर उनमें एकरूपता नहीं है। न्यायालय ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि [illegible] जैसे कुछ राज्यों में धारा 172 के अंतर्गत डायरी 'केस डायरी' कही जाती है और [illegible] प्रदेश तथा [illegible] जैसे कुछ अन्य राज्यों में इसे 'केस डायरी' कहते हैं। "[illegible] डायरी" और "केस डायरी" के बीच यह अंतर [illegible] न्यायालय के शब्दों में, [illegible] की धारा 162 में [illegible] "पुलिस डायरी या अन्य" हो सकते हैं। न्यायालय ने यह [illegible] भी [illegible] कि [illegible] प्रदेश [illegible] जम्मू-कश्मीर तथा [illegible] जैसे कुछ अन्य राज्यों के [illegible] में "केस डायरी" शब्दों का प्रयोग यह संकेत दे सकता है कि उनकी "[illegible] डायरी" से भिन्न कोई वस्तु है। [illegible] अन्य राज्यों में ऐसे पुलिस स्थायी आदेश हैं जिनमें यह निर्देश दिया गया है कि धारा 172 के अंतर्गत रखी जाने वाली डायरी दो भागों में होनी चाहिए, पहले भाग का संबंध पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के अनुक्रम में [illegible] से होगा और [illegible] उस समय का उल्लेख होगा जिस समय पुलिस को इत्तिला प्राप्त हुई और अन्वेषण के दौरान क्या-क्या कदम उठाए गए तथा दूसरे भाग का संबंध अन्वेषण के दौरान अभिनिश्चित परिस्थितियों के विवरण से होगा [illegible] न्यायालय ने इस भ्रम को और धारा 172 के अधीन डायरी रखने के विषय में [illegible] को दूर करने के लिए कानून में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। अतः यह उचित है कि धारा 172 में समुचित संशोधन करके वह रीति दर्शाई जाए जिसके अनुसार डायरी रखी जानी चाहिए, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए और यह रीति क्या होनी चाहिए जिससे कि विषय-वस्तु न्यायालय और [illegible] अधिकारियों को [illegible] के [illegible] की जाए। केस डायरी का महत्व पुलिस अन्वेषण की [illegible] के विरुद्ध [illegible] के रूप में उसकी [illegible] में है। [illegible] में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केस डायरी [illegible] से भिन्न है या नहीं और यदि है तो उसे किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। (दिल्ली उच्च न्यायालय का अशोक कुमार बनाम राज्य (1957 [illegible] 1471) देखिए)। "ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी का समय, स्थान और परिस्थितियां [illegible] प्रकार से दर्ज की जाती हैं और ऐसे अभिलेख से संबंधित हैं जो कि एक कानूनी अभिलेख है"।

विधि आयोग की एक दूसरी रिपोर्ट (विधिक संशोधन विधेयक 1[illegible]वीं रिपोर्ट) में की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ [illegible] की धारा 162 के संशोधन की सिफारिश है, उसके अनुरूप, हम धारा 172 की उपधारा (3) में कतिपय शब्द [illegible] करने के सुझाव दे रहे हैं।

अंत में, हम [illegible] में भाग लेने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा बार-बार [illegible] गए इस विचार का उल्लेख करना चाहते हैं कि अन्वेषण और अभियोजन अभिकरण को विधि व्यवस्था अभिकरण से पृथक किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि अपराध का अन्वेषण एक विशेषज्ञ प्रक्रिया है जो पर्याप्त धैर्य,

विशेषज्ञता, कौशल और अन्वेषण के विषय में संबंधित कानूनी स्थिति की अच्छी समझ की अपेक्षा करता है। यह इंगित भी किया गया है कि आर्थिक अपराधों के विषय में, और विशेष रूप से तकनीकी प्रकृति के कारण, अन्वेषण अपने आप में एक चातुर्य है जिसके लिए लेखा-परीक्षा, कम्प्यूटर संचालन, बैंक व्यवस्था आदि का ज्ञान अपेक्षित है और यह उक्त अन्वेषण का कार्य विधि-व्यवस्था बनाए रखने से संलग्न पुलिस को नहीं सौंपा जाना चाहिए। इस प्रश्न प्रायः ये पूरी तरह सहमत हैं किन्तु हम इस विषय में स्वयं प्रवेश नहीं करना चाहते क्योंकि इस विषय पर इस आयोग ने दण्ड प्रक्रिया से संबंधित अपनी 154वीं रिपोर्ट में विस्तार से विचार किया है। अध्याय 2 एक पृथक अन्वेषण अभिकरण स्थापित करने के बारे में है। उसमें अन्वेषण को विधि-व्यवस्था बनाए रखने से संलग्न पुलिस कर्मचारियों से पृथक् रखने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। इसमें विधि आयोग की [illegible] रिपोर्ट में की गई पूर्ववर्ती सिफारिशों, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है और यह विचार को स्वीकार करते तथा लागू करने के उपाय सुझाए गए, जिसकी संख्या 7 है, दिए गए हैं। उनकी सिफारिशें उक्त अध्याय के पैरा [illegible] में हैं–

> "हम सिफारिश करते हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों को गंभीर अपराधों का अन्वेषण सौंपा जाता है वे उनसे पृथक् और भिन्न होने चाहिएं जिन्हें विधि-व्यवस्था के प्रवर्तन का कार्य और अन्य विविध कर्तव्य सौंपे जाते हैं। एक पृथक् अन्वेषण अभिकरण गठित किया जाए जो किसी अधिकारी पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन हो। 'अन्वेषण पुलिस दल' के अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिलना चाहिए और प्रभावपूर्ण अन्वेषण को आसान करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम सुझाव देते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों के संबंधित विधि और गृह-विभाग अपनी सेवा शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए अपेक्षित नियम बनाएं।
>
> अन्वेषण पुलिस दल के अधिकारियों को सुरक्षा बढ़ाने और ठोस विचारण में न्यायालयों की सहायता करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय भी उपलब्ध सुनिश्चित करने, अभियुक्तों को पेश करने और अभियोजन अभिकरण के साथ अधिक समन्वय करके प्रभावी करने के लिए, उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। अन्वेषण में प्रथा के विकास के लिए, अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिएं। तदनुसार हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारें के गृह-विभाग अपने विधि विभागों के साथ परामर्श करके पुलिस अधिनियमों में, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों में, पुलिस विनियमों में, पुलिस स्थायी आदेशों में और पुलिस मैनुअलों में आवश्यक परिवर्तन करें।"

अध्याय III (154वीं रिपोर्ट) स्वतंत्र अभियोजन अभिकरण के विषय में है। यहां भी विधि आयोग ने अपनी पूर्ववर्ती रिपोर्टों, अर्थात् 14वीं और 41वीं रिपोर्टों का, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के विषय पर प्रकाशित अनेक कार्यशालाओं में प्राप्त सामग्री का उल्लेख किया है। न्यायालयों के ऐसे कतिपय निर्णयों में किए गए सुझाए गए उपायों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें अभियोजन अभिकरण और अन्वेषण अभिकरण को पृथक् रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अंतिम रूप से सिफारिश की गई है कि एक अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाए। रिपोर्ट में अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की पद्धति की चर्चा भी विचार-विमर्श के अनुक्रम में की गई है। इसमें प्रासंगिक परिस्थितियों तथा स्थिति में अभियोजन चलाने के लिए स्वयं अपना वकील रखने की अनुमति देने की वांछनीयता पर विचार भी किया गया है जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि लोक अभियोजक अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं कर रहा है और विधि तथा न्याय की प्रक्रिया नष्ट हो रही है। इस संबंध में (कुछ राज्यों में) पुलिस विभाग द्वारा मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए वकीलों को भर्ती करने की प्रथा का उल्लेख करना चाहते हैं। इस प्रकार भर्ती किए गए वकील विभाग के कर्मचारी बन जाते हैं और उनके अनुदेशों और निदेशों के अधीन हो जाते हैं। इस प्रथा का भी पुनर्विलोकन करना होगा।

इस विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट के अध्याय II और III में अभिव्यक्त मतों और सिफारिशों का समर्थन करते हैं और उनको दोहराते हैं तथा सिफारिश करते हैं कि संबंधित प्राधिकारी उन्हें स्वीकार करें।

अपनी सिफारिशों को विधायी स्वरूप देने के उद्देश्य से हमने इस रिपोर्ट के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 (उपाबंध 1) संलग्न किया है। यद्यपि इस रिपोर्ट में कतिपय अन्य सिफारिशें भी हैं



(जैसे, पृथक्, अन्वेषण अभिकरण की स्थापना और एक स्वतंत्र अभियोजन अभिकरण की स्थापना) जिन्हें संलग्न विधेयक में प्रकट नहीं किया गया है। वे मूलतः में प्रशासनिक स्वरूप हैं।

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

(न्यायमूर्ति बी॰ पी॰ जीवन रेड्डी)
अध्यक्ष

(न्यायमूर्ति एम॰ जगन्नाथ राव)
उपाध्यक्ष

(डा॰ एन॰ एम॰ घटाटे)
सदस्य

(श्री टी॰ के॰ विश्वनाथन)
सदस्य-सचिव

दिनांक 14.12.2001

अनुबंध I

## दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002

दण्ड प्रक्रिया संहिता में आगे और संशोधन करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 41 का संशोधन

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 41 में,—

(i) उप-धारा (1) में खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है;

(ख) जिसके विरुद्ध ऐसी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध, जो कारावास से दण्डनीय (जुर्माने के साथ या उसके बिना) कोई संज्ञेय अपराध किया है और निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात्:—

(i) पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

(ii) पुलिस अधिकारी का समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित कारणों से ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है—

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए; या

(ख) अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए या इस कारण से कि ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में निरोध उसकी सुरक्षा के हित में है; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को विलोपित करने या किसी रीति से ऐसे साक्ष्य में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए; या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने से निवारित करने के लिए जो व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित है ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को न प्रकट करने के लिए मनाया जाए; या

(ङ) जब तक कि यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब भी जब कभी अपेक्षा की जाए उस न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती; और पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के ऐसे कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(खक) जिसके विरुद्ध ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से (जुर्माने सहित या उसके बिना) अथवा मृत्यु से दण्डनीय कोई



संज्ञेय अपराध किया है और उस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।"

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाएगी:—

"(2) धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या युक्तियुक्त संदेह है कि वह ऐसे अपराध से संबंधित है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"

नई धारा 41क से धारा 41घ तक का अंतःस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

हाजिरी नोटिस

"41क. (1) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 41 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है या जब भी ऐसी अपेक्षा की जाए, उसके समक्ष या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाएगा।

(2) जब भी उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करके किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाए, ऐसा व्यक्ति निदेशानुसार हाजिर होगा।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य

41ख. (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय—

(क) अपने नाम का एक सही, दृष्टिगोचर और स्पष्ट पहचान पत्र धारण करेगा जिससे कि आसानी से उसकी पहचान में सुविधा हो;

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस अपराध की सूचना देगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है।

(ग) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा—

(i) जिसे कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस स्थानीय क्षेत्र का सम्मानीय सदस्य है जहां गिरफ्तारी की गई है;

(ii) जिस पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा;

(घ) गिरफ्तार व्यक्ति को यह संसूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी की जानकारी उसके किसी नातेदार या मित्र को दी जाए, किन्तु उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन साक्ष्यांकित करने की दशा में यह आवश्यक नहीं है;

(ङ) गिरफ्तार व्यक्ति के नातेदार या मित्र को उस स्थान की संसूचना देगा जहां उसे अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है।

जिलों में नियंत्रण कक्ष

41ग. (1) राज्य सरकार—

(क) प्रत्येक जिले में;

(ख) राज्य स्तर पर

पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी;

(2) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर सूचनापट्ट पर उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, प्रदर्शित करेगी।

(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष, समय-समय पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते, उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप है, संग्रहीत करेगा और साधारण जनता की जानकारी के लिए उसका डाटाबेस रखेगा।

गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता रखने का अधिकार

41घ. जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तब वह ऐसी पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता की उपस्थिति रखने का हकदार होगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

परन्तु इस धारा की कोई बात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है कि अधिवक्ता पूछताछ की पूरी अवधि में उपस्थित रहे।"

धारा 54 का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,—

गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा

"54. (1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तारी के पश्चात् शीघ्र ही उसकी शारीरिक परीक्षा किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी।

(2) गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर पाई गई किन्हीं चोटों या हिंसा के किन्हीं चिह्नों तथा उनके अनुमानित समय का उल्लेख किया जाएगा जिस समय ऐसी चोटें या चिह्न लगे हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी परीक्षा की पुनरावृत्ति पुलिस अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान हर 24 घंटे पर की जाएगी।"

नई धारा 55क का अंतःस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा

"55क. किसी अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे।"

नई धारा 60क का अंतःस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

गिरफ्तारी पूर्ण रूप से संहिता के अनुसार करना

"60क. इस संहिता के उपबंधों के या गिरफ्तारी का उपबंध करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही गिरफ्तारी की जाएगी अन्यथा नहीं।"

धारा 172 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) धारा 161 के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम में अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन केस डायरी में दर्ज किए जाएंगे।

(1ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केस डायरी जिल्दबंद होगी, सम्यक् रूप से पृष्ठांकित होगी और [illegible] में रखी जाएगी।"



धारा 320 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 320 की,—

(क) उपधारा (1) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी,—

"सारणी

| अपराध | भारतीय दंड संहिता की धारा जो लागू होती है | वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। | 298 | वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना आशयित है। |
| स्वेच्छया उपहति कारित करना। | 323, 334 | वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। |
| खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना। | 324 | वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। |
| स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। | 325 | वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। |
| गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। | 335 | वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। |
| ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, घोर उपहति कारित करना। | 338 | वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। |
| किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध। | 341, 342 | वह व्यक्ति जो अवरुद्ध या परिरुद्ध किया गया है। |
| किसी व्यक्ति का तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। | 343 | परिरुद्ध व्यक्ति। |
| दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। | 344 | परिरुद्ध व्यक्ति। |
| गुप्त स्थान में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध। | 346 | परिरुद्ध व्यक्ति। |
| हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। | 352, 355, 358 | वह व्यक्ति जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। |
| चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। | 379 | चुराई गई संपत्ति का स्वामी। |
| संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। | 403 | दुर्विनियोजित संपत्ति का स्वामी। |
| आपराधिक न्यासभंग, जहां संपत्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। | 406 | उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यासभंग किया गया। |
| वाहक, घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग, जहां संपत्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। | 407 | उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यासभंग किया गया। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| लिपिक या सेवक द्वारा बेईमानी से दुर्विनियोग, जहां सम्पत्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। | 403 | वह सम्पत्ति का स्वामी जिसका दुर्विनियोग किया गया। |
| चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई गई है, बेईमानी से प्राप्त करना, जब चुराई हुई सम्पत्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। | 411 | चुराई गई सम्पत्ति का स्वामी। |
| चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई गई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना, जहां चुराई हुई सम्पत्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। | 414 | चुराई गई सम्पत्ति का स्वामी। |
| छल। | 417 | वह व्यक्ति जिसके साथ छल किया गया है। |
| प्रतिरूपण द्वारा छल। | 419 | वह व्यक्ति जिसके साथ छल किया गया है। |
| लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। | 421 | उससे प्रभावित लेनदार। |
| अपराधी को देय ऋण या मांग को उसके लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से कपटपूर्वक निवारित करना। | 422 | उससे प्रभावित लेनदार। |
| अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन। | 423 | उससे प्रभावित व्यक्ति। |
| सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। | 424 | उससे प्रभावित व्यक्ति। |
| रिष्टि, जब कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है। | 426, 427 | वह व्यक्ति जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है। |
| दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने की द्वारा रिष्टि। | 428 | जीवजन्तु का स्वामी। |
| किसी मूल्य के ढोर आदि का या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि। | 429 | ढोर या जीवजन्तु का स्वामी। |
| सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने के द्वारा रिष्टि जब उससे कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है। | 430 | वह व्यक्ति जिसे हानि या नुकसान कारित हुआ है। |
| आपराधिक अतिचार। | 447 | वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है। |



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| गृह-अतिचार। | 448 | वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है। |
| कारावास से दण्डनीय अपराध को (जो चोरी से भिन्न है) करने के लिए गृह-अतिचार। | 451 | वह व्यक्ति जिसका उस गृह पर कब्जा है जिस पर अतिचार किया गया है। |
| मिथ्या व्यापार या सम्पत्ति चिह्न का उपयोग। | 482 | वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है। |
| अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए व्यापार या सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण। | 483 | वह व्यक्ति जिसका व्यापार या सम्पत्ति चिह्न कूटकृत किया गया है। |
| कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिह्नित माल का, जानते हुए विक्रय या अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कब्जे में रखना। | 486 | वह व्यक्ति जिसका व्यापार या सम्पत्ति चिह्न कूटकृत किया गया है। |
| सेवा संविदा का आपराधिक भंग। | 491 | वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है। |
| जारकर्म। | 497 | स्त्री का पति। |
| विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना। | 498 | स्त्री का पति। |
| मानहानि, सिवाय ऐसे मामलों के जो उपधारा (2) के नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 500 के सामने विनिर्दिष्ट किए गए हैं। | 500 | वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। |
| मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। | 501 | वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। |
| मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को यह जानते हुए बेचना कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है। | 502 | वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। |
| शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान। | 504 | अपमानित व्यक्ति। |
| आपराधिक अभित्रास, उस दशा के सिवाय जब वह अपराध सात वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है। | 506 | अभित्रस्त व्यक्ति। |
| किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य। | 508 | वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है।" |

(ख) उपधारा (2) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी:

| अपराध | भारतीय दंड संहिता की धारा जो लागू होती है | वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| गर्भपात कारित करना। | 312 | वह स्त्री जिसका गर्भपात कारित किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, उपहति कारित करना। | 337 | वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। |
| स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। | 354 | वह स्त्री जिस पर हमला या जिस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया था। |
| किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। | 357 | वह व्यक्ति जिस पर हमला या जिस पर बल का प्रयोग किया गया था। |
| लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी, जहाँ चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। | 381 | चुराई गई सम्पत्ति का स्वामी। |
| ऐसे व्यक्ति के साथ छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था। | 418 | वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है। |
| छल करके और सम्पत्ति परिदत्त करने अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने, या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। | 420 | वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है। |
| पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना। | 494 | ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी। |
| स्त्री का पति या नातेदार जिसके प्रति क्रूरता की गई है। | 498क | वह स्त्री जिसके प्रति क्रूरता की गई है। |
| राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानि जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो। | 500 | वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। |
| स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द कहना या ध्वनियां करना या अंगविक्षेप करना या कोई वस्तु प्रदर्शित करना या स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करना। | 509 | वह स्त्री जिसका अनादर करना आशयित था या जिसकी एकान्तता का अतिक्रमण किया गया था। |

धारा 436 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (1) में,–

(क) "ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसा व्यक्ति प्रतिभुओं के बिना व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌:



"परन्तु ऐसा अधिकारी या न्यायालय उसे बंधपत्र पर छोड़ सकता है यदि, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत बंधपत्र पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"

नई धारा 436क का अंतःस्थापन

10. मूल अधिनियम की धारा 436 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:–

कतिपय मामलों में निरुद्ध व्यक्तियों का व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ा जाना

"436क. (1) किसी विधि के अधीन किसी अपराध के (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन दण्ड के रूप में मृत्युदंड विनिर्दिष्ट किया गया है) इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान, जहाँ कोई व्यक्ति उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक निरुद्ध रह चुका है वहाँ न्यायालय द्वारा प्रतिभुओं सहित या उनके बिना, जैसा न्यायालय ठीक समझे, उसे उसके व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ा जाएगा:

परन्तु न्यायालय, लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात् और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को उक्त अवधि के आधे से अधिक अवधि तक निरुद्ध किए रखने का आदेश दे सकता है अथवा उसे, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना, जैसा न्यायालय ठीक समझे, बंधपत्र के बजाय जमानत पर छोड़ सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी व्यक्ति को अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस अवधि से अधिक तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जो उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि है।

स्पष्टीकरण – जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की संगणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किए गए विलम्ब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में तब तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा निरोध किसी अपराध के अन्वेषण की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित न हो।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जाना अपेक्षित है वहाँ ऐसी अभिरक्षा न्यायिक अभिरक्षा होगी।"

धारा 437 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 437 में,—

(क) उपधारा (1) में—

(i) खण्ड (ii) में, "अजमानतीय और संज्ञेय अपराध" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष या अधिक किन्तु सात वर्ष से अनधिक कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) तृतीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा इस उपधारा के अधीन जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता यदि उस पर ऐसा अपराध, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथित है, मृत्यु से या आजीवन कारावास या सात वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सात वर्ष के कारावास की अवधि तक (जुर्माने के साथ या उसके बिना) दण्डनीय किसी संज्ञेय अपराध के अभियुक्त को उस समय जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि ऐसा विश्वास करने के कारण न हों, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, कि ऐसे व्यक्ति का फरार होना या छिप जाना सम्भाव्य नहीं है।"

(ग) उपधारा (3) में "ऐसी कोई भी शर्त, जिसे न्यायालय आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"निम्नलिखित कोई भी शर्त अधिरोपित करेगा,".

(क) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा,

(ख) ऐसा व्यक्ति वैसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के सदृश है जिसे करने का वह अभियुक्त है या संदिग्ध है, तथा

(ग) ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, ऐसा कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा जिससे कि वह व्यक्ति ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने के लिए न माने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे,

तथा ऐसी कोई भी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकता है जो वह न्याय के हित में और आवश्यक समझता है।"

नई धारा 441क का अंतःस्थापन

12. मूल अधिनियम की धारा 441 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"441क. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के लिए प्रतिभू होता है, न्यायालय के समक्ष यह घोषणा करेगा कि वह अभियुक्त को सम्मिलित करते हुए कितने और व्यक्तियों के लिए प्रतिभू है तथा सभी सुसंगत ब्यौरे घोषणा पत्र में देगा।"

धारा 446 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 446 की उपधारा (3) में "न्यायालय स्वविवेकानुसार" शब्दों के स्थान पर "न्यायालय उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे।



उपाबंध II

गिरफ्तारियों के आंकड़े

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | कुल अपराधों के लिए गिरफ्तारियों की कुल संख्या | निवारक उपायों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति | [illegible] | [illegible] | [illegible] | अपराधों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों का प्रतिशत | निवारक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति-संख्या का प्रतिशत (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 744 | 185 | 545 | 38 | 86 | 55.47 | 20.5 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 173634 125250 | 428404 | 748446 | 10154 | 358407 | 45.85 | 4.81 |
| 3. | गोवा | 2516 | 1685 | 4085 | 337 | 118 | 60.42 | 18.59 |
| 4. | उड़ीसा | 2041 | 480 | 1394 | 15 | 450 | 94 | 2.69 |
| 5. | मिजोरम | 5942 | 246 | 2451 | 34 | 1683 | 35 | 21.95 |
| 6. | पांडिचेरी | 3151 | 2345 | 3024 | 31 | 1457 | 10.1 | .42 |
| 7. | नागालैण्ड | 43 | 125 | 146 | 76 | 05 | 885 (व्यक्ति) | 20.8 |
| 8. | दिल्ली | 57163 | 30944 | 31581 | 8504 | 34416 | .58 | 28.35 |
| 9. | मणिपुर | 704 | 1145 | 35 सूचना नहीं | 394 | 8 सूचना | सूचना नहीं मिली | 46.63 |
| 10. | केरल | 164805 | 3884 | 157313 | 4510 | 25807 | 33 | 77.87 |
| 11. | असम | 1351 | 87 | 839 | 427 | 23 | .94 | — |
| 12. | कर्नाटक | 103508 | 2062 | 10153 | 65 | 3394 | 84.1 | .66 |
| 13. | राजस्थान | 249464 | 96109 | 249460 | 60 | शून्य | — | .36 |
| 14. | त्रिपुरा | 6560 | 23489 | 6349 | 3161 | 4579 | 9.1 | 38.32 |
| 15. | सिक्किम | 4616 | 755 | 4290 | 234 | 30 | — | 11.96 |
| 16. | गुजरात | 251550 | 888723 | 480511 | 3708 | 117605 | 99.75 | .40 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 41823 | 207626 | 32746 | 16828 | 1072 | — | 6.00 |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | 755 | 33 | 510 | शून्य | 294 | 115 | — |
| 19. | लक्षद्वीप | 06 | शून्य | 06 | शून्य | शून्य | 66.67 | — |
| 20. | दमन और दीव | 629 | 111 | 530 | 34 | 331 | 80 | 18.86 |
| 21. | बिहार | 949617 | — | 354138 | 22138 | 12647 | 14.00 | — |
| 22. | जम्मू एवं कश्मीर | 2285 | 4288 | 6052 | 165 | 895 | 55.81 | 3.14 |
| 23. | महाराष्ट्र | 33675 | 10566 | 20585 | 1469 | 154 | 41 | 7.08 |
| 24. | अंडमान और निकोबार | 2578 | 721 | 2435 | 17 | 1874 | 98.81 | 2.35 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 249524 | 93950 | 255881 | 20103 | 83346 | 34.50 | 45.66 |
| 26. | मध्य प्रदेश | 476587 | 354342 | 518858 | 12109 | 330539 | 85 | 3.50 |
| 27. | हिमाचल प्रदेश | 90111 | 6143 | 26885 | 419 | 2127 | 60 | 6.78 |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

उपाबंध III

## भारत का विधि आयोग

## गिरफ्तारी से संबंधित विधि विषयक परामर्श पत्र

### भाग – 1

### गिरफ्तारी विधि

1.1 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के विषय में है। धारा 41 वह मुख्य धारा है जिसमें उन स्थितियों के लिए उपबंध है जब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यह धारा निम्नलिखित रूप में है:–

"41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी – (1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है–

(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या कोई विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है; अथवा

(ख) जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृह-भेदन का कोई उपकरण रखता है; अथवा

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा उद्घोषित अपराधी किया जा चुका है; अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है;

(ङ) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है; अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है; अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है; अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक का है उसी प्रकार गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है।"

1.2 धारा 42 में वह अन्य स्थिति बताई गई है जहां पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करता है या उस पर कोई असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग है और पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जो ऐसे अधिकारी को मिथ्या मानने का कारण है, वह ऐसे अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है किन्तु ऐसी गिरफ्तारी उसका नाम और निवास अभिनिश्चित करने के सीमित प्रयोजन मात्र के लिए की होगी। ऐसा अभिनिश्चय हो जाने के पश्चात वह, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना, ऐसा बंधपत्र निष्पादित करने पर कि यदि उससे अपेक्षा किया जाए तो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा, छोड़ दिया जाएगा। उस दशा में जब ऐसे व्यक्ति का नाम और निवास असली गिरफ्तारी की तारीख से 24 घंटे के भीतर अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता अथवा यदि ऐसा व्यक्ति अपेक्षित बंधपत्र निष्पादित करने में असफल रहता है तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसकी अधिकारिता हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

1.3 धारा 43 ऐसी स्थिति को स्पष्ट करती है जहां किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है और वह प्रक्रिया स्पष्ट करती है जो ऐसी गिरफ्तारी पर अपनाई जाएगी। धारा 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में है। धारा 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों को धारा 41 से धारा 44 तक के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है। धारा 46 उस रीति का वर्णन करती है जिस रीति से गिरफ्तारी की जानी चाहिए। धारा 47 पुलिस अधिकारी को किसी स्थान में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान करती है, यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या उसके अन्दर है। धारा 48 पुलिस अधिकारी को शक्ति प्रदान करती है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। धारा 49 यह उपबंध करती है कि "गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।" धारा 50 (जो कि संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (1) के अनुरूप है) के अनुसार, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। इस धारा में यह उपबंध भी है कि जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे। धारा 51—गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के संबंध में है। धारा 52 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति के पास से आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 53 तथा धारा 54 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा पुलिस अधिकारी के निवेदन पर या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के निवेदन पर या गिरफ्तार किए जाने के लिए उपबंध करती हैं। धारा 55 में वह प्रक्रिया विहित है जिसका अनुसरण तब किया जाएगा जब कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्रतिनियुक्त करता है। धारा 56 (जो कि संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (2) के अनुरूप है) यह उपबंध करती है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अनुमति देता है तो वह 24 घंटे से अधिक अवधि तक ऐसा कर सकता है। धारा 58—पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निदेश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने थाने की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेगा चाहे उन व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया हो या नहीं। धारा 59 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के

[illegible]

1.4 [illegible]

1.5 [illegible]

1.6 [illegible]

1.7 [illegible]



[illegible]

1.8 [illegible]

1.9 [illegible]

1.10 [illegible]

[illegible] की पुलिस की [illegible] का [illegible] करने की [illegible] भी दी है यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि [illegible] के प्रयोजन के लिए उन सभी का [illegible] किया जाए; [illegible] यदि हम [illegible] का उल्लेख करें, (जो [illegible] में [illegible] निर्णय और [illegible] को [illegible] करते हैं और [illegible] हैं)। [illegible] (ए. आई. आर. [illegible] (1949) में गिरफ्तारी की शक्ति और उसके प्रयोग का व्यापक चर्चा की गई है। [illegible] में किए गए [illegible] का उल्लेख उपयुक्त होगा: "मानव अधिकारों के [illegible] में [illegible] है [illegible] अपराध [illegible] बढ़ रही है। [illegible] व्यवस्था को [illegible] के कारण मानव अधिकारों के [illegible] में [illegible] हुई है। इन दोनों के बीच कोई संतुलन करें? इस [illegible] में [illegible] दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी [illegible] विधि का उद्देश्य एक ओर व्यक्ति के अधिकारों, [illegible] और [illegible] तथा दूसरी ओर [illegible] के [illegible], [illegible] और [illegible] के बीच संतुलन स्थापित करना है, [illegible] व्यक्ति के अधिकारों, [illegible] में [illegible] का [illegible] रूप से [illegible] की [illegible] आदि का [illegible] और संतुलन करता है और केवल [illegible] करता है कि [illegible] है और [illegible] किया जाना चाहिए; [illegible] करता है कि [illegible] को या [illegible], विधि का [illegible] करने वालों को या विधि का पालन करने वाले को; और उस [illegible] का [illegible] करता है [illegible] में [illegible] व्यक्ति के [illegible] और समाज के अधिकारों के बीच संतुलन करने के इसी प्रकार के कार्य के संबंध में [illegible] और उन्होंने [illegible] के साथ यह निर्णय दिया था कि [illegible] विधि था, [illegible] है और अपराधी को [illegible] किया जाना चाहिए क्योंकि [illegible] ने [illegible] की है।

[illegible] की [illegible] को [illegible] के [illegible] विधि को [illegible] के लिए प्रयोग में [illegible] हैं।"

[illegible] (ए. आई. आर. 1926, [illegible] 1025) में पृ. 1032 पर [illegible] करते हुए [illegible] ने निम्नलिखित कथन किया है:

"[illegible] विधि [illegible] और दूसरी ओर विधि [illegible] के [illegible] नागरिकों या [illegible] और [illegible] के बीच संतुलन [illegible] की एक [illegible] है"। [illegible] पूर्ण [illegible] है।

पृ. 1033 पर पैरा 21 में पुनः निम्नलिखित उल्लेख [illegible] है:

"हमने [illegible] पूर्व [illegible] का उल्लेख किया है जिन्हें [illegible] करने की आवश्यकता है। [illegible] पुलिस [illegible], अपराध का [illegible] की [illegible] और उन [illegible] अधिकारों के बीच जो [illegible] को प्राप्त हैं [illegible] है। इन दोनों के बीच संतुलन [illegible], जैसा कि [illegible] में [illegible], [illegible] के अनुसार [illegible] है। [illegible] (1966) 384 [illegible] 436) अभियुक्त के [illegible] अपराध के [illegible] के प्रति [illegible] में [illegible] और [illegible] विधि का [illegible] करने [illegible] को [illegible] के [illegible] के प्रति [illegible] है। [illegible], [illegible] के [illegible] अभियुक्त [illegible] को [illegible] कि (संवैधानिक) [illegible] के प्रति [illegible] में उन [illegible] की [illegible] है [illegible] के प्रयोग के प्रति [illegible] के [illegible] हुए, [illegible] का उल्लेख करते हैं। ...(ऑल इंडिया रिपोर्टर [illegible] 1973 [illegible] ([illegible] 123, 136)) [illegible] संतुलित [illegible] होनी चाहिए, और यह [illegible] नहीं कर सकेंगे, [illegible] में [illegible], [illegible] में [illegible] तथा अन्य [illegible] को [illegible] के [illegible] के लिए [illegible] है"।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भारत में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस में [illegible] के [illegible] में से एक है। [illegible] रिपोर्ट में [illegible] कि [illegible] 60 प्रतिशत गिरफ्तारियाँ या तो [illegible] और ऐसे [illegible] के [illegible] का [illegible] 43.2 प्रतिशत हो गया था। [illegible] आयोग ने अपनी [illegible] रिपोर्ट के पृष्ठ 31 पर निम्नलिखित [illegible] किया है।

"[illegible] है कि गिरफ्तारियों में से अधिकांश का संबंध [illegible] अभियोजनों से था [illegible] में [illegible] अपराध की [illegible] की दृष्टि से पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं [illegible] था। [illegible]



गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का [illegible] में [illegible] पर [illegible] है। उपरोक्त [illegible], [illegible] 43.2 प्रतिशत [illegible] ऐसे [illegible] को [illegible] किया [illegible], [illegible] विश्लेषण किया [illegible], गिरफ्तार [illegible] बिल्कुल अनावश्यक थी ..." (राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों [illegible] से भी अधिक [illegible] हैं। [illegible] है।)

[illegible] ने "[illegible] के सिद्धांत" के [illegible] गिरफ्तारी की शक्ति पर [illegible] का सुझाव दिया था। इस सिद्धांत के दो मुख्य उद्देश्य हैं, अर्थात्, पुलिस अधिकारी का [illegible] उन मामलों में [illegible] है जहाँ यह अपराध [illegible] के लिए या अपराधी के [illegible] के लिए अपने कर्तव्य के निर्वहन में [illegible] के लिए ऐसा करना [illegible] में आवश्यक है।

[illegible] की [illegible] थी कि [illegible] गिरफ्तारियाँ [illegible] और इस [illegible] और अधिक [illegible] में होगा। [illegible] के [illegible] रिपोर्ट के पृष्ठ 45 पर [illegible] में कहा है:

"[illegible] करते हैं कि किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी किए जाने पर [illegible] निम्नलिखित में से [illegible] या [illegible] या [illegible] चाहिए–

(क) व्यक्ति को [illegible] जाने से [illegible] कि [illegible] न किया जा सके;

(ख) [illegible] अपराध के [illegible] या [illegible] होने के [illegible] की आवश्यकता;

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों अथवा संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता;

(घ) [illegible] अपराध के या उससे संबंधित [illegible] की [illegible] करने की आवश्यकता अथवा [illegible] से [illegible] करके [illegible] प्राप्त करने की आवश्यकता, और

(ङ) ऐसे [illegible] के [illegible] किसी [illegible] के लिए [illegible] की [illegible] से [illegible] की संभावना।"

[illegible] आयोग ने उपरोक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 46 पर यह सुझाव भी दिया है–

"गिरफ्तारी का प्रयोग कम करने में [illegible] की दृष्टि से [illegible] एक [illegible] का सुझाव भी देना चाहिए जिसका प्रयोग [illegible] में पुलिस अधिकारियों द्वारा नोटिस, जिसे '[illegible] नोटिस' कहा जाता है, [illegible] के लिए किया जाता है। [illegible] का प्रयोग गिरफ्तारी [illegible], [illegible] पुलिस थाने पर [illegible] के लिए [illegible] जा सकता है [illegible] गिरफ्तारी की [illegible] के लिए [illegible] के [illegible] में भाग लेने के लिए [illegible]। [illegible] व्यक्ति और [illegible] का [illegible] करने वाले पुलिस अधिकारी, [illegible] के लिए [illegible] समय पर [illegible] के लिए [illegible] भी किया जा सकता है....।"

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट के पृष्ठ 33 पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं–

"... [illegible] मामले के [illegible] के दौरान गिरफ्तारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में [illegible] माना जा सकता है–

(i) [illegible] में [illegible], [illegible] के [illegible] अपराध [illegible] है और [illegible] लोगों में [illegible] पैदा करने को [illegible] लिए और अभियुक्त की [illegible] को [illegible] करने के लिए [illegible] गिरफ्तार करना आवश्यक है;

(ii) अभियुक्त के [illegible] होने [illegible] है [illegible] से [illegible] की [illegible] सकता है;

(iii) अभियुक्त [illegible] और [illegible] उसकी [illegible] की [illegible] और [illegible] की संभावना है;

(iv) अभियुक्त [illegible] अपराधी है और [illegible] अभिरक्षा में [illegible] पुनः [illegible] किए जाने की संभावना है।

निम्नलिखित धाराओं के द्वारा लागू कर और ऐसा सुनिश्चित होगा कि गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी [illegible] को डायरी में गिरफ्तारी करने के कारणों को उचित रिकॉर्ड किया कि वह निर्दिष्ट [illegible] और अन्य बातों के साथ अपनी [illegible] को [illegible]....।"

पैरा 24 भी [illegible] गया भी सुसंगत होगा जो निम्नलिखित रूप में है।–

"उपरोक्त [illegible] मात्र के अधिकार के [illegible] की गई वैयक्तिक स्वतंत्रता के [illegible] हैं। केवल इस कारण से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती कि पुलिस अधिकारी के लिए ऐसा करना विधि सम्मत है। गिरफ्तारी की शक्ति का होना एक बात है। उसके प्रयोग का औचित्य दूसरी बात है। पुलिस अधिकारी को, [illegible] भी कि उसे ऐसा करने की शक्ति है, गिरफ्तारी का औचित्य सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और पुलिस लॉक–अप में निरोध उस व्यक्ति की ख्याति और आत्म-सम्मान को [illegible] क्षति पहुंचा सकता है। [illegible] कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, [illegible], केवल [illegible] कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करने का [illegible] मात्र है। नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण। पुलिस अधिकारी के अपने हित की रक्षा की दृष्टि से भी पुलिस अधिकारी के लिए यह [illegible] की बात होगी कि तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाए जब तक कि, ऐसा कोई अन्वेषण करने के पश्चात् कि परिवाद के सच्चाई है और यह [illegible] है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता के बारे में तथा उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता के बारे में समुचित [illegible] समाधान नहीं कर लेता। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक गंभीर विषय है। पुलिस आयोग की सिफारिशें वैयक्तिक स्वातंत्र्य तथा स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संवैधानिक [illegible] को ही परिलक्षित करती है। [illegible] किसी को [illegible] कि वह किसी अपराध में संलग्न रहा है।"

अंतिम रूप में दिए गए निर्देश, जो पैरा 26 के रूप में हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं।–

"ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) में अंतर्निहित हैं और यह आवश्यक है कि उन्हें मान्यता दी जाए और सतर्कतापूर्वक उनकी रक्षा की जाए। इन मूल अधिकारों के प्रभावपूर्ण प्रवर्तन के लिए हम निम्नलिखित निदेश देते हैं:–

(1) अभिरक्षा में रखे जाने वाले गिरफ्तार व्यक्ति को हक है कि यदि वह ऐसा निवेदन करे, तो उसके किसी एक मित्र, नातेदार या ऐसे व्यक्ति को जिसे वह जानता है या जो उसका शुभचिंतक है कि वह उसके कल्याण में हितबद्ध है, जहां तक व्यवहार्य हो, यह बता दिया जाए कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे कहां पर निरुद्ध रखा गया है।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस थाना लाने पर इस अधिकार के बारे में सूचित करेगा।

(3) डायरी में इस आशय की प्रविष्टि आवश्यक होगी कि गिरफ्तारी की जानकारी किसे दी गई है। गिरफ्तारी की शक्ति से ये संरक्षण अनुच्छेद 21 और 22(1) से ही निःसृत होते हैं और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं यह समाधान करे कि इन अपेक्षाओं/निदेशों का अनुपालन किया गया है।

उपरोक्त अपेक्षाओं का गिरफ्तारी के सभी मामलों में तब तक अनुपालन किया जाएगा जब तक इस विषय पर कानूनी उपबंध नहीं बना दिए जाते। ये अपेक्षाएं गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के उन अधिकारों के अतिरिक्त होंगी जो विभिन्न पुलिस मैनुअलों में दिए गए हैं।

ये अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हैं। भारत में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक इन अपेक्षाओं के समुचित अनुपालन की बाबत से संबंधित आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे। उनके अतिरिक्त ऐसे विभागीय अनुदेश भी जारी किए जाएंगे कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को केस डायरी में गिरफ्तारी के कारणों को रिकार्ड करने चाहिए।"



4.10.1 दूसरा निर्णय, जिसे सामान्य रूप से बहुत किया जा रहा है, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ए.आई.आर. 1997 उच्चतम 610) है। उक्त निर्णय के पैरा 35 को बहुत [illegible] होगा जिसमें अंतिम निर्देश का उल्लेख किया है जो निम्नवत है।–

"अतः इन गिरफ्तारी अथवा निरोध के सभी मामलों में अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं जारी करना तब तक के लिए निवारक उपाय के रूप में उचित समझते हैं जब तक विधिक संरक्षण उपबंध नहीं बना दिए जाते।

(1) गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को अपने नाम और पदनाम के साथ सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान के बिल्ले लगाने चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कर्मचारियों की बाबत, जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, एक रजिस्टर में ब्यौरा लिखे जाने चाहिए।

(2) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस क्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, सम्मानित व्यक्ति हो। ऐसे ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति भी हस्ताक्षर करेगा और उसमें गिरफ्तारी की तारीख व समय लिखा जाएगा।

(3) वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है और पुलिस थाने में या पूछताछ केन्द्र में या अन्य लॉक–अप में अभिरक्षा में रखा जा रहा है, इस बात का हकदार होगा कि उसके किसी एक मित्र या नातेदार या उसे जानने वाले या उसके कल्याण में हितबद्ध किसी एक व्यक्ति को यथाशक्य शीघ्र सूचित किया जाए कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अमुक स्थान पर निरुद्ध रखा गया है, सिवाय तब जब गिरफ्तारी ज्ञापन को साक्ष्यांकित करने वाला साक्षी स्वयं ही गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का मित्र या संबंधी है।

(4) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति की गिरफ्तारी का समय, स्थान और अभिरक्षा का स्थान पुलिस द्वारा उस जिले के विधिक सहायता संगठन तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से उस दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र या संबंधी को अधिसूचित किया जाएगा जब वे उस जिले या नगर के बाहर रहते हों जहां गिरफ्तारी की गई है और यह कार्य गिरफ्तारी के पश्चात् 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर तार द्वारा किया जाएगा।

(5) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उसे गिरफ्तार या निरोध में लिए जाने के तुरंत पश्चात् उसकी गिरफ्तारी या निरोध की जानकारी किसी को दिए जाने का अधिकार है।

(6) निरोध के स्थान पर डायरी में व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। जिसमें व्यक्ति के उस मित्र या निकट संबंधी का नाम भी प्रकट रूप से लिखा जाना चाहिए जिसे गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम व ब्यौरे भी लिखे जाने चाहिए जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है। गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक जांच भी, यदि वह ऐसा निवेदन करता है तो, उसकी गिरफ्तारी के समय की जानी चाहिए और उसके शरीर पर यदि कोई बड़ी या छोटी चोटें प्रकट होती हैं तो उनका उल्लेख भी उसी समय किया जाना चाहिए।

(7) "निरीक्षण ज्ञापन" पर गिरफ्तार व्यक्ति को और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

(8) गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा, जो कि संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में से एक डॉक्टर है, अभिरक्षा में निरोध के दौरान हर 48 घंटों पर की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा निदेशक सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा पैनल तैयार करेगा।

(9) सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, जिनके अंतर्गत ऊपर निर्दिष्ट गिरफ्तारी ज्ञापन भी है, इलाका मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भेजी जानी चाहिए।

(10) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को पूछताछ के दौरान [illegible] नहीं है कि सम्पूर्ण पूछताछ के दौरान, उसके वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

(11) सभी जिलों में और राज्य मुख्यालयों में पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां गिरफ्तार किए गये व्यक्ति की गिरफ्तारी और अभिरक्षा के स्थान के बारे में जानकारी, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर [illegible] और नियंत्रण कक्ष में एक सुस्पष्ट पुलिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

उक्त अभिव्यक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न केवल विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी बल्कि [illegible] न्यायालय की अवमानना के लिए [illegible] उसके विरुद्ध देश के किसी उच्च न्यायालय में, जिसको उस विषय में [illegible] है, [illegible] के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त अभिव्यक्त अपेक्षाएं जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) से [illegible] पालन करने की आवश्यकता है। [illegible] अभिकरणों पर भी लागू होंगी। [illegible] ये अपेक्षाएं, संवैधानिक और कानूनी रक्षोपायों के अतिरिक्त हैं और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के संबंध में न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य विभिन्न निर्देशों का [illegible] नहीं करती हैं।

उक्त [illegible] अपेक्षाओं को पुलिस तथा [illegible] के [illegible] और [illegible] प्रत्येक पुलिस थाने में [illegible] के लिए [illegible] सुस्पष्ट स्थान पर अधिसूचित करने के लिए [illegible]।

[illegible] और भी अधिक [illegible] में [illegible] इन अपेक्षाओं की जानकारी [illegible] तथा दूरदर्शन के [illegible] प्रसारित किया जाए [illegible] स्थानीय भाषा में [illegible] वितरित [illegible]। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में [illegible] एक [illegible] हमारी राय में [illegible] अपराध को [illegible] तथा पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को [illegible] करने में सफल हो सकेंगे। आशा की जाती है कि ये अपेक्षाएं [illegible] अन्वेषण के दौरान [illegible] और [illegible] को कम से कम [illegible] होती है।"

1.11 गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपबन्धों का संशोधन करने की आवश्यकता

उपरोक्त निर्णयों के [illegible] कि उपरोक्त निर्देशों और [illegible] पुलिस महानिदेशकों ने [illegible] किया था और उन्हें पुलिस अधिकारियों के ध्यान में [illegible] गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे दुरुपयोग के विभिन्न [illegible]। अतः विधि आयोग ने यह विचार किया कि गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग [illegible] के लिए कुछ और कदम आवश्यक हैं और साथ ही यह भी आवश्यक है कि [illegible] के प्रति [illegible] न हो। वास्तव में, उपरोक्त दोनों निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनमें अधिकथित निर्देशों [illegible] "जब तक विधि [illegible] नहीं बना दिए जाएं"। अतः यह आवश्यक है कि उपयुक्त कानूनी उपबंध [illegible] जिनमें न केवल उक्त निर्देशों को सम्मिलित किया जाए [illegible] गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग [illegible] के लिए [illegible] सुनिश्चित किया जाए कि विधि [illegible] के प्रति [illegible] न हो।

1.12 गिरफ्तारी विधि के संशोधन [illegible] आंकड़े— [illegible] विभिन्न [illegible] पर विचार करें [illegible] आवश्यक समझते हैं कि गिरफ्तारी [illegible] के [illegible] आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं [illegible]



[illegible] है। तदनुसार विधि आयोग ने 20.7.1999 को [illegible] (1) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को [illegible] विधि आयोग गिरफ्तारी से संबंधित विधि को पूर्ण रूप से [illegible] और सरकार को [illegible] आंकड़े प्राप्त किए जाएं। तदनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से [illegible] "उच्च पुलिस अधिकारियों [illegible] पुलिस द्वारा [illegible] गिरफ्तारियों की संख्या [illegible] गिरफ्तारियों की संख्या [illegible] गिरफ्तार किए गए [illegible] अपराध [illegible] मामलों की संख्या [illegible]" [illegible] पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में [illegible] [illegible] पुलिस स्टेशनों की रिपोर्टों में [illegible] विचार कर सके।"

1.12.1 हमें [illegible] कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के [illegible] और [illegible] के महानिदेशक [illegible] को निदेश दिया कि वह सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों को [illegible] विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा [illegible] राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आभारी हैं।

1.13 विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े— विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का [illegible] उचित होगा।

1.13.1 उत्तर प्रदेश— [illegible] पुलिस महानिदेशक, [illegible] के तारीख [illegible] के पत्र के अनुसार [illegible] वर्ष 1999 में गिरफ्तारी निम्नलिखित रूप में है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. (क) | गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या (अधिकतर अपराधों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या) | 1,73,634 |
| (ख) | विभिन्न न्यायालयों में आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या (अधिकतर अपराधों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या) | 1,25,381 |
| 2. | निवारक विधि अधिनियमों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या | [illegible] |
| 3. | [illegible] व्यक्तियों की कुल संख्या (अधिकतर [illegible] के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या) | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | आरोप पत्र दाखिल किए बिना जेल मामलों में रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या | 10,190 |
| 5. | जिन व्यक्तियों को सजा हुई (आंकड़े उपलब्ध नहीं) | |
| 6. | जमानतीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारियों का प्रतिशत | 45.13% |

उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग तीन लाख है, "निवारक विधि उपबंध" के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 1,75,[illegible] है। स्पष्ट है कि निवारक उपबंधों से संबंधित धारा 151, 108 और 109 जैसे उपबंध तथा स्थानीय पुलिस विधियों के ऐसे ही अन्य उपबंध, यदि कोई हैं, अभिप्रेत हैं। एक अन्य चौंकाने वाली बात कुल गिरफ्तारियों की संख्या का प्रतिशत है जो जमानतीय अपराध के संबंध में की गई। यह एक बड़ा प्रतिशत, अर्थात् 45.13% है।

1.13.2 तमिलनाडु

इस राज्य ने चेंगलपट्टू जिले की अवधारणा के लिए पुलिस अधीक्षक और वेल्लोर उस जिले में [illegible] वर्ष 1998 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 3419 थी जिसमें से 348 व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, 253 सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए, 160 महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए, 213 दुर्घटनाओं के मामलों में, 19 आर्थिक अपराधों जैसे चोरी और जुआ आदि, 313 दंड संहिता के अंतर्गत अन्य अपराधों के संबंध में, 423 राज्य उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत, 116 निवारक धाराओं के लिए और 4 व्यक्ति अन्य अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे।

3.4.2000 को पत्र में कुछ नए आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु उनमें कोई तात्त्विक अंतर नहीं पड़ता। जमानतीय मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या, इस पत्र के अनुसार 94 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि पहले राज्य में व्यक्तियों को जमानत-योग्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। निवारक गिरफ्तारियों के आंकड़े, यदि कोई हैं, प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और न जमानतीय मामलों में गिरफ्तारियों का प्रतिशत।

1.13.3 केरल

इस राज्य के दो जिलों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं—पुलिस आयुक्त तिरुवनंतपुरम शहर और कोट्टयम जिला। पुलिस आयुक्त तिरुवनंतपुरम शहर के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | गिरफ्तारियों की कुल संख्या (अभिज्ञेय अपराधों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या) | 8045 |
| 2. | निवारक विधि के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या | 4515 |
| 3. | थानों में आरोपित व्यक्तियों की कुल संख्या | 8136 |
| 4. | आरोप पत्र दाखिल किए बिना छोड़े गए गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या (इसमें विधि के निवारक उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं) | 93 |
| 5. | दोष सिद्ध किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या | 73 |
| 6. | जमानतीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारियों का प्रतिशत | 72.90 |

कोट्टयम जिले के तत्संबंधी आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या | 10376 |
| 2. | निवारक विधि के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या | 7566 |
| 3. | थानों में आरोपित व्यक्तियों की कुल संख्या | 11048 |
| 4क. | आरोप पत्र दाखिल किए बिना छोड़े गए गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या | 31 |
| ख. | निवारक उपबंधों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों में से आरोप पत्र दाखिल किए बिना छोड़े गए गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या | 5 |
| 5. | जितने व्यक्ति दोष सिद्ध पाए गए | 590 |
| 6. | जमानतीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारियों का प्रतिशत | 67.13 (70%) |



यह ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों जिलों में निवारक गिरफ्तारियों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है। पर पुलिस आयुक्त की दशा में अभिज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारियों की संख्या से आधे से अधिक है और कोट्टयम की दशा में 3/4 है। जमानतीय अपराधों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों की संख्या क्रमशः 72.90 और 67.13 प्रतिशत है। (इन दोनों जिलों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि हमारा अनुमान है कि इस वर्ष में इन व्यक्तियों की संख्या का संबंध उस वर्ष में दाखिल किए गए आरोप पत्रों की कुल संख्या से नहीं है।)

1.13.4 गुजरात—इस राज्य में अपर अधिकारियों की एक समिति गुजरात सरकार द्वारा गठित करने और प्रस्तुत करने के लिए गठित की गई थी जिसके प्रधान अपर पुलिस महानिदेशक, सी.आई.डी. (अपराध) थे। यद्यपि गुजरात के पुलिस महानिदेशक के तारीख 14.10.1999 के पत्र में यह कथन है कि अध्ययन के लिए अहमदाबाद शहर लिया, जिसमें अपराध अधिक होते हैं, पुलिस पत्र का किन्तु महानिदेशक का तारीख 14.3.2000 के साथ प्रस्तुत आंकड़े सम्पूर्ण गुजरात राज्य के संबंध में हैं। उस वर्ष (1998) के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या 1,13,419 है जिसमें से शांति भंग करने के कारण गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 10026, दंगों के लिए 16000, चोरी के लिए 3364 तथा गृह भेदन (भेदन) के लिए 1647 है अन्य विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 42,350 है। निवारक कार्यवाही के रूप में गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या, अर्थात् दं. प्र. सं. की धारा 107, 109, 110 के अंतर्गत मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 56, 57, 122, 124 और प्रोहिबिशन अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत कुल संख्या 40779 है (जिन पृष्ठों) में, अभिज्ञेय अपराध करने के लिए की गई गिरफ्तारियों की संख्या की तुलना निवारक गिरफ्तारियों की संख्या बहुत अधिक है।

इस प्रकार, श्री सी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक (सी.आई.डी.), अपराध, अहमदाबाद के तारीख 6.11.1999 के पत्र का उल्लेख करना चाहते हैं क्योंकि उसमें कुछ रचनात्मक जानकारी और सुझाव हैं। पत्र के पैरा 1 में कहा गया है कि भा.दं.सं. के भाग 1 से 5 के अंतर्गत आने वाले गंभीर अपराधों में भविष्य के लिए गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध बनी रहनी चाहिए। पैरा 2 में कहा गया है कि यद्यपि गिरफ्तारी की शक्ति आवश्यक है किन्तु उसका प्रयोग ऐसी रीति से किया जाना चाहिए जिससे किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। डी.के. बसु में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात्, इस पत्र के अनुसार, उक्त शक्ति का दुरुपयोग अत्यल्प हो गया है। पैरा 3 और 4 में कथन है कि पुलिस को जहां वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति होनी चाहिए वहां अपराध उसकी उपस्थिति में किया जाता है और वहां भी जहां किसी व्यक्ति का अभियोग है से चोरी की सम्पत्ति, प्रतिबंधित माल या अवैध हथियार आदि उसके कब्जे में पाए जाते हैं। पैरा 4 में कहा गया है कि पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही प्राप्त होनी चाहिए। पैरा 6, 7 और 8 को उनके महत्व को देखते हुए हम पूरे का पूरा उद्धृत कर रहे हैं:—

"6. ऐसा कहा जाता रहा है कि पुलिस को गिरफ्तारी की असीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए किन्तु जब हम वर्तमान सामाजिक ढांचे को तथा असामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवहार में और विविध रूप से निम्नलिखित कारणों से आक्षेप किया जा सकता है:—

(क) यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं करती तो संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभावपूर्ण कार्यकरण के बारे में पुलिस की विश्वसनीयता के संबंध में उसकी मान्यता [illegible]

[illegible] है, क्योंकि [illegible] की प्रक्रिया [illegible] है। [illegible] में [illegible] है।

(ख) [illegible] मामलों की [illegible] अभियुक्त को [illegible] नहीं किया जाना चाहिए [illegible] न्यायालय के [illegible] किया जाना चाहिए [illegible] न्यायालय में मामले में [illegible] किया जाता है [illegible] किया जाता है।

2. [illegible] विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कानूनों के अंतर्गत पुलिस को [illegible] शक्तियां [illegible] गिरफ्तारी की शक्ति [illegible] है। [illegible] अधिकारी [illegible] शक्ति के दुरुपयोग के [illegible] पुनर्विचार [illegible] जाना चाहिए।

3. [illegible] सुझाव [illegible] किया गया है कि [illegible] की धारा 151 के अंतर्गत पुलिस [illegible] गिरफ्तारी की [illegible] शक्ति का पुनरीक्षण करने की भी आवश्यकता है"।

[illegible] निम्न [illegible] है।

1.13.3 [illegible] में [illegible] जिले को [illegible] अध्ययन के लिए [illegible] के रूप में चुना गया था। इस प्रयोजन के लिए [illegible] समिति ने [illegible] आंकड़े प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित [illegible] किए हैं। [illegible]

(1) [illegible] के 90 दिन की निर्धारित [illegible] के [illegible] आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। [illegible] अधिकारी प्रायः [illegible] की [illegible] करते हैं। [illegible] करने की आवश्यकता है [illegible] और आरोप पत्र दाखिल करने की आवश्यकता [illegible]।

(2) [illegible] द्वारा [illegible] के [illegible] में से अनेक [illegible] सुविधा [illegible] में असमर्थ रहे हैं क्योंकि [illegible] करने में असमर्थ थे [illegible] न्यायिक [illegible] में [illegible] हैं। [illegible]

(3) "[illegible] मामलों को [illegible] किए [illegible] की गई गिरफ्तारियों की संख्या [illegible] है। ([illegible] गिरफ्तारियों में से [illegible]), [illegible] निवारक विधि की धाराओं के [illegible] है ([illegible] 107, 108, 110 और 151)। [illegible] प्रतिशत [illegible] है कि गिरफ्तारी की शक्ति का [illegible] नहीं किया जाता है।"

(4) [illegible] व्यक्तियों को [illegible] के लिए [illegible] कहना [illegible] है [illegible] भी [illegible] से नहीं [illegible] है।

(5) [illegible] मामलों में (17 [illegible] 54), [illegible] मामलों में [illegible] पेश नहीं किए गए हैं। [illegible] की [illegible] अधिकृत न्यायालय के [illegible] किए गए [illegible] विभिन्न [illegible] से [illegible] की [illegible] नहीं की गई।

(6) [illegible] के विभिन्न न्यायालयों में [illegible] के कारण मामलों की सुनवाई में [illegible] होती है। (सारणी 10 [illegible])। [illegible] की संख्या में वृद्धि, [illegible] अपराधों के [illegible] और [illegible] की [illegible] सीमित करने [illegible] समस्या का समाधान हो सकता है।

(7) [illegible] यदि न्यायालय [illegible] में ही [illegible]। इससे [illegible] कर्मचारियों की [illegible] की समस्या [illegible] हो जाएगी। [illegible] 3 वर्ष पूर्व [illegible] जिले में [illegible] के [illegible] किया गया था।

(8) [illegible] अपराधों के लिए, [illegible], [illegible] और [illegible] के विरुद्ध अपराध [illegible] के लिए विशेष [illegible] की [illegible] मामलों के शीघ्र निपटान को [illegible] करने के लिए भी की जा सकती है।



[illegible] आंकड़ों [illegible] है कि [illegible] गिरफ्तारियों में से [illegible] और [illegible] धारा 107 और 151 के अंतर्गत है। जैसा कि पहले [illegible] किया जा चुका है कि [illegible] की गई गिरफ्तारियों की संख्या 3740 है। [illegible] के अंतर्गत [illegible] गिरफ्तारियों [illegible] 1033 और 1053 है। [illegible] अधिनियमों [illegible] के अंतर्गत गिरफ्तारियां [illegible] 257 और 150 है।

[illegible] राज्य से [illegible] और आंकड़ों से [illegible] है कि [illegible] में गिरफ्तारियां [illegible] की गई थीं ([illegible] अधिक) तथा "निवारक गिरफ्तारियां" [illegible] संख्या में है। [illegible] कि अभियुक्तों की सुनवाई की तारीख पर न्यायालय में [illegible] किया जाता है जिसके कारण पुलिस ने [illegible] किया [illegible]। अभियुक्तों को प्रस्तुत किए जाने [illegible] किया गया है।

1.13.6 [illegible] के पुलिस [illegible] द्वारा प्रस्तुत आंकड़े [illegible] जिले के [illegible] हैं। [illegible] जिले में वर्ष 1991 के दौरान [illegible] अपराधों के लिए गिरफ्तारियों की कुल संख्या [illegible] है। निवारक [illegible] के अंतर्गत [illegible] गिरफ्तारियां [illegible] गई हैं। [illegible] है कि [illegible] अपराधों [illegible] की गई गिरफ्तारियों का प्रतिशत 24.46 है। पुलिस महानिदेशक, [illegible], बिहार के [illegible] के [illegible] सम्पूर्ण राज्य [illegible] आंकड़े [illegible] है। [illegible] के अनुसार गिरफ्तारियों की कुल संख्या [illegible] है। [illegible] निवारक गिरफ्तारियों [illegible] नहीं [illegible] है। [illegible] है कि [illegible] अपराधों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों का प्रतिशत [illegible] है।

[illegible] राज्य में [illegible] जिले को अध्ययन के [illegible] के लिए चुना गया था। तारीख [illegible] 2000 के [illegible] प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, [illegible] जिले में वर्ष 1997 में, [illegible] अपराधों के लिए गिरफ्तारियों की कुल संख्या [illegible] थी। [illegible] निवारक विधि के उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे। [illegible] की संख्या [illegible] दाखिल किए गए थे [illegible] गई हैं। पुलिस महानिदेशक, [illegible], के तारीख 1.5.2000 के पत्र में [illegible] राज्य के [illegible] का [illegible] निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं–

[illegible] की कुल संख्या [illegible] को [illegible] है। [illegible] विचाराधीन [illegible] की कुल संख्या [illegible] है। [illegible] किया गया है कि [illegible] न्यायालय द्वारा विचाराधीन [illegible] के [illegible] के [illegible] में [illegible] के अनुसार में [illegible] व्यक्तियों को [illegible] तक [illegible] पर छोड़ा गया है। [illegible] न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अभियुक्तों को (विचाराधीन [illegible] की [illegible] की कुल संख्या का [illegible] है। [illegible] न्यायालय के आदेश से [illegible] की जा सकती है।

1.13.8 [illegible] – अध्ययन के प्रयोजन के लिए [illegible] जिले को चुना गया [illegible] किया जाता है। प्रस्तुत [illegible] वर्ष 1999 से [illegible] है। [illegible] वर्ष के दौरान [illegible] के लिए गिरफ्तारियों की संख्या [illegible] है। निवारक गिरफ्तारियों की संख्या [illegible] है। [illegible] अपराधों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों का प्रतिशत [illegible] है। [illegible] में पुलिस महानिदेशक ने [illegible] है कि पुलिस विधि के उपबंधों का [illegible] से पालन कर रही है तथा [illegible] में [illegible] अधिकारों के प्रति [illegible] के कारण पुलिस [illegible] का पालन कर रही है।

1.13.9 [illegible] – राज्य [illegible] पुलिस [illegible] के पत्र की [illegible] के अंतर्गत [illegible] अपराधों के लिए गिरफ्तारियों की कुल संख्या [illegible] है। निवारक उपबंधों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या [illegible] है। [illegible] अपराधों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों का प्रतिशत [illegible] है।

1.13.10 असम – इस राज्य में अध्ययन के प्रयोजन के लिए [illegible] जिला चुना गया था। [illegible] के [illegible] में से [illegible] गिरफ्तारियां [illegible] के लिए की गई थीं। यह संख्या कुल [illegible] में से [illegible] है। [illegible] अपराधों के लिए गिरफ्तारियों का प्रतिशत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.13.11 दिल्ली — [illegible]

3.13.12 हिमाचल प्रदेश — [illegible] प्रतिशत 65 है।

3.13.13 [illegible] — [illegible]

3.13.14 मणिपुर — [illegible]

3.13.15 मिजोरम — इस राज्य में जमानतीय अपराधों में गिरफ्तारी का प्रतिशत 50 है।

3.13.16 त्रिपुरा — [illegible]



भाग II

आंकड़ों से प्रकट मुख्य बातें

2.1 भाग I में यथानिर्दिष्ट विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्नलिखित मुख्य बातें प्रकट होती हैं-(प्रत्येक बात के समर्थन में [illegible]) :

(1) "निवारक गिरफ्तारियों" [illegible]

(2) जमानतीय अपराधों में गिरफ्तारियों का प्रतिशत [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

में कोई भी सुधार करने में आवश्यक है। [illegible] के विचारण को भी [illegible] पर प्रभाव ही पड़ने दिया जाता है।

(7) [illegible] राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट में दिए गए [illegible] पुलिस [illegible] कि गिरफ्तारियों में से 60% [illegible] या तो अनावश्यक थीं या अन्यायपूर्ण, और ऐसी [illegible] पुलिस कार्यवाही के कारण जेलों की 43.2% [illegible] यह आंकड़े 20 वर्ष पुराने हैं। आज की स्थिति यदि [illegible] नहीं तो बेहतर भी नहीं हो सकती।

भाग III

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करने के बारे में प्रस्ताव

3.1 दण्ड प्रक्रिया संहिता में [illegible] अपराधों को [illegible] मुख्य प्रवर्गों में बांटा गया है, अर्थात्

(1) जमानतीय और असंज्ञेय अपराध

(2) अजमानतीय और संज्ञेय अपराध

(3) अजमानतीय और असंज्ञेय अपराध

(4) जमानतीय और संज्ञेय अपराध

(उदाहरण के लिए 466, 467 (प्रथम भाग) 476, 477 और 505 (प्रथम भाग आदि)। (अपराधों का एक पांचवां प्रवर्ग भी है, अर्थात्, धारा 116 में [illegible] गया।)

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें [illegible] उच्चतम न्यायालय के [illegible] निर्णयों में, जो अनुच्छेद 21 द्वारा [illegible] के संबंध में हैं, [illegible] दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित उपबंधों को सम्मिलित करके संशोधन करना वांछनीय होगा या नहीं:-

(1) किसी भी व्यक्ति को उन अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो [illegible] जमानतीय और असंज्ञेय हैं। दूसरे शब्दों में न्यायालय इन अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करेगा। [illegible] "जमानतीय" [illegible] "असंज्ञेय" [illegible] यह तथ्य है कि असंज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकती [illegible] धारा 41 के खंड (क) [illegible] किन्तु धारा 41 [illegible] उदाहरण के लिए, खंड (ख) [illegible] "गृह-भेदन का कोई औजार" [illegible] "जमानतीय अपराध" [illegible] है।

(2) इन अपराधों के संबंध में [illegible] गिरफ्तारी नहीं की जा सकती [illegible]

[illegible] पुलिस अधिकारियों [illegible] सम्बोधित किए जाने चाहिए। [illegible] के संबंध में "[illegible]" [illegible] चाहिए। [illegible] "असंज्ञेय" [illegible]।

(3) [illegible] धाराएं 124, 152, 216-क, 231, 233, 234, 237, 236, 257, 1[illegible], 2[illegible] से 2[illegible], 403 से 401, [illegible], 466, 468, 4[illegible]-क और 4[illegible] [illegible] अपराधों [illegible] संज्ञेय [illegible] अपराध [illegible] कार्यवाही की जानी चाहिए। [illegible] (जैसे, धारा 1[illegible] के अधीन [illegible] अन्य अपराध), [illegible] है।

(4) असंज्ञेय-जमानतीय अपराधों के [illegible] दण्डनीय हैं, [illegible] विधि में कोई [illegible] नहीं है।

(5) जहां तक [illegible] अपराधों का [illegible] संज्ञेय-अजमानतीय अपराध हैं, [illegible] अपराधों [illegible] है। [illegible] विधि द्वारा [illegible] है।

3.2 गिरफ्तारी के विषय में [illegible] अपराधों के लिए [illegible] अपराधों से भिन्न [illegible] कारावास या मृत्यु का दण्ड है किन्तु [illegible] अपराध [illegible] गिरफ्तारी के विषय में निम्नलिखित [illegible] सिद्धांतों का [illegible] किया जाए:-

गिरफ्तारी तब की जाए जब (क) अभियुक्त को [illegible] के लिए और [illegible] के लिए गिरफ्तारी आवश्यक [illegible] अभियुक्त के [illegible] (ख) अभियुक्त [illegible] अपराध [illegible]; (ग) [illegible] अपराधी [illegible] गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, अथवा (घ) अपराध [illegible]; अथवा (ङ) [illegible] गिरफ्तार करना आवश्यक है।

इस संबंध में, [illegible] की धारा 151 उल्लेखनीय है जो यह कहती है कि [illegible] कोई पुलिस [illegible] किसी अपराध [illegible] गिरफ्तार [illegible] "[illegible]" [illegible] (1), [illegible] निम्नलिखित रूप में है:-

"(1) [illegible] पुलिस [illegible] अधिकारी [illegible] धारा 156 के अधीन [illegible] पुलिस [illegible] के लिए, [illegible] गिरफ्तार [illegible]..."



3.2.1 [illegible] गिरफ्तारी [illegible] किसी अपराध में [illegible] व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी को, [illegible] 1[illegible] को [illegible] (धारा [illegible]) [illegible] पुलिस अधिकारी को [illegible] किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए [illegible] किसी व्यक्ति को "आतंकवादी होने का संदेह" [illegible] हो। [illegible] "[illegible] के कार्यों को करने, [illegible]" [illegible] अधिकारों के [illegible] के अनुरूप है [illegible] धारा 3 में [illegible] है।

3.3 [illegible] के मामले में [illegible] को कानूनी रूप से [illegible] अवश्य [illegible] है। [illegible] पूर्व (पैरा [illegible] में) [illegible] चुकी है।

3.4 [illegible] पुलिस थाने के [illegible] अपराध [illegible] पुलिस [illegible] गिरफ्तारी का कोई [illegible] व्यक्तियों [illegible] के लिए [illegible] विनिर्दिष्ट [illegible] किया जाना चाहिए और [illegible] अधिकारी [illegible] चाहिए कि [illegible] संगठनों [illegible] की अनुमति है [illegible] सुनिश्चित [illegible] किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार [illegible] यह भी सुनिश्चित करें कि [illegible] संगठनों के [illegible] चाहिए, और [illegible] का अभिलेख [illegible] चाहिए।

3.5 अपराधों की [illegible] के विरुद्ध को सम्मिलित करने की [illegible] अपराधों की [illegible] में वृद्धि [illegible] आवश्यक है। [illegible] चाहिए कि भा.दं.सं. के अनेक अपराध [illegible] विधि का [illegible] चाहिए। [illegible] विधि आयोग की (4[illegible] वीं रिपोर्ट [illegible] में सम्मिलित किया जाना चाहिए। [illegible] रिपोर्ट के विषय में [illegible] की आवश्यकता है।

3.6 [illegible] की धारा 107 से धारा 110 के अधीन और अन्य [illegible] के अधीन कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए- [illegible] की धारा 107 से धारा 110 के [illegible] कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। [illegible] पुलिस को [illegible] के लिए [illegible] जाना चाहिए [illegible] पुलिस अधिनियमों [illegible] अपराधों के लिए किया जाना चाहिए। [illegible] की धारा 151 में कोई [illegible] नहीं [illegible] है।

3.7 [illegible] अपराधों तथा [illegible] परिस्थितियों के [illegible] चाहिए-[illegible] के विरुद्ध अपराधों [illegible] और, [illegible] की स्थिति [illegible] कि

संबंधित निर्देश और विनियमन आदेश किए जा सकते हैं। गिरफ्तारी के संबंध में [illegible] [illegible] है [illegible], [illegible] और [illegible] हो गया है। किन्तु फिर भी [illegible] व्यक्ति की सुरक्षा तथा शांति और विधि-व्यवस्था के [illegible] हित के बीच और दूसरी ओर वैयक्तिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन रखना होगा।"

इसलिए अन्य प्रश्नों पर आपके विचार आमंत्रित हैं।



उपाबंध-I

न्यायमूर्ति
श्री बी० पी० जीवन रेड्डी
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001.
फोन: 3384475
निवास:
1, जनपथ
नई दिल्ली-110011.
फोन: 3019465

[illegible] (विधि आयोग).99

जुलाई 20, 1999

प्रिय न्यायमूर्ति जी [illegible],

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त करती है – "(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से संपृक्त रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संपृक्त रह चुका है; अथवा (ख) जो अपने कब्जे में [illegible] के बिना, [illegible] ऐसे व्यक्ति पर [illegible] [illegible] रखता है; अथवा......(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है"। उपधारा (2) संहिता की धारा 109 और 110 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी में निहित करती है। धारा 46 गिरफ्तार करने की पद्धति विहित करती है और धारा 47 पुलिस अधिकारी को उस स्थान की तलाशी लेने के लिए, [illegible] में प्रवेश करती है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है। धारा 50 वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियाँ या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करे। धारा 51 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए सशक्त करती है। धारा 53 और 54 पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा शारीरिक परीक्षा करने का उपबंध करती है। धारा 56 और धारा 57 (तथा धारा 76 भी), जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (2) द्वारा संवैधानिक प्रास्थिति प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, यह अपेक्षा करती हैं कि वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और गिरफ्तारी की ऐसी अवधि, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। इनके अतिरिक्त, अन्य अधिनियमों में विधि के [illegible] अनेक उपबंध हैं जो पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

2. वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार [illegible] के अधीन [illegible] किसी [illegible] उपबंध से संबंधित है, गिरफ्तार करने की शक्ति विभिन्न [illegible] में [illegible], जो कि [illegible] हमारे [illegible] का एक भाग [illegible] है, निहित एक व्यापक शक्ति है। यह शक्ति किसी अन्य शक्ति की तरह दुरुपयोग के योग्य है और प्रायः उसका दुरुपयोग किया जाता है और इसी कारण उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालयों ने अनेक मामलों में इस शक्ति की संवैधानिक विधिमान्यता और [illegible] को स्पष्ट किया है तथा उक्त शक्ति को युक्तियुक्त और विनियमित करने के लिए [illegible] सिद्धांत अधिकथित किए हैं। फिर भी उक्त

[illegible]

[illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



परिशिष्ट–II

[illegible]

| क्रम संख्या | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [illegible] | 744 | 183 | 343 | 56 | 06 | 35.17 | 20.5 |
| 2. | [illegible] | 173634 / 923103 | 418494 | 748440 | 24124 | 338507 | 45.13 | 4.81 |
| 3. | [illegible] | 2720 | 1383 | 4004 | 231 | 317 | 61.02 | 15.55 |
| 4. | [illegible] | 2842 | 485 | 1384 | 13 | 490 | 84 | 5.89 |
| 5. | [illegible] | 2992 | 946 | 2401 | 44 | 1621 | 34 | 21.85 |
| 6. | [illegible] | 3997 | 3348 | 2814 | 70 | 1447 | 84.7 | .42 |
| 7. | [illegible] | 47 | 126 | 346 | 34 | .06 | 193 ([illegible]) | 34.8 |
| 8. | दिल्ली | 47163 | 35624 | 70500 | 8799 | 24438 | 34 | 33.55 |
| 9. | [illegible] | 708 | 1143 | 35 [illegible] | 334 | 3 [illegible] | [illegible] | 49.83 |
| 10. | [illegible] | 164033 | 3844 | 157375 | 4582 | 25966 | 77 | 17.20 |
| 11. | [illegible] | 1351 | 52 | 858 | 493 | 35 | 38 | – |
| 12. | [illegible] | 38368 | 2764 | 78353 | 65 | 3384 | 24.6 | .66 |
| 13. | [illegible] | 348484 | 36108 | 447609 | 40 | [illegible] | – | .36 |
| 14. | [illegible] | 6560 | 2495 | 6149 | 2990 | 4759 | 9.2 | 20.35 |
| 15. | [illegible] | 4516 | 933 | 2259 | 234 | 34 | – | 51.59 |
| 16. | [illegible] | 287599 | 187132 | 468811 | 1010 | 133805 | 99.75 | .99 |
| 17. | [illegible] | 49655 | 300635 | 33144 | 60000 | 3072 | – | 5.30 |
| 18. | [illegible] | 759 | 53 | 308 | [illegible] | 280 | 313 | – |
| 19. | [illegible] | 06 | [illegible] | 06 | [illegible] | [illegible] | 44.67 | – |
| 20. | [illegible] | 369 | 171 | 361 | 14 | 306 | 59 | 17.16 |
| 21. | [illegible] | 222333 | – | 414148 | 33184 | 12416 | 17.00 | – |
| 22. | [illegible] | 2215 | 4204 | 6833 | 166 | 185 | 35.81 | 3.54 |
| 23. | [illegible] | 33615 | 13566 | 38103 | 1669 | 309 | .61 | 5.49 |
| 24. | [illegible] | 3435 | 354 | 3416 | 35 | 1754 | 54.31 | 3.85 |
| 25. | [illegible] | 349134 | 65640 | 257838 | 40315 | 13046 | 96.59 | 43.46 |
| 26. | [illegible] | 416843 | 334494 | 319456 | 12359 | 159539 | 85 | 3.34 |
| 27. | [illegible] | 39535 | 6143 | 36229 | 437 | 3133 | 89 | 6.18 |
| 28. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

परिशिष्ट-III

भारतीय दण्ड संहिता के अधीन असंज्ञेय और जमानतीय अपराधों की सूची जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची में से उद्धृत किया गया है

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 137. | मास्टर की उपेक्षा से वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। |
| 154. | बलवा आदि की सूचना पुलिस को भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना। |
| 155. | जिस व्यक्ति के फायदे के लिए बलवा किया गया हो उसके अभिकर्ता द्वारा बलवा निवारित करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना। |
| 156. | जिस स्वामी या अधिभोगी के फायदे के लिए बलवा किया जाता है, उसके अभिकर्ता द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना। |
| 166. | लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करता है। |
| 168. | लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। |
| 169. | लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। |
| 171ङ. | रिश्वत। |
| 171च. | निर्वाचन में असम्यक् असर डालना। |
| 171छ. | निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। |
| 171ज. | निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। |
| 171झ. | निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। |
| 172. | लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन की तामील से या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। |
| 173. | किसी समन या सूचना की तामील का या उसके लगाए जाने का निवारण करना या उसके लगाए जाने के पश्चात् उसे हटाना या उद्घोषणा को निवारित करना। |
| | यदि समन आदि न्यायालय में स्वयं हाजिर होने आदि अपेक्षित करता है। |
| 174. | किसी स्थान में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने का वैध आदेश न मानना या वहां से प्राधिकार के बिना चला जाना। |
| | यदि आदेश न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करता है। |
| 175. | दस्तावेज पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी दस्तावेज पेश करने का लोप किया। |
| | यदि उस दस्तावेज का न्यायालय में पेश किया जाना या परिदत्त किया जाना अपेक्षित है। |
| 176. | सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप। |
| | यदि अपेक्षित सूचना या इत्तिला अपराध किए जाने आदि के विषय में है। |
| | यदि सूचना या इत्तिला इस संहिता की धारा 356 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है। |



| धारा | अपराध |
|---|---|
| 177. | लोक सेवक को जानते हुए मिथ्या इत्तिला देना। |
| | यदि अपेक्षित इत्तिला अपराध किए जाने आदि के विषय में हो। |
| 178. | शपथ से इंकार करना जब लोक सेवक द्वारा वह शपथ लेने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाता है। |
| 179. | प्रश्न करने के लिए वैध रूप से सशक्त लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करना। |
| 180. | लोक सेवक से किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करना जब वैसा करने के लिए वैध रूप से अपेक्षित है। |
| 181. | लोक सेवक से शपथ पर जानते हुए सत्य के रूप में मिथ्या कथन करना जो मिथ्या है। |
| 182. | किसी लोक सेवक को इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के लिए करे। |
| 183. | लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। |
| 184. | लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। |
| 185. | विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय में सम्पत्ति के लिए ऐसे व्यक्ति को, जो उसे क्रय करने के लिए किसी विधिक असमर्थता के अधीन है, चाहे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से क्रय करना या उसके लिए बोली लगाना। |
| 186. | लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। |
| 187. | लोक सेवक की सहायता करने का लोप जब ऐसी सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। |
| | ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधों के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करना। |
| 189. | किसी पदीय कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए लोक सेवक को उत्प्रेरित करने के लिए लोक सेवक या उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति को क्षति करने की धमकी देना। |
| 190. | क्षति से संरक्षण के लिए वैध आवेदन देने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना। |
| 193. | न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। |
| | किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। |
| 197. | किसी ऐसे तथ्य से संबंधित मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है। |
| 198. | प्रमाणपत्र को, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में काम में लाना। |
| 199. | ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, मिथ्या कथन करना। |
| 200. | ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसको सच्चे के रूप में काम में लाना। |
| 201. | किए गए अपराध के साक्ष्य का विलोपन कारित करना या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए उस अपराध के बारे में मिथ्या इत्तिला देना, यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है। |
| | यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। |

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 212. | [illegible] अपराध की [illegible] |
| 203. | किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना। |
| 204. | साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको छिपाना या नष्ट करना। |
| 205. | [illegible] अभियोजन में कोई कार्य या कार्यवाही करने या [illegible] के प्रयोजन के लिए छद्म प्रतिरूपण। |
| 205. | सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या [illegible] के अधीन [illegible] में या किसी के निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, आदि। |
| 207. | सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या [illegible] के अधीन [illegible] में या किसी के निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उस पर कपटपूर्वक दावा या [illegible] आदि। |
| 208. | ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना, सहन करना या डिक्री को तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित किया जाना सहन करना। |
| 209. | न्यायालय में मिथ्या दावा। |
| 210. | ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना या डिक्री को तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित करवाना। |
| 331. | [illegible] |
| | यदि [illegible] अपराध [illegible] कारावास से दण्डनीय है। |
| | यदि [illegible] अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है। |
| 214. | [illegible] प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है। |
| | यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है। |
| | यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है। |
| 337. | लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा। |
| 319 | [illegible] |
| 220 | [illegible] |
| 223 | लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध में से निकल भागना सहन करना। |
| 225-ख | [illegible] —<br>(क) [illegible]<br>(ख) [illegible] |
| 228 | न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रक्रम में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। |
| 264 | तोलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग। |



| धारा | अपराध |
|---|---|
| 265 | खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। |
| 266 | खोटे बाटों या मापों का कपटपूर्वक उपयोग के लिए कब्जे में रखना। |
| 271 | [illegible] |
| 272 | विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे वह अपायकर बन जाए। |
| 273 | खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना। |
| 274 | विक्रय के लिए आशयित किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए या [illegible] |
| 275 | किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है, बेचने को प्रस्थापित करना या औषधालय से देना। |
| 276 | किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न ओषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में जानते हुए बेचना या औषधालय से देना। |
| 278 | वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। |
| 283 | किसी पब्लिक पथ में इस प्रकार [illegible] जिससे वह [illegible] के लिए [illegible] हो जाए। |
| 289 | [illegible] |
| 290 | लोक न्यूसेन्स करना। |
| 294-क | लाटरी कार्यालय रखना।<br>लाटरी संबंधी प्रस्थापनाओं का प्रकाशन। |
| 312 | गर्भपात कारित करना।<br>यदि स्त्री स्पन्दनगर्भा हो। |
| 323 | स्वेच्छया उपहति कारित करना। |
| 334 | प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर [illegible] कारित करना। |
| 352 | गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। |
| 355 | गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का [illegible] करने का आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। |
| 358 | गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। |
| 370 | दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्ययन करना। |
| 376 | बलात्संग—किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग जिसकी आयु बारह वर्ष से कम है। |
| 376क | पृथक् रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। |
| 417 | छल। |
| 418. | उस व्यक्ति से छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था। |
| 420 | लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, आदि। |

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 422 | ऋणों को लेनदारों में वितरित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक निष्पादन करना। |
| 423 | अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन। |
| 424 | अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना अथवा उसके परिदान में बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारण करना अथवा किसी दावे का जिसका वह हकदार है, बेईमानी से छोड़ देना। |
| 426 | रिष्टि। |
| 427 | रिष्टि और तद्द्वारा पचास रुपये या उससे अधिक रकम का नुकसान कारित करना। |
| 434 | लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि। |
| 465 | कूटरचना। |
| 474 | किसी दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए इस आशय से कि वह असली के रूप में उपयोग में लाई जाए, अपने कब्जे में रखना, यदि वह दस्तावेज भारतीय दण्ड संहिता की धारा 466 में वर्णित भाँति का हो। |
| 475 | भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। |
| 482 | मिथ्या सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से उपयोग करना कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित करे या क्षति करे। |
| 483 | अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित हो। |
| 484 | लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का या किसी सम्पत्ति के विनिर्माण, क्वालिटी आदि का द्योतन करने वाले किसी चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता है, कूटकरण। |
| 485 | किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिह्न के कूटकरण के लिए कोई ठप्पा, पट्टी या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना। |
| 486 | कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिह्नित माल का जानते हुए विक्रय। |
| 487 | किसी ऐसे पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, आदि। |
| 488 | किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करना। |
| 489 | क्षति कारित करने के आशय से किसी सम्पत्ति चिह्न को मिटाना, नष्ट करना या विरूपित करना। |
| 489ड | करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। (मुद्रक का नाम व पता बताने से इंकार पर)। |
| 491 | किशोरावस्था या चित्तविकृति या रोग के कारण असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आबद्ध होते हुए ऐसा करने का लोप करना। |
| 494 | पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना। |
| 495 | वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर, जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है। |



| धारा | अपराध |
|---|---|
| 496 | कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म पूरा कर लेना यह जानते हुए कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है। |
| 497 | जारकर्म। |
| 498 | विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। |
| 500 | राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानि जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो जब लोक अभियोजक के माध्यम से संस्थित किया गया हो। |
| | किसी अन्य मामले में मानहानि। |
| 501 | (क) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक जानते हुए, ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक के माध्यम से संस्थित किया गया हो। |
| | (ख) किसी अन्य मामले में मानहानिकारक जानते हुए, किसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। |
| 502 | (क) मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का, यह जानते हुए कि उसमें राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है, जब लोक अभियोजक के माध्यम से संस्थित किया गया हो। |
| | (ख) किसी अन्य मामले में मानहानिकारक बात को अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए बेचना कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है। |
| 504 | लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान। |
| 506 | आपराधिक अभित्रास। |
| 507 | अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिससे धमकी आई, नाम छिपाने की पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास। |
| 508 | व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य। |
| 510 | मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान आदि में प्रवेश करना और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना। |

निम्नलिखित धाराएं मूल अपराध से संबंधित हैं:

धारा 106

उपाबंध-IV

## भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय और अजमानतीय अपराधों की सूची

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 128 | लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को अपनी अभिरक्षा में से निकल भागने देना। |
| 131 | बगावत, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। |
| 136 | ऐसे आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को, जिसने अभित्यजन किया है, संश्रय देना। |
| 138 | आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप वह अपराध किया जाता है। |
| 140 | इस आशय से कि सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या कोई टोकन धारण करना कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है। |
| 143 | विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना। |
| 144 | किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। |
| 145 | किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। |
| 147 | बल्वा करना। |
| 148 | घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना। |
| 151 | पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। |
| 153 | बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाता है। |
| 157 | विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। |
| 158 | विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। |
| 160 | दंगा करना। |
| 167 | लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। |
| 171 | कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। |
| 171घ | निर्वाचन में प्रतिरूपण। |
| 188 | लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करे। |
| 212 | अपराधी को संश्रय देना, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।<br>यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।<br>यदि एक वर्ष के लिए, न कि दस वर्ष के लिए, कारावास से दण्डनीय है। |
| 213 | अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।<br>यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।<br>यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है। |



| धारा | अपराध |
|---|---|
| 215 | अपराधी को पकड़वाए बिना उस चोरी की सम्पत्ति को वापस कराने में सहायता करने के लिए उपहार लेना जिससे कोई व्यक्ति अपराध द्वारा वंचित कर दिया गया है। |
| 216 | ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है।<br>यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।<br>यदि एक वर्ष के लिए, न कि दस वर्ष के लिए, कारावास से दण्डनीय है। |
| 218 | किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। |
| 221 | अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप, यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है। यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।<br>यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दण्डनीय है। |
| 222 | न्यायालय के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दण्डादेश के अधीन है।<br>यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास के दण्डादेश के अधीन है या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है। |
| 224 | किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। |
| 225 | किसी व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्ण अभिरक्षा से छुड़ाना। |
| 225ख | उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। |
| 228क | कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण।<br>न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन। |
| 229 | जूरी-सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण। |
| 231 | कूटकृत सिक्का की कूटकृत करना। |
| 261 | इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। |
| 262 | ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। |
| 263 | स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न को छीलकर मिटाना। |
| 263क | बनावटी स्टाम्प। |
| 269 | उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। |
| 270 | परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। |
| 277 | लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। |
| 279 | लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से यान चलाना या सवार होकर चलना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि। |

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 280 | [illegible] |
| 281 | [illegible] |
| 282 | [illegible] |
| 283 | [illegible] |
| 284 | [illegible] |
| 285 | [illegible] |
| 286 | [illegible] |
| 289 | [illegible] |
| 290 | [illegible] |
| 292 | [illegible] |
| 293 | [illegible] |
| 294 | [illegible] |
| 304क | [illegible] |
| 309 | आत्महत्या करने का प्रयत्न। |
| 317 | [illegible] |
| 318 | [illegible] |
| 324 | [illegible] |
| 323 | [illegible] |
| 330 | [illegible] |
| 333 | [illegible] |
| 335 | [illegible] |
| 336 | [illegible] |
| 337 | [illegible] |
| 338 | [illegible] |
| 341 | [illegible] |
| 342 | [illegible] |
| 343 | [illegible] |
| 344 | [illegible] |
| 345 | [illegible] |



| धारा | अपराध |
|---|---|
| 346 | गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। |
| 347 | सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध। |
| 348 | संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने या सम्पत्ति वापस करने के लिए विवश करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध। |
| 353 | लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। |
| 354 | स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। |
| 355 | किसी व्यक्ति ... [illegible] ... हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। |
| 357 | किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। |
| 363 | व्यपहरण। |
| 374 | विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम। |
| 376क | [illegible] |
| 376ग | [illegible] |
| 376घ | [illegible] |
| 385 | उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना। |
| 388 | मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन। |
| | यदि अपराध, जिसकी धमकी दी गई हो, प्रकृति विरुद्ध अपराध है। |
| 389 | उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु ... [illegible] ... दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। |
| 417 | प्रतिरूपण द्वारा छल। |
| 428 | दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव-जन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि। |
| 429 | किसी मूल्य के हाथी, ऊँट, घोड़े आदि का अथवा पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव-जन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि। |
| 430 | कृषिक प्रयोजनों, आदि के लिए जलप्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि। |
| 431 | लोक सड़क, पुल, नाली ... [illegible] ... द्वारा रिष्टि। |
| 432 | लोक जलनिकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि। |
| 433 | किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न ... [illegible] ... द्वारा रिष्टि। |
| 435 | सौ रुपए या उससे अधिक का, अथवा कृषि उपज की दशा में दस रुपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। |
| 440 | मृत्यु या उपहति कारित करने, आदि के लिए की गई तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि। |

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 447 | आपराधिक अतिचार। |
| 448 | गृह-अतिचार। |
| 451 | कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार। यदि वह अपराध चोरी है। |
| 462 | ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, न्यस्त किए जाने पर, कपटपूर्वक खोलना। |
| 46[illegible] | [illegible] |
| 471 | कूटरचित दस्तावेज को, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह कूटरचित है, असली के रूप में उपयोग में लाना। |
| | जब कूटरचित दस्तावेज केन्द्रीय सरकार का वचनपत्र है। |
| 472 | भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि, बनाना या उसकी कूटकृति तैयार करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, ऐसे आशय से अपने कब्जे में रखना। |
| 473 | भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 से भिन्न दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि, बनाना या उसकी कूटकृति करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, ऐसे आशय से अपने कब्जे में रखना। |
| 474 | किसी दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए इस आशय से कि वह असली के रूप में उपयोग में लाई जाए, कब्जे में रखना, यदि वह दस्तावेज भारतीय दण्ड संहिता की धारा 466 में वर्णित प्रकार की है। |
| 509 | किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंगविक्षेप करना, आदि। |

निम्नलिखित धाराएं इस अनुसूची से संशोधित हैं—

पृष्ठ

धारा 107 से 110, 116, 117, 153-[illegible], 153-[illegible], 160, 161-[illegible] 149, 150, 200 [illegible] भाग, 333-[illegible], 301



परिशिष्ट–V

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय और अजमानतीय अपराधों की सूची जिनके लिए दस वर्ष के कारावास का दण्ड है

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 121क | षड्यंत्र |
| 126 | भारत सरकार के साथ मैत्री संबंध रखने वाली या उसके साथ शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना। |
| 127 | धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना। |
| 133 | आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर, जब वह आफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। |
| 134 | ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि वह हमला किया जाता है। |
| 153क | वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन। |
| | पूजा के स्थान आदि में वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन। |
| 153ख | राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान करना। यदि धार्मिक पूजा स्थल आदि पर किया जाए। |
| 161 | लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए, पदीय कार्य के बारे में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लेना। |
| 162 | लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना। |
| 163 | लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण लेना। |
| 164 | अधिकारी में पूर्वगामी धाराओं में परिभाषित अपराधों का लोक सेवक द्वारा किए जाने में दुष्प्रेरण। |
| 165 | लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कार्य से संपृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना कोई मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है। |
| 165क | धारा 161 या धारा 165 के अधीन दण्डनीय अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड। लोक सेवक का अतिक्रमण। |
| 222 | न्यायालय के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दण्डादेश के अधीन है या यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दण्डादेश के अधीन है। |
| 225 | किसी व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्ण अभिरक्षा से उसे छुड़ाना। |
| | यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध से आरोपित है। |
| | यदि मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध से आरोपित है। |
| | यदि वह व्यक्ति आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट है। |
| 235 | सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री को उपयोग में लाने के प्रयोजन से कब्जे में रखना। |

| धारा | अपराध |
|---|---|
| 236 | भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। |
| 239 | किसी कूटकृत सिक्के को, जिसका ऐसा होना उस समय ज्ञात था जब वह उसके कब्जे में आया, रखना और किसी व्यक्ति को उसका परिदान आदि करना। |
| 241 | किसी कूटकृत सिक्के का ऐसा होना जानते हुए, दूसरे को असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका ऐसा होना परिदान करने वाला उस समय नहीं जानता था जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया। |
| 242 | कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय जानता था कि वह कूटकृत है जब वह उसके कब्जे में आया था। |
| 243 | भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था, जब वह उसके कब्जे में आया था। |
| 244 | टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। |
| 245 | टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना। |
| 246 | कपटपूर्वक किसी सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। |
| 247 | कपटपूर्वक भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। |
| 248 | इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के रूप में चल जाए। |
| 249 | इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के रूप में चल जाए। |
| 250 | दूसरे को ऐसे सिक्के का परिदान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि वह परिवर्तित किया गया है। |
| 252 | ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवर्तित सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। |
| 253 | ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। |
| 254 | सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। |
| 309 | आत्महत्या करने का प्रयत्न। |
| | यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए। |
| 365 | किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। |
| 368 | व्यपहृत व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना। |
| 369 | किसी शिशु के शरीर पर से संपत्ति लेने के आशय से उस शिशु का व्यपहरण या अपहरण। |
| 379 | चोरी |
| 380 | निवास-गृह आदि में चोरी |
| 381 | लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के या नियोजक के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी। |
| 384 | उद्दापन। |
| 387 | उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना। |



| धारा | अपराध |
|---|---|
| 393 | लूट करने का प्रयत्न। |
| 397 | मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। |
| 398 | घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। |
| 401 | अभ्यस्त चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती-फिरती टोली का होना। |
| 402 | डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होना। |
| 411 | चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करना। |
| 414 | चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना। |
| 451 | कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार। यदि वह अपराध चोरी है। |
| 455 | उपहति कारित करने, हमला करने आदि की तैयारी करने के पश्चात् गृह-अतिचार। |
| 456 | प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन। |
| 454 | कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन। |
| 456 | रात्रि प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रि गृह-भेदन। |
| 457 | कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रि गृह-भेदन। |
| 461 | ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, बेईमानी से तोड़ कर खोलना या उद्घाटित करना। |
| 498क | किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड। |
| 505 | मिथ्या कथन, जनश्रुति आदि को इस आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो अथवा लोक-शांति के विरुद्ध अपराध हो। |
| | मिथ्या कथन, जनश्रुति आदि, इस आशय से कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो। |

निम्नलिखित धाराएं मूल अपराध से संबंधित हैं—

धाराएं

109, 110, 114, 115, 116, 117 (प्रथम भाग), 116, 117, 119 (प्रथम भाग), 120ख, (प्रथम भाग), 149, 150, 201 (द्वितीय और तृतीय भाग), 224, 225, 511

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय और अजमानतीय अपराधों की सूची जिसके लिए वारंट की आवश्यकता होती है

436 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 से संबंधित इमारतों या अन्य इमारतों को अग्निसात करने के लिए, अथवा विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि की गई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ को कब्जे में रखना।

498क किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड।

505 मिथ्या कथन, जनश्रुति आदि को इस आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो अथवा लोक-शांति के विरुद्ध अपराध हो।

पी.एल.डी. 92. CLXXVII (एच)
75 – 2005 – (DSK -IV)

मूल्य रुपये 1300/-

2005
अधिक्षक, प्रकाशन, सिविल लाईन्स दिल्ली के लिए
प्रभारी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन द्वारा मुद्रित।